राजस्थान विधान सभा

३९वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक –१ मई, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, प्रातः ८ बज कर ४ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष— प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ७३२

सीकर जिले की एक अध्यापक वाली स्कूलों में उनके अवकाश में रहने पर रिलीफ का प्रबन्ध

श्री भैरूंसिंह (१६)— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले के शिक्षा विभाग के किन किन प्राइमरी स्कूलों में केवल एक एक ही अध्यापक हैं ?

(ख) इन स्कूलों में कौन कौन से स्कूल के कौन कौन अध्यापक इस वर्ष में कब कब किस कारण से स्कूल से अनुपस्थित रहे और इनकी अनुपस्थिति में स्कूल के संचालन के लिये क्या प्रबन्ध किया गया ?

(ग) इनमें से किन किन स्कूलों में किन किन दिनों कोई भी अध्यापक नहीं रहा और क्यों ?

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी) (—क) २०९ एक अध्यापकीय स्कूल है जिसकी तालिका सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल)

(ग) कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। कारण यह था कि अवकाश पर जाने वाले अध्यापकों की सूचना गांवों से आफिस में आने में कुछ समय लगता है। लीव रिज़र्व की पद्धति जारी नहीं थी जो अब जारी कर दी गई है।

(श्री भैरूं सिंह से) सूची मिली कि नहीं आपको ?

श्री अध्यक्ष— अपने यहां आई क्या ?

श्री भैरूं सिंह— जिन अध्यापकों को अवकाश पर जाने की इजाजत दी जाती है उससे पहले उनके स्थान पर दूसरे अध्यापकों को वहां भेजने का क्या सरकार प्रबन्ध नहीं करती ?

श्रीमती कमला बेनीवाल— अब तक तो नहीं था, अब जितने अध्यापक हैं उनका एक परसेन्ट लीव रिज़र्व टीचर्स रख लिये गये हैं और अब इसका इन्तजाम हो जावेगा।

श्री भैरूं सिंह— जिन गांवों में अध्यापक अनुपस्थित रहे, उन गांवों में सरकार की ओर से कोई भी अध्यापक या दूसरी व्यवस्था नहीं रही ?

श्रीमती कमला बेनीवाल— अब तक ऐसा था कि डिप्टी डाइरेक्टर को ही ट्रान्सफर का रिलीव का और छुट्टी का अधिकार था इसलिये जब तक हेड ओफिस तक उनकी दरख्वास्त पहुचती तब तक काफी अरसा हो जाता था। अब इन्सपेक्टरों को ही यह अधिकार देदिया है और वे यह भी प्रबन्ध कर देंगे कि किसी पास की मिडिल स्कूल में से जहां एक स्पेयर अध्यापक मिल सकता है उसे वहां भेज दिया करें।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि जिस दिन से जिस अध्यापक को रुख़सत जाने की इजाजत दी जावे उसे उस समय तक नहीं दी जावे जब तक कि कोई दूसरा प्रबन्ध पहले न हो जावे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल— वे तो लीव के रुल्स हैं, उनके अनुसार ही किसी को रोका व छुट्टी दी जाती है इसलिये इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूं सिंह— अध्यापकों की अनुपस्थिति में वहां स्कूल का सामान किसकी निगरानी में रहता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल— चपरासी होता होगा या और कोई इन्तजाम अध्यापक कर लेता होगा।

श्री भैरूंसिंह— जिन स्कूलों में चपरासी नहीं होता, उनमें किनकी निगरानी में सामान रहता होगा ?

Page No 3

श्रीमती कमला बेनीवाल—अध्यापक महोदय कोई प्रबन्ध करके चले जाते होंगे? कोई मकान या कोठा होगा उसमें बन्द करके चले जाते होंगे।

श्री भैरूंसिंह— मकान या कोठा ही नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल — उस जगह किसी तरह का न मकान है, न कोठा है तो फिर सामान ही क्या होगा?

श्री भैरूंसिंह— सामान तो कुछ न कुछ होगा, उसका क्या इन्तजाम होगा?

श्रीमती कमला बेनीवाल— वहां पर वे जरूर कोई न कोई इन्तजाम करके जाते होंगे, पंचायत में या किसी विशिष्ट सज्जन के घर में रखकर जाते होंगे।

श्री भैरूंसिंह—उनकी अनुपस्थिति में स्कूल खुली रहती है या बन्द?

श्रीमती कमला बेनीवाल— स्कूल तो जैसी है वैसी ही रहती है। यह तो अपने आपो समझ लेना चाहिए।

श्री भैरूंसिंह— हाजरी विद्यार्थियों की जो होती है उसके परसेन्टेज में इससे अन्तर आता है और इससे क्या दिक्कत नहीं पैदा होती?

श्रीमती कमला बेनीवाल— ऐसा कोई केस मेरे सामने तो नहीं आया।

श्री भैरूंसिंह— मैं इसके लिये नहीं पूछता, मैं तो यह पूचता हूं कि इससे दिक्कत आत है या नहीं?

श्रीमती कमला बेनीवाल— प्रश्न ऐसा कोई सामने नहीं आया।

श्री भैरूंसिंह— यह बात में नहीं पूछ रहा हूं स्कूल के लडकों की हाजरी के परसेन्टेज में इससे कमी आ सकती तो इसके लिये क्या प्रबन्ध करते हैं आप?

श्रीमती कमला बेनीवाल – 'सकना' तो दूसरी बात है पर आती नहीं है।

श्री भैरूंसिंह – आवे तो?

श्रीमती कमला बेनीवाल – 'सकने' से पहले इन्तजाम कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष – श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ७१४

जनवरी १९५५ के पश्चात् देवस्थान विभाग में की गई नियुक्तियों के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १ जनवरी, १९५५ के बाद देवस्थान विभाग में कुल कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं ?

(ख) उक्त नियुक्तियां किस आधार पर कब कब की गई ?

(ग) क्या नई नियुक्तियों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे ?

(घ) यदि हां, तो कब कब ?

श्री सम्पतराम (उपमन्त्री, देवस्थान विभाग)— १ जनवरी, १९५५ के बाद देवस्थान विभाग में निम्नलिखित नियुक्तियां हुईं:

(१) लोअर डिविजन क्लर्कस् २ (अस्थाई तौर पर तीन माह के लिए)

(२) ओहदेदारान मन्दिरान २

(३) सेवागीरान मन्दिरान २९

(ख) स्थान रिक्त होने अथवा आवश्यकता पड़ने पर नियुक्तियों की तिथियां संलग्न सूची में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ग) जो नियुक्तियां (१) और (२) खंडों की हैं, वे अस्थाई व केवल तीन माह की थीं, जो अब समाप्त हो गई हैं, खण्ड (३) की नियुक्ति दस रुपये से लेकर ।।) माहवार की थीं, जो जहां अधिक प्रार्थनापत्र इन स्थानों के लिए प्राप्त हुए, उनमें से छांट लिये गये, शेष जिनके प्रार्थनापत्र मिले उन्हें रख लिया गया।

श्री चांदमल मेहता—यह खण्ड अलग अलग क्या है ?

वे किस सूची में हैं। मेरी सूची में तो नहीं हैं।

श्री सम्पतराम—जो सूची मैंने पढी है उसके खण्ड हैं। आपकी सूची में नहीं है।

Page No 5

श्री चांदमल मेहता—ये नियुक्तियां किस आधार पर की गई ?

श्री सम्पतराम—कौन सी नियुक्ति ?

श्री चांदमल मेहता—जो नियुक्तियां की गई हैं वे किन अधिकारियों द्वारा की गई हैं ?

श्री सम्पतराम—कौनसी नियुक्ति ?

श्री चांदमल मेहता—सभी।

श्री सम्पतराम—असिस्टेन्ट कमिश्नर और कमिश्नर देवस्थान द्वारा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों को करने से पूर्व कमिश्नर जयपुर से नोन अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट नहीं लिया गया कस्टम के और दूसरे विभागों के कर्मचारियों के बारे में ?

श्री संपतराम—यह बात सही नही है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि कब कब इस तरह के सर्टीफिकेट्स लिये गये ?

श्री संपतराम—यह अलग सवाल है। कोई तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप तैयार हैं यह जांच करने के लिए कि कितनी मरतबा नोन अवेलेबिलिटी सर्टीफिकेट लिया गया था ?

श्री संपतराम—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। अगर आप स्पष्ट उदाहरण बतावें तो जांच की जावेगी और आवश्यक कार्यवाही भी की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—शिकायत यह है कि अभी तक वे सरप्लस मौजूद हैं और जो नियुक्तियां की गई हैं उनके लिए नोन एवेलेबिलिटी सार्टीफिकेट नहीं लिया गया। इस तरह के कहने पर क्या मंत्री महोदय जांच करवाने के लिए तैयार है या नहीं कि वह सार्टीफिकेट लिये गये थे या नहीं।

श्री संपतराम—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि १० रु० से आठ आने माहवार के ऐसे कौन से कर्मचारी कस्टम विभाग के हैं जिनको की इन जगहों पर रक्खा जा सकता था।

श्री चांदमल मेहता—क्या १० रु० से ऊंची कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं ?

श्री सम्पतराम–हुई हैं लेकिन टेम्परी कहीं आवश्यकता के मुताबिक । उनको एक-दो महीनों के बाद हटा देंगे ।

प्रश्न संख्या ७१५

बीकानेर के भांभीवाड़ा से मृत पशुओं का चमड़ा निकालने का कार्य बंद करके अन्य स्थान पर स्थापित करने सम्बन्धी

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर के मोहल्ला भांभीवाड़ा में मृत पशुओं का चमड़ा निकाला जाता है और कौवे आदि पक्षी वहां से हड्डियां ला लाकर के घरों में डाल देते हैं ?

(ख) क्या सरकार इसे हटाने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो कब तक; नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या यह सही है कि सन् ५० में भी इसे हटाने का ऑर्डर निकल चुका था लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां । पक्षियों द्वारा हड्डियें ला लाकर घरों में डालने की बात सही नहीं ।

(ख) जी हां । नगरपालिका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य को करना चाहती है ।

(ग) जी हां ।

श्री भैरोंसिंह—यह कार्यवाही कब तक शुरू हो जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अर्ज किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करना चाहते हैं । जमीन देने के लिए कहा था, मगर वह इन्कार कर गये । वह स्वीकार कर लेंगे तो व्यवस्था कर दी जायगी ।

प्रश्न संख्या ७१६

जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर के समक्ष शिक्षा विभाग के निरीक्षक सीकर के विरुद्ध आरोप एवं उस विषयक जांच का परिणाम

श्री भैरूसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर श्री आर. वी. कुम्भारे के समक्ष दि० ५.२.५६ को सीकर के नागरिकों, अध्यापकों व खटीक पंचों व चपरासियों ने वर्तमान निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर के विरुद्ध लिखित व मौखिक शिकायतें पेश की थीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी हां।

(ख) जांच मौके पर की गई थी, उक्त निरीक्षक का स्थानान्तर कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह—जो शिकायतें आई थीं उन शिकायतों में से कई बातों का सबूत होने पर स्थानान्तर किया गया है या एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से स्थानान्तर किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो शिकायतें आप बता रहे हैं उनकी जांच के परिणामस्वरूप भी किया गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी थे।

श्री भैरोंसिंह—तो क्या यह माना जाय कि जिन लोगों की शिकायतें थीं वे सही थीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां, बहुत सी सही थीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार, जो शिकायतें सही पाई गई हैं उनकी सजा इतनी ही पर्याप्त समझती है कि उनका इस स्थान से स्थानान्तरण कर दिया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यही समझ लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि उन शिकायतों में गबन की भी शिकायत थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—यह कैसे पर्याप्त समझ लिया गया कि स्थानान्तरण कर दिया है वह सजा काफी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उनका स्थानान्तरण किया गया है लेकिन गबन के मामले का कोई केस सामने नहीं आया।

Page No 8

श्री भैरोंसिंह—क्या स्थानान्तरण करने से पहले सजा के रूप में उस स्थान के निरीक्षक महोदय को चार्ज शीट दी गई थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस तरह की कोई गलतियां नहीं थी कि चार्ज शीट देने की बात हो। जो गलतियां थीं उनमें से आधों की जांच बिहेवियर वगैरह के बारे में थीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियां थीं उनकी जांच पूरी हुई है; बाकी की पूरी नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह—क्या उन शिकायतों में इस बात का उल्लेख था कि उन्होंने खटीकों के स्कूल के भवन को बनाने के लिए १०० रु. की रिश्वत ली ? क्या उसके लिए जांच रिपोर्ट में कुछ दिया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उसके डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह—मैंने जो पूछा है कम्पलेन्ट के बारे में वे सब चीजें आनी चाहिए। क्या माननीय उप मंत्राणीजी इस बात को बतायेंगी कि उन शिकायतों में कौन सी शिकायत सही साबित हुई है जिसके कारण से उनका स्थानान्तर किया गया है

श्रीमती कमलाकमारी बेनीवाल—वहां पर जो इन्सपेक्टोरेट हैं वहां पर उनका काम बहुत ही अनसेटिस्फेक्टरी था, उनके बिहेवियर के बारे में और ऑफिस के मेनेजमेंट के बारे में शिकायतें थीं। डिप्टी डाइरेक्टर ने मौके पर जाकर कई बातों को सही पाया और जो कई शिकायतें आई हैं उनकी जांच चल रही है। उसकी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है।

श्री मानसिंह महार—क्या क्या शिकायतें थीं उनके खिलाफ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह मैं अभी बताना नहीं चाहती। आप अलग से पूछेंगे तो बताऊंगी।

श्री भैरूंसिंह—प्रश्न के उत्तर में, माननीय अध्यक्ष, यह जानकारी होना चाहिए कि कौन २ सी शिकायतें थीं, उनमें से कौन कौन सी साबित हो चुकी हैं और कौन कौन सी शिकायतें जांच के जेरतलब हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मुझे पता है, जो जांच की जा चुकी है वे बिहेवियर के बारे में और मेनेजमेंट के बारे में थीं, बाकी की शिकायतों के बारे में वह जांच चल रही है। अभी पूरी रिपोर्ट आई नहीं है। इसलिए आपको बताना असंभव है।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि इन बातों की जांच नहीं हुई है ? तो किस आधार पर यह उपयुक्त समझा गया कि उनका स्थानान्तरण करना ठीक था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—हो रही है जांच, वह अभी पूरी नहीं हुई है।

श्री भैरूंसिंह—तो फिर कौन सी जांच हुई है कि जिसके आधार पर स्थानान्तरण किया गया है ? वह एक ही जांच बता दी जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल—मैंने दो-तीन बार बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मजबूरी है।

श्री भैरूंसिंह—जिन बातों को बताया है उनमें से कौन सी बात के लिये स्थानान्तरण किया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—डिप्टी डाइरेक्टर ने जो अपनी जांच के बाद में रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर जो इन्क्वायरी बाकी है वह तो है, लेकिन जो इन्क्वायरी हो चुकी है उसके आधार पर किया गया है।

श्री मानसिंह—क्या रिपोर्ट पेश की है उन्होंने ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—मैंने आपको बताया था कि उनका सबोर्डिनेट के प्रति व्यवहार खराब था, जनता के साथ व्यवहार खराब था, आफिस के अन्दर मेनेजमेंट बुरा था, लोगों से बुरी तरह से पेश आते थे। इसके संबन्ध में जानकारी की गई और जो इन्क्वारी चल रही है उसको देखकर किया जायगा।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने सरकार से सिफारिश की थी किउन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अभी दूसरी तरह की इन्क्वारी कम्प्लीट नहीं हुई है, इसलिए कोई एक्शन लेना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि डिप्टी डाइरेक्टर ने स्थानातरण के लिए सिफारिश की थी ?

श्रीमती बेनीवाल—डिप्टी डाइरेक्टरने कुछ भी सिफारिश नहीं की थी। गवर्नमेंट ने उचित समझा, इसलिए कर दिया।

श्री भैरूंसिंह—गवर्नमेंट ने शिकायतों के कारण स्थानान्तरण करने के बारे में एक्शन कैसे लिया, जब कि डिप्टी डाइरेक्टर ने ऐसी रिपोर्ट नहीं की थी ?

(घंटी)

[श्री भैरूं सिंह]

माननीय अध्यक्ष, यह बिल्कुल सही सवाल है कि सरकार के पास में डिप्टी डाइरेक्टर ने कोई रिपोर्ट नहीं की तो सरकार ने किस निर्णय के ऊपर उनका स्थानान्तरण कर दिया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने आपको बताया कि जिस आधार पर ट्रान्सफर किया जा सकता था उतना सा तो डिप्टी डाइरेक्टर ने मन्शन किया था। उसका तो है। किस आधार पर उसको डिसमिस किया जाय या ट्रान्सफर किया जाय, यह कोई उन्होंने सजेस्ट नहीं किया था।

श्री भैरूं सिंह—यह क्या इन शिकायतों की जांच होकर रिपोर्ट डिप्टी डाइरेक्टर की तरफ से सरकार के समक्ष आई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जांच हो रही है, पूरी होने पर रिपोर्ट आयेगी।

श्री भैरूं सिंह—यह जांच कार्यालय में हो रही है या सीकर जाकर जांच कम्प्लीट होगी।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जैसी जरूरत होगी।

श्री भैरूं सिंह—चार महीने हो गये अभी तक जांच पूरी क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७१७

परवतसर तहसील में जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् नई लागें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) परवतसर तहसील में जागीर पुनर्ग्रहण के बाद क्या क्या नई लागें सरकार के द्वारा किस किस ग्राम में वसूल की गई हैं।

(ख) उक्त लागें किस कानून के अन्तर्गत किस किस अधिकारी द्वारा वसूल की गई हैं ?

(ग) किस किस ग्राम के किसानों ने उक्त लागों के खिलाफ सरकार को आवेदन पत्र प्रेषित किये हैं ?

श्री संपतराम (उप मंत्री)—(क) जागीर पुनर्ग्रहण होने के पश्चात् जो मलवा लाग देते थे उस लाग के बजाय ३ पाई प्रति रुपये के हिसाब से सिवाय रोज के वसूल किया गया है।

[श्री सम्पतराम]

(ख) उक्त सिवाय रोज पटवार मारवाड़ मलवा फन्ड में सिवाय रोज के अन्दर वसूल होती रही।

(ग) जिन जिन ग्रामों के किसानों ने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं उनके नाम हैं बोराव धूलिया आदि।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो सिवाय नाम की लाग लगाई गई है वह अवैधानिक है।

श्री संपतराम—माननीय सदस्य को यह पता है कि इस प्रकार की कम्प्लेन्ट जब से सरकार के सामने आई थी तो माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में आज्ञाएं जारी की थीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि माननीय राजस्व मन्त्री के आदेश होने केर बाद भी कोई तामील न होकर अब तक इस तरह की लाग वसूल की जा रही है?

श्री संपतराम—आप इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद में जांच करने पर जो तथ्य सामने आयेंगे उन पर कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ७१८

राजस्थान में जिला बोर्ड के अध्यक्षों को ओनरेरियम-विशेषतया सीकर जि०बो० के अध्यक्ष को

श्री भैंरू सिंह(१६)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में जिला बोर्ड के अध्यक्षों को कितना कितना ओनरेरियम मिलता है?

(२) क्या यह सही है कि सीकर जिला बोर्ड के अध्यक्ष को भी ओनरेरियम मिलता था जो अब बन्द कर दिया गया है। यदि हां तो कब से, और क्यों?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(१) किसी को भी नहीं।

(२) अध्यक्ष, जिला बोर्ड, सीकर ने दिनांक ११. ३. ५४ से २५० रु० माहवार का ओनरेरियम बिना आज्ञा के लेना प्रारम्भ कर दिया था। वह बन्द कर दिया गया है। उसके वापिस लेने की आज्ञा दी जा चुकी है।

श्री भैंरूसिंह—आज्ञा दी जा चुकी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आज्ञा दी जा चुकी है ।

श्री भैंरू सिंह—आज्ञा कब दी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—करीब ४ महीने हो गए ।

श्री मानसिंह महार—कुछ वसूली हुई क्या अब तक ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नोटिस दिया गया है कि जमा करवा दो, वर्ना कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—आप मदद करियेगा ।

प्रश्न संख्या ७१६

ग्राम बगड़ी जिला पाली में शासकीय शिक्षण व्यवस्था

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम बगड़ी जिला पाली की जन संख्या क्या है ?

(२) उक्त ग्राम में सरकार की तरफ से शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(३) उक्त ग्राम की किस किस माध्यमिक पाठशाला को सरकार के हाथ में लेने के लिए कब कब वहां की जनता ने मांग रखी ?

(४) उक्त स्कूलों में छात्रों की संख्या कितनी है ?

(५) उक्त स्कूलों को राज्य के नियन्त्रण में नहीं लेने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मन्त्राणी)—(क) ६००० हैं ।

(२) यहां राजकीय सहायता प्राप्त एक माध्यमिक शाला गत २६ वर्षों से चल रही है ।

[श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल]

(३) इस पाठशाला को सरकार के नियन्त्रण में लेने के लिए जनता की मांग सितम्बर १९५५ में सरकार के सामने आई।

(४) उक्त पाठशाला में छात्र संख्या जनवरी, १९५६ में २२३ थी।

(५) उक्त पाठशाला को सरकारी नियन्त्रण में दिनांक १. १०. १९५५ से लेने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार ने जो आदेश दिये हैं उनके अन्तर्गत अभी तक यह स्कूल सरकार के नियन्त्रण में नहीं ली गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच करके फौरन ही कार्यवाही की जायगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस तरह के आदेश जारी होने के बाद भी इस स्कूल को नियन्त्रण में नहीं लेने के बारे में माननीय मन्त्रीजी से एक डेपुटेशन इस सम्बन्ध में मिला था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है। मंत्रीजी से मिला होगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब इसे शीघ्र ही नियन्त्रण में लिया जायगा और नियन्त्रण में नहीं लेने की जिस अधिकारी द्वारा गलती हुई है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जायगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी) मुझे जानकारी है कि यह नियन्त्रण में लिया गया है और यदि नहीं लिया गया है तो फौरन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२०

परगना टीबी (त० हनुमानगढ) में भूमि विक्रय की रजिस्ट्रियां हो जाने के पश्चात् उनका इन्तकाल

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित बातें बतलाने की कृपा करेंगे ?

[श्री गुरुदयालसिंह संधु]

परगना टीबी तहसील हनुमानगढ जिला गंगानगर में जमीनों की बिक्री की रजिस्ट्रियां हो जाने के बाद भी जमीन के इंतकाल क्यों नहीं दर्ज किए जाते हैं ?

श्री संपतराम (उप मन्त्री)–इस प्रकार की शिकायतें सरकार के सामने कोई नहीं आयी हैं। अगर कोई पूरे फेक्ट्स के साथ शिकायत आयेंगीं तो उनको जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या इस मामले की सरकार जांच करने के लिए तैयार है कि जमीनों के सैंकड़ों इन्तकाल दर्ज हुए हैं ?

श्री संपतराम—यदि फेक्ट्स की कोई जानकारी करायेंगे तो आवश्यक कार्यवाही जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या जिला गंगानगर में जमीनों की बिक्री के सम्बन्ध में अलग कोई हुकम लागू कर रखा है ?

श्री संपतराम—वह तो रूल्स में देखने की बात है। जिस इलाके का आपने जिक्र किया उसके सम्बन्ध में यदि कोई स्पेसिफिक बात बतावेंगे तो उसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—तो इससे क्या यह समझा जावे कि जमीनों की फरोख्तगी के सम्बन्ध में कोई पाबन्दी नहीं है ?

श्री सम्पतराम—कानूनी पाबन्दी तो कानून के देखने से मालूम होगी।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—फिर क्या समझा जावे कि कोई पाबन्दी है या नहीं ?

श्री संपतराम—कानूनी पाबन्दी है या नहीं, इसके लिए कानून को देखिये।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जिला गंगानगर में अलहदा हुकम क्यों लागू किया जावे ?

श्री सम्पतराम—गंगानगर में कोई खासियत है तो बतायें, उसकी जांच करके आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—राजस्थान के थोड़े से एरिया में कोई दूसरी पाबन्दी क्यों लगे, जब कि सारे राजस्थान के दूसरे हिस्से में नहीं है ?

श्री सम्पतराम—कौनसी पाबन्दी से मतलब है ?

श्री गुरुदयालसिंह संधु—जमीनों की फरोख्तगी के सम्बन्ध में ?

श्री सम्पतराम—यदि जमीन लेने वाला और फरोख्त करने वाला दोनों राजी हैं तो इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२१

मालपुरा (जि० टोंक) नगरपालिका के चुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह न देना

श्री भैरुंसिंह:— क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि जिला टोंक में मालपुरा नगरपालिका के चुनाव में उम्मदवारों को चुनाव चिन्ह नहीं दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ? अशिक्षित मतदाताओं के मतदान को गोपनीय रखने के लिए उनके मतदान की क्या व्यवस्था की गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) जी हां।

(ख) क्योंकि इनकी कोई मांग नहीं की गई। उम्मीदवारों ने अपनी कॉन्स्टीट्युन्सी में मतदाताओं को अच्छी तरह समझा दिया था कि उनका नाम मत-पत्र में कहां है और उनको कहां क्रोस लगाना है। इस कारण पोलिंग ओफिसरों को अशिक्षित मतदाताओं की सहायता देने की बहुत कम आवश्यकता पड़ी तथा जब उनकी सहायता चाही गई उस समय पोलिंग ओफिसर ने मतदाता की इच्छानुसार क्रोस लगाया, यह कार्यवाही गुप्त रखी गई।

श्री भैरुंसिंह— ये केन्डीडेट्स की इच्छा पर सिम्बल्स दिये जाते हैं या रिटर्निंग ओफिसर की इच्छा पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— नोटिस जारी कर दिया गया २०. ८. ५५ को कि सिकोई सिम्बल लेना चाहे तो ले, लेकिन उसके लिए किसी ने एप्लाई नहीं किया।

श्री भैरुंसिंह— मेरा प्रश्न दूसरा है। रिटर्निंग ओफिसर द्वारा सिम्बल दिया जाना चाहिए या यह केन्डीडेट की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह ले या न ले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— केन्डीडेट्स को लेना चाहिए। एप्लाई करना चाहिए।

Page No 16

श्री भैरुंसिंह – केन्डीडेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो क्या रिटर्निंग ओफिसर की इच्छा पर है कि वह दे या न दे; क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता – ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री भैरुंसिंह – डेफिनिट बताइये; "मालूम पड़ता है" नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता _ This is provided in the rules.

श्री भैरुंसिंह – क्या यह सही है कि यदि इलेक्शन में खडा होने वाला केन्डीडेट सिम्बल नहीं चाहे तो क्या रिटर्निंग ओफिसर उसको सिम्बल नहीं देगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता – मैंने कहा कि यह रूल्स में प्रोवाइडेड है। मैंने बताया था कि किसी ने एप्लाई नहीं किया और कहने पर भी नहीं दिया हो तो यह बात नहीं है, तहकीक बात है जो मैंने आपको बतायी।

श्री भैरुंसिंह – चुनाव में उनके वोट्स को गोपनीय रखने की क्या व्यवस्था है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता – बेलट बोक्सेज पर्दे में रखे थे क्रोस लगा कर जिसको जिसमें डालना था डाल दिया।

श्री भैरुंसिंह – अशिक्षित आदमी क्रोस किस तरह लगावे, उसको वे क्या जानें तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— पांच आदमी थे; ऊपर नीचे क्रोस लगा दिया, डाल दिया।

श्री भैरुंसिंह— कई वार्डों में दो से अधिक मेम्बर हैं। दो से ज्यादा थे उनमें बिना लिखे पढ़े लोग किस तरह से क्रोस लगा सकते थे, तो उनकी गोपनीयता के बारे में क्या व्यवस्था की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— दो से ज्यादा नहीं थे, I have got definte information.

श्री भैरुंसिंह— यदि दो से ज्यादा हैं तो फिर उनके मतों को किस तरह से गोपनीय रखने की व्यवस्था की गई ?

(घन्टी)

श्री अध्यक्ष— "यदि" का सवाल नहीं है।

Page No 17

श्री भैरुंसिंह – केन्डीडेट्स को नोटिस था, कोई मांगे तो सिम्बल दे, लेकिन मैं यह कहता हूं कि उनको नहीं दिया और उन मतदाताओं के मतों को गोपनीय रखने को किस तरह से व्यवस्था की ?

श्री अध्यक्ष – इसके बारे में रुल्स हैं।

श्री भैरुंसिंह – रूल्स में यह साफ है कि रिटर्निंग ओफिसर सब को सिम्बल देगा।

श्री अध्यक्ष – साफ है तो ठीक है। फेक्ट्स के बारे में पूछिये।

श्री भैरुंसिंह – कई मतदाताओं ने रिटर्निंग ओफिसर को लिख कर दिया कि हमको सिम्बल दिया जाय, लेकिन नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष–– Drapping in the dark.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२२

किशनगढ़ में छात्रावासों में विद्यार्थियों के प्रवेश के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ में कितने छात्रावास हैं और उनमें किस किस क्लास के छात्रों को प्रवेश मिलता है ?

(२) उक्त छात्रावास में कितने कितने छात्रों के निवास की व्यवस्था है और छात्रों की औसत संख्या कितनी रहती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मंत्राणी)— (१) एक छात्रावास है।

(२) कक्षा ६ से १२ तक के छात्रों को प्रवेश मिलता है।

(३) २४ छात्रों की व्यवस्था है। इस वर्ष छात्रों की अधिकतम छात्र संख्या ११ रही है।

(प्रश्न का ३ भाग मूल प्रश्न में नहीं है, किन्तु सदन में पढ़ा गया)

श्री चांदमल मेहता—कक्षा ९ से नीचे के छात्रों के लिए कोई व्यवस्था न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आवश्यकता नहीं है इसलिए।

श्री चांदमल मेहता—यह आवश्यता की किस तरह से जानकारी हासिल की गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अपने आप कर लेते होंगे व्यवस्था इसलिए जरूरत नहीं पड़ी

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि कक्षा ९ से नीचे के छात्रों को दाखिल नहीं करते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कक्षा ९ के छात्रों को छात्रावास में जाने की इजाजत दी जायगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी जानकारी करके व्यवस्था की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२३

तहसीलदार पदमपुरा का जनवरी १९५४ से दौरा एवं वहां तहसीलदारों के स्थानान्तर

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसीलदार पदमपुर १ जनवरी, १९५४ से आज तक कितने दिन तहसील में हाजिर रहा और वहां कितने तहसीलदारों के तबादले कब कब हुए ?

(ख) तहसीलदार की तहसील से इतनी लम्बी गैरहाजरी का क्या कारण था ?

श्री सम्पतराम (उप मंत्री)—(क) तहसील पदमपुर में दिनांक १. ४. ५४ से ३१. ३.५६ तक तीसरे तहसीलदार काम कर रहे हैं और वे कुल ५०५ दिन तहसील में रहे।

इस अवधि में दो तहसीलदारों के तबादले क्रमशः २९. २. ५६ एवं १३. ३. ५६ को हुए।

(ख) तहसीलदार गैरहाजिर नहीं रहा परन्तु बीमारी की छुट्टी में जरूर रहा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—इतनी कम हाजिरी का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम—मैंने आपको बताया कि जब बीमार था तो वह छुट्टी ले सकता था और नियमानुसार उसको छुट्टी दी गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एक तहसीलदार का ६ दिन के बाद तबादला हो जाने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम—मैं आपका मतलब समझा नहीं ?

श्री अध्यक्ष—एक तहसीलदार का ९ दिन में तबादला हो जाने का क्या कारण है ?

श्री सम्पतराम—जिस तहसीलदार को वहां डेप्यूट किया गया था वह जूनियर था। नोखा में एक डेवलपमेन्ट ब्लॉक खोला था, वहां एक एडीशनल तहसीलदार की आवश्यकता थी और और एडीशनल तहसीलदार के पद पर किसी जूनियर की नियुक्ति हो सकती है; ऐसा रेवेन्यू बोर्ड का नियम है और इसके मुताबिक जूनियर मोस्ट को वहां नियुक्त किया गया था।

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—सीनियर तहसीलदार की क्या जरूरत हो सकती है कि जूनियर को ९ दिन के अन्दर ही बदलना पड़ा ?

श्री सम्पतराम—पदमपुरा में सीनियर का जिक्र नहीं किया। मैंने तो यह कहा था कि नोखा में एक डेवलपमेन्ट ब्लोक खोला था और उसमें एक एडीशनल तहसीलदार की आवश्यकता थी और ऐसा प्रेक्टिस है रेवेन्यू बोर्ड का कि जूनियर मोस्ट को एडीशनल तपसीलदार लगाया जाय इसलिए चूंकि वे जूनियर थे इसलिए उनको वहां लगाया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पदमपुर में कम्युनिटी प्रोजेक्ट है ?

श्री सम्पतराम—सरकार की जानकारी में है या नहीं, लेकिन आयगा; आपकी जानकारी अवश्य है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब कम्युनिटी ब्लॉक था तो फिर वहां जूनियर को हटा कर सीनियर को लगाने का क्या कोई खास कारण था ?

श्री सम्पतराम—मैंने नोखा के लिए जिक्र किया था। चूंकि जूनियर मोस्ट को नोखा में एडीशनल तहसीलदार लगाना था इसलिए उनको वहां भेजा गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—६ दिन में ही ऐसा क्यों महसूस किया ! क्या वहां किसी विशेष पार्टी के मन नहीं भाता।

श्री सम्पतराम—डेवलपमेन्ट ब्लॉक बाद में खोला गया था। इतना बड़ा राजस्थान है, कई रद्दोबदल होती रहती हैं।

श्री धर्मपाल—उस तहसीलदार को कौनसी जगह भेजा गया ?

श्री सम्पतराम—आपका मतलब कौनसे तहसीलदार से है ?

श्री धर्मपाल—जो पदमपुरा में पहले था उससे ?

श्री संपतराम—यह अलग सवाल है, अलग से पूछिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जगतसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ७२४

[प्रश्नकर्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७२५

३१ मार्च, १९५६ को सर्टिफिकेट ओफ एप्रूवल ओफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स व माइनिंग लीज़ के विचाराधीन मामले

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) ३१ मार्च १९५६ को सर्टिफिकेट ओफ एप्रूवल प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स और माइनिंग लीज़ के कितने कितने मामले किस किस डिविजन में पेन्डिंग थे ?

(ख) उक्त मामले किस किस के हैं, कितने समय से पेन्डिंग हैं और उनके पेन्डिंग रहने का क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, खनिज विभाग)—(क) ३१ मार्च, १९५६ को डिविजनल कार्यालय खनिज अभियन्ता में निम्नलिखित सी. ए. पी. एल और एम. एल के मामले पेंडिंग हैं :

(अ) सी. ए. २२ (उदयपुर ४, जयपुर १२, जोधपुर ६)
(ब) पी. एल. १३७ (उदयपुर ८०, जयपुर ३१, जोधपुर १८, कोटा ५, व अलवर ३)
(स) एम. एल. ८१ (उदयपुर ५६, जयपुर ११, जोधपुर ७, कोटा १, अलवर ६)

(२) सी. ए. पी. एल. और एम. एल. के कुछ मामले पेन्डिंग रहने के कारण निम्नांकित हैं :

[श्री भोगीलाल पंड्या]

१. बहुधा प्रार्थी आवेदन-पत्र की खानापूरी जैसी चाहिए वैसी नहीं कर पाते ।

२. वे अपने को टेक्निकल आदमी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करते और अपनी आर्थिक हालत का प्रमाण पत्र बैंक या जिलाधीश द्वारा आवेदन-पत्र के साथ पेश नही करते ।

३. प्रार्थी पी. एल. या एम. एल. का आवेदन पत्र पेश करते समय बहुधा इन्कम टेक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट संलग्न नही करते व इच्छित क्षेत्र सही नक्शा नहीं देते । बहुत करने पर भी इच्छित क्षेत्र को नाप कर विभाग द्वारा प्रमाणित करवाने में काफी समय लग जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि पी. एल. और एम. एल. के मामलों को फेसला करने के लिए कोई अवधि निर्धारित है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने आपको अभी बतलाये हैं जो कारण हैं । यह कारण जब पूरे हो जाते हैं, तब अवधि होती है । जब प्रार्थना-पत्र पूरा नहीं होता तो तब अवधि का कोई कारण नहीं समझता हूँ ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो मामले पेंडिंग हैं उनके जो कारण माननीय मंत्रीजी ने बतलाये हैं उनके सिवाय भी कोई कारण हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे खयाल से एक भी नहीं है । आप निश्चित तथ्य बतायें तो नोट करके आगे के लिए ध्यान रक्खूंगा ।

प्रश्न संख्या ७२६

पांच मील से दूर वेतन लेने आने वाले अध्यापकों को टी० ए०-विशेषतया जहाजपुर तहसील में

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार पांच मील से दूर वेतन लेने आने वाले अध्यापकों को आने जाने का मार्ग व्यय देती है ?

(२) यदि हां, तो जहाजपुर तहसील के कितने अध्यापकों को कितना कितना मार्ग व्यय सन् १९५५-५६ में दिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी हां ।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ज) जहाजपुर तहसील के अध्यापकों की ओर से ५५-५६ में कोई क्लेम नहीं किया गया, अतः कुछ रकम व्यय नहीं हुई ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या इस प्रकार के सारे आदेश जिला शासन को दिये जा चुके हैं कि ५ मील से दूर से वेतन लेने आने वालों को मार्गव्यय नहीं दिया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अब देने का क्या सवाल है, वह पहले से हो है,

श्री उपाध्यक्ष—जो अध्यापक ५ मील से अधिक की दूरी से आयें तो क्या उन्हें इस प्रकार से भत्ता देने के लिए जिला अधिकारियों को आदेश प्राप्त हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां,

श्री श्रीदास गोयल—जब और मामलों में जिला अधिकारियों ने भत्ता नहीं दिया तो क्या वह क्लेम करने पर दिया जाता है या ज्यादातर स्वयं आपने आप दे देते हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मुझे तो पता नहीं, ऐसा आपको कहां से पता लगा ।

श्री श्रीदास गोयल—जहाजपुर के लिए आपने कहा है कि ५५ ५६ में कोई क्लेम नहीं किया गया ।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—क्लेम नहीं होता है, उन्हें ५ मील से दूर जाना नहीं पड़ा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—क्लेम करेंगे तो दे दिया जायगा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो कुछ होता है तो जरूर दिया जायगा ।

प्रश्न संख्या ७२७

भीलवाड़े जिले की तहसीलों में जागीर क्षेत्रों सहित बन्दोबस्त कार्यवाही की समाप्ति

श्री तेजमल बापना—Will the Revenue Minister be pleased to reply to the following question :

(1) Are settlement operations complete in all the Tehsil of Bhilwara District includiug Jagir areas ?

[श्री तेजमल बापना]

(2) What is the rate of land revenue Tehsilwise for fallow land which is allotted afresh for cultivation ?

(3) Is it a fact that many Jagirdars have imposed higher rates of evenue in the recent allotment of land by way of Bapi Pattas ?

(4) If so, what relief is going to be provided for cultivators not to pay higher rate of revenues than that fixed by settlement for such land ?

श्री सम्पतराम (उप-मंत्री)—(1) Settelement operations in all the Tehsils of District Bhilwara including Jagir areas have been completed.

(2) Statement showing tehsilwise rates of fallow soil classes is attached herewith, In Mewar, there is a land called 'Kanun bandobast Jagirat' according to which rents of 'Notor' lands can be fixed.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(3) Yes.

(4) According to the provisions of Tenancy Act the cultivator can approach the court of S. D. O., Assistant Collector for redressing his this type of difficulty,

प्रश्न संख्या ७२८

श्री अध्यक्ष—श्री भगवान सिंह तरंगी।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७२९

मिडिल स्कूल तामकोट को पिछले तीन वर्षों में जलधारी, भंगी आदि के लिये दी गई धनराशि

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) मिडिल स्कूल, तामकोट, को पिछले तीन साल में कितने रुपये वाटरमैन, भंगी आदि के लिये दिये गये ? सालवार और महावार बतलाया जावे ?

[श्री गुरुदयालसिंहसन्धु]

(ख) यदि कोई रकम नहीं दी गई तो बच्चों के पीने के पानी आदि का प्रबन्ध क्या है ?

(ग) क्या सरकार भविष्य में तामकोट मिडिल स्कूल में चपरासी, पानी वाले व सफाई का प्रबन्ध करेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी) – अध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसकी यहां सूचना भी दी गई है इसलिए इसका जवाब अभी नहीं दूंगी।

श्री अध्यक्ष – नेक्स्ट टर्न पर ले लिया जाय ?

प्रश्न संख्या ७३०

देवस्थान विभाग में पेन्शन प्राप्त कर्मचारियों को हटा कर नये कर्मचारी रखने संबन्धी

महाराज श्री केसरी सिंह – क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सही है कि महकमा देवस्थान में काफी तादाद में पेन्शन याफता मुलाजिम काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो कौन २ और किस किस जिले में और क्यों ?

(ब) क्या सरकार पेंशन याफता मुलाजिमान की जगह पर नये मुलाजिम रखने का विचार रखती है ?

श्री संपतराम (उपमन्त्री)—(अ) जी नहीं, देवस्थान विभाग के रेग्युलर एस्टेब्लिशमेंट में पेंशन याफता कोई मुलाजिम काम नहीं कर रहे हैं। सेल्फ सपोर्टिंग एवं फन्ड्स टेम्पल्स में कहीं कहीं पेन्शन याफता काम कर रहे हैं जिनकी सूची मंगाई जा रही है।

(ब) यह मामला विचाराधीन है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सत्य है कि भंवरलाल बूंदी के अन्दर काम कर रहे हैं और पेन्शन याफता हैं ?

श्री संपतराम—जिला बूंदी में करीब करीब ३,४ ऐसे हैं कि जहां पेन्शन याफता काम कर रहे हैं, वे बहुत दिन से काम कर रहे हैं ?

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या उनकी जगह नये मुलाजिम रखने का सरकार का विचार नहीं है ?

श्री संपतराम—उनको पहले अलग अलग तनख्वाहें मिलती थीं अब गवर्नमेंट ने डिसीज़न किया है कि इनकी तनख्वा ४०-१-५० होगी ! नये मेंड्स जल्दी ही आ रहा हैं उसके बाद में नया रिक्रूटमेंट कायदे कानून के मुताबिक किया जायगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—रिक्रूमेंट कब शुरू हो जायगा ?

श्री संपतराम – निश्चित तारीख तो नहीं बता सकता हूँ।

श्री मानसिंह महार—बूंदी के अलावा और कहां पेन्शन याफता काम कर रहे हैं ?

श्री संपतराम – मैंने अभी आपसे अर्ज किया है कि कम्प्लीट इन्फॉरमेशन प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न संख्या ७३१

श्री अध्यक्ष—चौधरी श्री मोटाराम।

[श्री अध्यक्ष]

(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ७३२

श्री भगवानसिंह तरंगी

(अनुपस्थित–कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बृजेन्द्रपालसिंह ।

प्रश्न संख्या ७३३

तहसील करौली द्वारा पन्चायतों के सम्मन तामील समय पर कराने की सुव्यवस्था करने सम्बन्धी

श्री जवानसिंह(श्री बृजेंद्रपाल की अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से)–क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि तहसील करौली पंचायतों के सम्मन, आदि समय पर तामील नही कराती है ?

(ख) क्या तहसील कर्मचारियों को पंचायतों को सहयोग देने का कोई आदेश दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) जी नहीं ।

श्री जवानसिंह—क्या सूचना, प्राप्त करने की कोशिश की जायगी ?

श्री गुप्ता—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । दफा ४६ (३) के मातहत तामील कराते हैं एस. डी. एम. और मुन्सिफ कराते हैं । ऐसी कोई कम्पलेन्ट आई नहीं है । तहसील का कोई सवाल नहीं आता है ।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस बात की जानकारी करने की कोशिश करेगी कि सम्मन बहुत देरी से पहुंचे या नहीं ?

श्री गुप्ता—आप कोई तहकीक जानकारी बतायेंगे तो पता लगाऊंगा कि कहां की शिकायत है ।

Page No 26

प्रश्न संख्या ७३४

रूरल वाटर सप्लाई स्कीमों के अन्तर्गत पन्चायत विभाग को १६५५-५६ में मिली हुई धनराशि

श्री घासीराम—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पंचायत डिपार्टमेंट को १६५५-५६ तक कितने रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार द्वारा मिले ?

(ख) क्या इन रुपयों का हिसाब जो ३० जून, सन् १६५५ तक आना था आगया है, अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) यह रुपया किस किस जिले में किन किन ग्रामों को किन किन की मारफत दिया गया है और उनमें से किन किन ग्रामों का हिसाब आगया है ?

(घ) क्या उपरोक्त कार्यों की विभागीय जांच होगई और क्या किसी पंचायत या ग्राम में इस रकम का दुरुपयोग होना पाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) ५३—५४ में ५,६७,३१४ रु०, सन् ५४—५५ में २२,६५,६४५ रु० व सन् ५५—५६ में ६५,७६,७३० रु० दिए गये।

(ख) हिसाब पंचायत एडहॉक कमेटी के पास है।

(ग) जिलेवार दिए हुए द्रव्य की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। ग्रामवार जो रुपया दिया गया है व पंचायतों की एडहॉक कमेटियों के द्वारा दिया गया है उसकी सूचना नहीं है क्यों कि उस रुपये का हिसाब किताब ग्राम पंचायतें और एडहॉक कमेटियों के पास है।

(घ) जी हां, जहां पर दुरुपयोग होना जाहिर आया उसकी जांच जारी है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री घासीराम—मेरे पास लिस्ट नहीं आई है।

श्री गुप्ता—मैंने यहां आफिस में दे दी थी।

श्री अध्यक्ष—वह नोटिस ब्रांच में है। आप वहां से लेलें।

प्रश्न संख्या ७३५.

मल्टी परपज़ हाई स्कूल में यू. डी. सी. की नियुक्ति के आधार

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) मल्टी परपज़ हाई स्कूल में यू. डी. सी. (अपर डिवीजन क्लिर्क्स) की नियुक्ति किस आधार पर की गई ? क्या ऐसा करते समय शिक्षा विभाग के समस्त एल. डी. सीज़ का ध्यान रखा गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि सीनियर एल. डी. सी. को छोड़कर जूनियर एल. डी. सी. को यू. डी. सी. का चान्स दिया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी) (क) मल्टी परपज़ हाई स्कूलों में अपर डिविजन क्लिर्कों की नियुक्तियां समयाभाव के कारण अस्थाई तौर पर उसी स्कूल के सीनियर एल. डी. सी. की की गई थी।

(ख) ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं है।

प्रश्न संख्या ७३६

सन् ५१–५२ में कम मूल्य पर अनाज विक्रय की व्यवस्था के अन्तर्गत दलालों को डिफरेन्सेज़ देना

श्री हनवन्तसिंह—क्या खाद्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने सन् १९५१–५२ में कम कीमत पर अनाज बिकवाने की व्यवस्था की थी ?

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी ?

(ग) क्या यह सच है कि भाव में जो डिफरेन्सेज़ थे सरकार ने एजेन्ट्स को उसका पेमेन्ट देने की व्यवस्था की थी ?

(घ) क्या यह डिफरेन्सेज़ चुका दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) हां, सरकार ने सन् १९५१—५२ में कम कीमत पर अनाज बिकाने की व्यवस्था की थी।

Page No 28

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) अनाज के भावों में कमी करके उसे राशन की दुकानों पर ही बिकवाया गया।

(ग) यह सच है कि सरकार के पास जो भी इस प्रकार के डिफरेन्स के केस आये उन पर फर्क का रुपया देने का यथोचित विचार किया गया।

(घ) बहुतों को रकम का पेमेन्ट कर दिया गया है और दूसरे प्रार्थनापत्रों पर भी उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री जवानसिंह—यह जो १२ हजार रुपया बाकी बताया था वह ब्याज समेत वापिस लौटाया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सुना नहीं।

श्री जवानसिंह—यह जो १२ हजार बतलाया गया है वह ब्याज समेत वापिस लौटाया जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—जैसा नियम होगा उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ७३७

पंचायतों के अन्तर्गत खोले गये प्रारम्भिक स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा लेना विशेषतया भीलवाड़ा जिले के

श्री तेजमल बापना—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायतों के अन्तर्गत खुले हुए प्रारंभिक स्कूलों को शिक्षा विभाग ने अपने अधिकार में ले लिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(२) भीलवाड़ा जिले में ऐसे कितने स्कूल कहां २ खुले हुए थे और कौन २ अध्यापक नियुक्त किये गये थे तथा उन्होंने पंचायतों के अधीन कब तक काम किया ?

(३) क्या यह सही है कि उस समय का वेतन अभी तक उनको नहीं चुकाया गया है ?

(४) यदि हां, तो अब कब तक उन्हें चुकाने की व्यवस्था की जाने की संभावना है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मंत्राणी)—(क) जी हां, माह जनवरी १६५५ से।

(ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

(ग) जी हां।

(घ) अध्यापकों को बकाया रकम चुकाने के लिये २५, ४२२ रु० की सहायता की स्वीकृति पंचायत विभाग को दी जा चुकी है। (कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, मुझे तालिका नहीं मिली है, पढ़ दिया जाय।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं पढ़ कर सुना देती हूं।

श्री अध्यक्ष—कितनी बड़ी तालिका है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—१६ नाम हैं।

श्री अध्यक्ष—लिस्ट दे दीजियेगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यमाननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जहाजपुर की तहसील में ग्राम पंचायतों द्वारा चलाये हुए स्कूलों को गवर्नमेंट ने अपने अन्डर में नहीं लिया है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह अलग से प्रश्न है। अलग से प्रश्न पूछेंगे तो बताया जायगा।

श्री रामदयाल उपाध्याय—यह इसमें शामिल है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह इसमें शामिल नहीं है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—आपने कहा है कि ले लिया गया है, पर मैं कहता हूं कि नहीं किया गया है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं समझती हूँ कि मैंने जितनी रेकार्ड से जानकारी प्राप्त कर के दी है वह सही है।

श्री तेजमल बापना—वह पैसा कब तक चुकाया जायगा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मन्जूरी दी जा चुकी है। जल्दी ही चुका दिया जायगा।

श्री तेजमल बापना—मन्जूरी कब दी गई है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—तारीख तो मेरे पास नहीं है पर काफी अरसा होगया है।

प्रश्न संख्या ७३८

चाकसू होस्पिटल में डाक्टर भेजने की व्यवस्था करना

श्री अंगदराम—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चाकसू होस्पिटल में करीब दो माह से डाक्टर नहीं होने का क्या कारण है?

(२) अब कब तक भेज दिया जायेगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—

(१) डाक्टरों का अभाव।

(२) ता० १७-४-५६ को डाक्टर पहुँच गया है।

प्रश्न संख्या ७३६

राजस्थान में रविदास जयन्ती की सार्वजनिक छुट्टी करने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री तेजपाल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या सरकार के ध्यान में है कि भारत के अन्य कई राज्यों में महावीर जयंती और गुरु नानक आदि की जयंती के साथ रविदास जयंती की भी सार्वजनिक छुटी रखी जाती है?

(ब) यदि हां, तो फिर राजस्थान में रविदास जयंती को सार्वजनिक छुट्टी न रखने का क्या कारण है?

(स) क्या आगामी रविदास जयंती की छुटी रखने का सरकार विचार रखती है?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(अ) गुरु रविदास की जन्म तिथि सार्वजनिक छुट्टी केवल हिमाचल प्रदेश, पटियाला व ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन में ही होती है।

Page No 31

[श्री रामकिशोर व्यास]

(ब) राजस्थान में रविदास जयंती की सार्वजनिक छुट्टी रखने का का प्रश्न सरकार के समक्ष पहिले कभी नहीं आया।

(स) इस पर यथा संभव विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—छुटियों का बडा जोर है।

प्रश्न संख्या ७४०

झुन्झुनू जिले के जल बोर्ड के वेतन व आलाउंस प्राप्त करने वाले कर्मचारी

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) झुन्झुनू जिले के जल बोर्ड में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन या अलाउन्स दिलाया जाता है ?

(२) उक्त कर्मचारियों के नाम व योग्यताएं क्या हैं और उनकी नियुक्तयां कितने कितने वेतन व भत्ते पर की गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) केवल ६।

(२) उक्त कर्मचारियों के नाम, योग्यता, तथा भत्ता इस प्रकार हैं:—

	नाम	पद	योग्यता	भत्ता
१.	श्री भागीरथमल	मंत्री जिला जल सहायक कमेटी	एम. ए..एल. एल बी.	१५० रु०
२.	श्री रत्नपालशर्मा	रोकडिया	मिडिल व ६ वर्ष का अनुभव	१२५ रु०
३.	श्री भैरोंसिंह	कार्यकर्त्ता	सार्वजनिक कार्यकर्त्ता	७० रु०
४.	श्री हरदेवसिंह	कार्यकर्त्ता	,,	७० रु०
५.	श्री खेतराम	,,	,,	७० रु०
६.	श्री गणपतराम	,,	,,	७० रु०

श्री श्रीदास गोयल—इन कर्मचारियों को वेतन कहा से दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कई बार बताया जा चुका है कि गवर्नमेन्ट से तो देना संभव नहीं है। जल बोर्ड से दिया जाता है।

श्री तेजपाल —मिडिल पास को १२५ रु०. क्यों दिये जाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ये रोकड का काम करते है और बहुत पुराने अनुभवी हैं।

प्रश्न संख्या ७४१

५३ से ५५ तक किन किन तहसीलदारों को एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बनाया गया

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ५३ से सन् ५५तक किन किन तहसीलदारों को एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बनाया गया ?

(२) क्या सीनियर तहसीलदार को न लेकर उनके बाद के नम्बर वाले तहसीलदार एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट बनाये गये ?

(३) क्या तहसीलदार गुरुदत्त प्रसाद बकानी का नम्बर ४६ था परन्तु उसका हक मार कर उन लोगों को तरजीह दी गई जो जूनियर थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)—(१) सन् ५३ से ५५ तक जिन तहसीलदारों को एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट बनाया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

(२) जिन के बारे में राजस्व मंडल और आर. ए. एस. सिलेक्शन कमेटी ने जिन को ज्यादा योग्यता समझा और जिनकी गवर्नमेंट को सिफारिश की उनको बनाया गया।

(३) इनके बारे में राजस्व मंडल ने सिफारिश नहीं की इसलिये इनको बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या यह पहले एस. डी. ओ. रह चुका था ?

श्री रामकिशोर व्यास—मैं आपका प्रश्न समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—फिर से आवृत्ति करिये।

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या यह पहले एस. डी. ओ रह चुका है?

श्री रामकिशोर व्यास—संभव है। जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या और भी तहसील ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट बनने से इन्कार किया?

श्री रामकिशोर व्यास—यह बनने का सवाल है, नहीं बनने का नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या ये तहसीलदार सीनियोरिटी के आधार पर एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट बनाये जाते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास—जवाब पूरा सुनते तो सवाल पूछने की तकलीफ नह फरमाते।

प्रश्न संख्या ७४२

ठिकाना रीभोनी के मन्दिर के पुजारी के लिए जीविकोपार्जन की व्यवस्था

श्री हंसराज जटिया—क्या देवस्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर सब डिविजन में ठिकाना रीभोनी में कोई मन्दिर है और उपरोक्त मन्दिर की सेवा पूजा ठिकाना समाप्त हो जाने पर भी बराबर जारी है?

(२) यदि हां, तो सेवा पूजा के वास्ते पुजारी को जीविका किस कदर दी जाती है?

श्री संपतराम (उप मन्त्री):—

(१) जी हां।

(२) जी हां। श्री गोपालजी के मन्दिर को सेवा पूजा के ३ रु० माहवार भूतपूर्व धौलपुर रियासत के समय से ही दिये जा रहे है।

प्रश्न संख्या ७४३

श्री अध्यक्ष—श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

Page No 34

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों की आवृत्ति।

(श्री अध्यक्ष ने श्री भगवानसिंह तरंगी, श्री जगतसिंह झाला, चौधरी श्री मोतीराम, श्री भगवानसिंह तरंगी और श्री मोहम्मद अब्दुल हादी के नाम पुनः पुकारे किन्तु इनके अनुपस्थित रहने के कारण इनके प्रश्न नहीं पूछे गये।)

सभापति तालिका, विशेषाधिकार समिति आश्वासन समिति एवं याचिका समिति के संबंध में अध्यक्षीय घोषणा

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि सभापति तालिका के लिए निम्नांकित ४ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :

१. केप्टिन श्री सज्जनसिंह

२. श्री जवानसिंह

३. श्री बद्रीलाल

४. श्रीमती यशोदादेवी

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित समितियों के मनोनीत सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

(१) विशेषाधिकार समिति :

१. श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)	सभापति
२. केप्टिन श्री सज्जनसिंह	सदस्य
३. श्री भैरूंसिंह खेजड़ला	,,
४. श्री टीकाराम पालीवाल	,,
५. श्री श्यामलाल गोयल	,,
६. श्री हिम्मतसिंह कुनाड़ी,	,,
७. डॉ. श्री मंगलसिंह	,,
८. श्री जवानसिंह	,,
९. श्री हरिकृष्ण व्यास	,,
१०. श्री भवानी सहाय	,,

[श्री अध्यक्ष]

(२) आश्वासन समिसि :

१. केप्टिन श्री सज्जनसिंह

२. श्री चांदमल मेहता

३. श्री नाथूराम मिर्धा

४. श्री हिम्मतसिंह कुनाड़ी

५. श्री तेजमल बापना

Shri Nathu Ram Mirdha will act as Chairman.

(३) याचिका समिति पिटीशन्स कमेटी

१. श्री लालसिंह शक्तावत	सभापति
२. श्री चन्दनमल वेद	सदस्य
३. श्री गनपतसिंह	
४. श्री ए० के० मुकर्जी	,,
५. श्री जवानसिंह	,,

राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा के प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ के संशोधनकी प्रस्तुति

श्री रामकिशोर व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा के प्रतिबन्ध) विनियम, १९५१ में नियुक्ति विभाग विज्ञप्ति संख्या डा० २० १६६७-६५ एफ. १४ (४) नियुक्ति (सी) । ५१, दिनांक २१ अप्रेल, १९५६, द्वारा जो संशोधन किया गया है उसको सदन की मेज पर रखता हुँ ।

राजस्थान कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुनः स्थापन)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष मैं राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुनः स्थापित करने की आज्ञा दी गई ।

श्री अमृतलाल यादव—मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

राजस्थान गोशाला विधेयक, १६५४
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान गौशाला विधेयक, १६५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम दिवस तक बढाया जावे ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त समय को बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)
समय बढ़ाया गया ।

राजस्थान नगर पालिका विधेयक, १६५४
(अग्रेतर खण्डश: विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष—राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल पर अग्रेतर विचार क्लॉज़ २०२० ।

श्री मानसिंह महार—क्लॉज़ २०२ डेफर कर दिया गया था और २०३ पर विचार चालू कर दिया गया था ।

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल की धारा २०३ एक बहुत ही घातक धारा है । इस धारा को देखने से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ढोल चोल पीटेंगे तो उस पर पाबन्दी होगी, लेकिन इस में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसके अंदर यह लिखा है :

"For the purposes of this section 'instrument' shall include a gramophone a wireless receiver, a loud speaker or any electrically or mechanically operated instrument capable of producing noise"

माननीय अध्यक्ष, मेरी यह धारणा है कि जनतंत्र के युग के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह अपनी मर्जी के माफक जनता के अंदर अपनी या अपना पार्टी का प्रचार कर सके । इस धारा के रहते हुए हम म्युनिसिपेलिटी को यह हक दे रहे हैं कि यदि कोई आदमी अपनी इच्छा से किसी म्युनिसिपिल एरिया में कोई मीटिंग करना चाहता है या और किसी प्रकार का ऐलान करना चाहता है तो उसको पहले म्युनिसिपेलिटी से इजाजत लेनी पडेगी । यदि वह इस प्रकार की इजाजत हांसिल नहीं करेगा तो उसको २५ रु० तक का जुर्माना देना पडेगा । मेरी समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, कि यदि कोई आदमी म्युनिसिपल एरिया में ढोल बजाता है, बाजे बजाता है तो उससे कौनसी न्यूसेन्स पैदा होती है । मैं यह समझता हूं कि ढोल और बाजों को किसी हद तक न्यूसेन्स मानलें तो कोई आदमी जयपुर की चौपड़ पर पब्लिक मीटिंग

[श्री मानसिंह महार]

करता है, माइक्रोफोन लगाकर बोलता है तो उसमें क्यों आपत्ति होनी चाहिये। कहा जाता है कि यह कह बडा आसान काम है आप चाहें जब म्युनिसिपेलिटी से इजाजत ले लीजिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपेलिटी में कई दफा ऐसा होता है किसी पार्टी विशेष का बहुमत होता है।

इस बहुमत के आधार पर वह पार्टी विशेष वाले लोग किसी दूसरी पार्टी वाले मीटिंग बगैरह करना चाहते हैं तो वह बाधा पहुंचाने के लिये १०० तरीके अपनाते हैं। पहले भी इस बात को लेकर कई बार यहां तक नौबत आई है कि दूसरी पार्टीवाले इजाजत चाहते हैं तो दफ्तर में ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि उनकी एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होती। उदाहरण के तौर पर यदि मैं आज शाम को मीटिंग करना चाहता हूं और दरखास्त देता हूं तो दफ्तर में यह हुक्म दे देते हैं कि दफ्तर में सुनवाई करने वाले आज नहीं हैं, कल दरखास्त दीजिये। मीटिंग आज होने जा रही है और दरखास्त पर कल सुनाई होगी, यह इस तरह की बात होती है तो सरकार गलती करती है, जनतन्त्र के युग में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मैं यह मान कर चलता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह धारा और खास कर एक्सप्लेनेशन नं० २ है उसके साथ रखा जाता है तो यह धारा बहुत घातक होगी। बीटिंग ओफ ड्रम के लिये या और बाजे बजाने के लिये यह दिया जाएगा, वैसे देखा जाए तो सिनेमा वाले बहुत डिस्टर्ब करते हैं पर आम तौर से देखा जाता है, कि उन्हें नहीं रोका जाता और उन्हें स्टेन्डिंग पर्मिशन मिल जाती है कि तुम बाजे बजा सकते हो, पर गरीब जनता पर इसका असर पड़ता है। साधन सम्पन्न आदमी हैं वे तो इस प्रकार की इजाजत म्युनिसिपेलिटी से ले लेते हैं पर गरीब तबके के आदमी, बिजलीघर के मजदूर, और दूसरे मजदूर सुबह ८ बजे से शाम के ४ बजे तक काम करते हैं और उनसे आशा करें कि मजदूरी छोड कर मीटिंग करने की इजाजत लेने के लिये आयें, यह कोई न्यायसंगत बात नहीं। उनको तो अपनी रोजी का फिक्र रहता है। ८ से ४ बजे तक तो वे प्रार्थना करने नहीं आ सकते उसके बाद आते हैं तो म्युनिसिपेलिटीज़ के दफ्तर खत्म हो जाते हैं, उन्हें मीटिंग करने की इजाजत के लिये प्रर्थनापत्र देने का समय नहीं मिलता। यह इन्डाइरेक्टली ऐसी बात है जिसको वास्तविकता में जा कर देखें तो पता चलेगा कि यह वास्तव में शहरों में लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हमारे विधान ने दे रखी है, उसको रोकने की चीज है। अगर यह धारा रहती है तो इसके माने यह हैं कि आप बोलने की उस स्वतन्त्रता का अपहरण करना चाहते हैं जो विधान ने हमें दे रखी है। इस धारा के अन्दर जो यह चीज है कि वायरलेस रिसीवर और ग्रामोफोन की बात, यह हमारे विधान के खिलाफ पड़ेगी। जब हमको बोलने की स्वतन्त्रता विधान ने दी है तो इस प्रकार की धारा रख कर बोलने की स्वतन्त्रता का अपहरण करते हैं तो यह ठीक नहीं है।

बीटिंग ओफ ड्रम्स की बात रहती तो कुछ हद तक ठीक था, पर तागे में बैठ कर कोई लाउड स्पीकर पर ऐलान करता है तो क्या अन्याय हो जाता है। सरकार खुद हैल्थ प्रदर्शनी आदि

[श्री मानसिंह महार]

का आयोजन राम बाग में करती है तो इस तरह से लोगों को डिस्टर्ब ही नहीं किया जाता बल्कि वह तो इस तरीके से हिस्टीरिया टाइप की होती है कि उनसे लोगों को बड़ा डिस्टर्ब होता है। पब्लिक मीटिंग्स में लोग जाते हैं तो लोगों को बहुत रुचिकर मालूम होता है। तो इस प्रकार यन्त्रों द्वारा बोलने की बात पर और इस तरीके की बातों पर रोक लगाने की बात सरकार ने धारा २०३ में रखी है, यह बहुत अनुचित बात है। सरकार को इस पर सोचना चाहिये। और मैं तो यहां तक कहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह चीज हमारे विधान के खिलाफ जाती है। मैं नहीं समझता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता पर आज के युग में प्रत्येक आदमी को अपनी बात स्वतन्त्रतापूर्वक रखने का अधिकार विधान ने दे रखा है...

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

ऐसी सूरत में लोग कहें कि म्युनिसिपेलिटी को हक दे दिया जाय कि बीटिंग ओफ ड्रम और माइक पर बोलने के लिये इजाजत लेना आवश्यक है तो यह उचित बात नहीं होगी।

इसमें प्रोविज़ो भी है :

"Provided that the State Government, may, on its own motion or on a representation made to it in this behalf, revoke or modify such prohibition,"

तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को हक देते हैं कि चाहे जब रिवोक और मोडिफाई कर सकती है तो मैं नहीं समझता कि इस धारा को यहां रखने से क्या लाभ होने जा रहा है। अगर सरकार को महसूस हो रहा है कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये तो आपके पास तो १४४ धारा का ऐसा अधिकार है कि सब कुछ कर सकते हैं, एक कलम के झटके में सब कुछ कर सकते हैं, फिर ऐसी छोटी मोटी बातें बढ़ा कर आप हमें परेशान क्यों करना चाहते हैं? माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा को मैं परेशान करने वाली धारा मानता हूँ।

आज सरकार ने ढोल, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन आदि बजाने पर बड़ी बड़ी पाबन्दियां लगा दीं पर मोटरों में फर्स्ट क्लास होर्न आये हैं और मन्त्री महोदयों की नई बड़ी बड़ी गाड़ियों के होर्न हैं, वे इतने जारिंग तरीके से बजते हैं कि जिस वक्त हमारे मकानों के सामने से निकलती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारी नींद उड जाती है। मेरा दुर्भाग्य है कि दिल्ली जाने वाली सडक पर मेरा मकान है, जब वे इन मोटरों में जाते हैं और इनके होर्न की खराब आवाज आती है तो मैं तो क्या मेरे आस पास के मकान वाले जाग जाते हैं। तो इस प्रकार मन्त्री महोदय, खराब होर्न वाली गाड़ियां खरीदते हैं उन पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं परन्तु एक चमार या मजदूर शहर में मीटिंग करना चाहेगा तो उस पर पाबन्दी रख रहे हैं और बिना इजाजत के मीटिंग कर ले तो २५ रुपया जुर्माना करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम जागीर-

[श्री मानसिंह महार]

दारों को कहा जाता था कि बेगार लेते हैं, अन्याय करते हैं, यह क्या आज न्याय है कि कोई पब्लिक मीटिंग करता है तो २५ रुपया जुर्माना ठोक दिया। यह आप कौन से युग में जा रहे हैं मैं समझता हूं आप जनतन्त्र से हट कर वापिस पुराने उसी युग में जा रहे हैं। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि आप इस युग के अन्दर इस प्रकार की पाबन्दियां लगा सकें। पाबन्दियां लगाते हैं तो सब चीजों पर पाबन्दियां लगाइये। मोटरों के इस प्रकार के होर्न हैं उन पर पाबन्दियां लगाइये। बम्बई में मैं जानता हूं, इस प्रकार के होर्न पर भी पाबन्दी है। अच्छी चीजें निकालिये परन्तु यह दकियानूसी चीज, जो पुराने जमाने से चली आ रही है, उसको आप इस तरह रखना चाहते हैं यह बहुत अन्यायपूर्ण चीज है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मेरी सदन के सब माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि मीटिंगों पर पाबन्दी लगाने की चीज है उसको अविलम्ब हटा देना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, जो कुछ जमवा रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया, उन्होंने गलत फहमी से फरमाया। क्लॉज़ २०३ में साफ है, इसमें कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसा क्लॉज़ है जिसके अनुसार म्युनिसिपेलिटी जरूरी समझे तो खास खास स्थानों के लिये खास खास समय में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से और जन हित की दृष्टि से इस प्रकार की पाबन्दी लगा सकती है, पर जो मेरे माननीय मित्र ने फरमाया कि पब्लिक मीटिंग करने के लिये, मोटर में लाउड स्पीकर ले जाने के लिये, म्युनिसिपेलिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, यदि म्युनिसिपल बोर्ड कभी ऐसा करना चाहे तो एक जनरल टर्म पर या स्पेशल प्रोहिबिटिंग ऑर्डर जारी कर सकती है कि यदि कोई व्यक्ति बगैर बोर्ड की आज्ञा के किसी प्रकार का होर्न या लाउड स्पीकर आदि बजायेगा और हुक्म की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। मेरे माननीय सदस्य को इससे यह स्पष्ट समझना चाहिये कि इस प्रकार की उनको पूरी आजादी है कि वे शादी वगैरा में बाजे बजा सकते हैं, उन्होंने इसलिये अपने भाषण में कहा कि बात ऐसी है जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन के रोंगटे खड़े हों। मैं तो यह कहूंगा कि उनको उल्टी खुशी होनी चाहिये कि सरकार इस प्रकार लाउड स्पीकरों आदि से होने वाले न्युसेन्स को रोकने का प्रबन्ध कर रही है। इन्स्ट्रूमेंट की तारीफ में इन्स्ट्रूमेंट की तारीफ एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें एक्सप्लेनेशन नम्बर २ में साफ कर दिया गया है :

"A gramophone, a wireless receiver, a loud speaker or any electrically or mechanically operated instrument capable of producing noise."

मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि मोटरों से भी जो होर्न बजेंगे उनसे भी न्युसेन्स हो जाता है, अगर वे चाहें तो इसके लिये कल ही दिल्ली रोड़ पर ट्रायल कर देख लें कि १२ बजे से ५

[श्री श्रीदास गोयल]

बजे तक जहां हार्न बजाने की मुमानियत हो और होर्न बजाया जावे तो २५ रुपये का जुर्माना कौन सी मोटर कार पर होता है। अगर नोइज़ करने वाले होर्न हैं तो वे भी इसकी तारीफ में आ जाते है। आज इस जनतन्त्र के युग में कानून के सामने सभी समान हैं चाहे वह छोटा हो चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २०३ का होना बहुत बहुत जरूरी है।

मैं समझता हूँ कि बहुत से पान वाले और होटलवाले ऐसे हैं जो रात को एक, दो बजे तक अपनी दुकानों पर लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं। पड़ोस के लोग १० बजे सोना चाहते हैं मगर उनके लाउड स्पीकर से उनकी नींद हराम हो जाती है और बच्चे परेशान होते हैं। उनको नीद नहीं आती इसलिये यह इस प्रकार का प्रोविज़न तो है जिसके द्वारा इस प्रकार का न्यूसेन्स पैदा करने वालों को मना किया जा सकता है कि १० बजे बाद आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते और दिन के ६ बजे से पहले नहीं बजा सकते। जिन्दे रहो और रहने दो के सिद्धान्त को अपनाए इसलिये यह क्लॉज रखी जा रही है कि लोगों को न्युसेन्श नहीं हो।

इसके अलावा मेरे मित्र ने मंगल गीत आदि गाने के लिये यह असुविधा रखी जा रही है मैं समझता हूँ कि इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है और न ऐसा इसका प्रयोजन है कि मंगल गीत रोके जावें। जिनके एक्शन न्युसेन्स के हो, सोसाइटी के लिये हानिकारक हो उस प्रकार की चीजों पर यह प्रोहिबिशन रखा गया है। मैं समझता हूँ कि माननीय मित्र मेरी भावनाओं को समझ गये होंगे, क्योंकि मैंने इस संबन्ध में जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण कर दिया है। इस संबन्ध में मेरा निवेदन है। इसमें से स्टेट गवर्नमेंट शब्द रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट का हैडक्वार्टर जयपुर में है और यह एक्ट टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये है, इसके लिये यह होना चाहिये कि यदि कोई बेजा तौर से कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी हो गया हो तो कोई व्यक्ति उससे दुखी होकर चाहे कि इस को खत्म कर दिया जावे तो उसको जयपुर तक आने में दिक्कत आवेगी। जयपुर के रहने वालों के लिये यह कोई आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन दूसरों के लिये यह आपत्ति हो सकती है। इसलिये यदि स्टेट गवर्नमेंट की जगह कलेक्टर रख दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा और वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट की तारीफ में आ जाता है। इससे यह क्लॉज ज्यादा उदार हो जायेगा। कभी कभी हो सकता है कि पोलिटिकल कारणों से भी रोक लगाई जा सकता है इसलिये इस पर माननीय मंत्री के संकेत जाहिर होता है, शायद वे इस पर रोशनी डालेंगे।

श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष,...

श्री उपाध्यक्ष—इसमें कोई खास बात आपको कहनी है क्या ?

श्री शम्भुसिंह—मुझे खास बात कहनी है।

[श्री श्रीदास गोयल]

माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज २०३ पर जो संशोधन जमुआ रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे निश्चित इरादे से इस बिल को लाया गया है जिसकी तहत में बोर्ड चाहे जिस किस्म के बाजे हों उनको रोक सकती है। मैं यह कहूंगा कि यह नागरिक अधिकारों का और नागरिक स्वतन्त्रता का अपहरण है।

माननीय उपाध्यक्ष, इस धारा में बाजा किसी भी प्रकार का हो उसको बजाने से मना किया जा सकता है। उसमें कोई बात साफ नहीं है कि इस प्रकार के बाजे बजाये जा सकते हैं। हमारे देव मन्दिरों में जब पूजा होती है उस वक्त नक्कारे भी बजते हैं और झालर और घन्टे व घड़ियालें भी बजाई जाती हैं, इस कानून के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड हमारे देव मन्दिरों की पूजा के समय बजने वाले बाजों को भी रोक सकती है और उन पर भी रोक लगा सकती है। एक जमाना था कि कुछ भाई मस्जिदों के सामने बाजा बजाने का एतराज करते थे और आपसी कटुता को बढ़ाते थे, उन्होंने इस प्रकार के कार्य को आपसी कटुता फैलाने का साधन बना लिया था। इसलिये उस समय इस बात की व्यवस्था की गई थी और उस समय इस प्रकार से ऐतराज किया जा सकता था। मगर आज के युग में इस प्रकार बाजों के प्रश्न को लेकर कटुता फैलाने का व्यर्थ प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिये मैं इस क्लॉज़ का घोर विरोध करता हूं और यह कहूंगा कि इसमें नागरिक स्वतन्त्रता का पूर्ण हनन है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि देव मन्दिरों में घन्टे व घडियाल आदि जो बजाये जाते हैं वे इस से मुक्त रहेंगे। इसलिये यह एक प्रकार की वैग टर्म है जिसमें किसी को भी एग्ज़ेम्पट नहीं किया गया है। हां, यह संभव है कि हॉस्पिटलों या स्कूलों आदि के सामने इस प्रकार का शोर करने से और बाजों को बजाने से होस्पिटल में बीमारों को और स्कूलों में बच्चों को बाधा पहुंच सकती है। इसलिये खास हलात में उनके सामने नहीं बजायें जाने चाहिये, मगर आम तौर से इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना और इसकी व्यवस्था करना मैं तो यह कहूंगा कि स्वतन्त्रता के युग में नागरिकों की आजादी का खुला अपहरण किया गया हैं और हमारी धार्मिक भावना को इससे बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिये इसका घोर विरोध करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप इस क्लॉज़ को स्वीकार कराना चाहते हैं तो धार्मिक मन्दिरों और स्थानों में और धार्मिक पर्वों में जो बाजा बजाया जाता है उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ २०३ में ऐसा प्रोविज़न रखा गया है कि अगर बोर्ड कोई ऐसी आज्ञा दे कि पब्लिक प्लेस में शोरगुल या किसी दूसरी प्रकार का न्यूसेन्स न हो तो ऐसी आज्ञा दे सकता है। मगर इसमें ऐसी बात कहीं नहीं है कि इस कानून के बनते ही बाजों का बजना बन्द हो जावेगा। बोर्ड इस प्रकार का प्रस्ताव पास करेगा कि फलां समय से फलां समय तक और उसके बाद तक किसी प्रकार का बाजा नहीं बजाया जावेगा, जिसको वह समझेगा कि इससे लोगों को न्यूसेन्स होता है। यह नहीं कि देव मन्दिरों में भी बाजे नहीं बजेंगे।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

मुझे खुद को इस मामले में आपको कहते हुए बड़ा खेद होता है कि बहुत से लोग सुबह से शाम तक और रात तक बाजे और लाउड स्पीकर बजाते रहते हैं और जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है और पडोसियों को सोने में बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिये बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि रात को ८ बजे के बाद यदि वह चाहे तो इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है कि फलां जगह से लगाकर फलां जगह तक फलां समय से फलां समय तक बाजे या लाउड स्पीकर आदि नहीं बजाये जावें।

ऐसा नहो है कि मन्दिरों और मस्जिदों में भी बाजे नहीं बजें। इस प्रकार के एतराज को अगर कलेक्टर चाहे तो केन्सिल कर सकता है। इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी प्रकार की शंका की जाए। सिलेक्ट कमेटी ने जान बूझ कर और काफी छानबीन करके इस क्लॉज को रखा है। इसके आलावा मैं यह भी कहूंगा कि इससे किसी प्रकार की पोलिटिकल पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को जिस रूप में है उसी रूप में पास कर दिया जाए।

श्री शंभुसिंह—मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री इस प्रकार का प्रोविज़न इसमें रख दें कि मंदिरों के बाजे इससे मुक्त रहेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— आप विश्वास रखिये कि मंदिरों के बाजे बन्द नहीं होंगे प्रोविज़न की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०३ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २०३ विधेयक का अंग बना

(विराम)

खंड २०४ से २३२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २०४ से २३२ तक स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २०४ से २३२ विधेयक के अंग बने।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ २३३, श्री गुलाब चन्द कासलीवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम मिर्धा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गुलाबचन्दजी की तरफ से उनका संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूँ। उनका संशोधन यह है कि बोर्ड के बजाय कौन्सिल कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोन्सिक्वेन्शल अमेन्डमेन्ट है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३३ में जो संशोधन श्री गुलाबचन्द कासलीवाल की ओर से रक्खा गया वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २३३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २३३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २३४ से २३६

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३४ से २३६ तक स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

खण्ड २३४ से २३६ विधेयक के अंग बने।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ २४०

श्री भैंरू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्ड २४०,२४१ और २४२ है वह ब्रोथल्स और प्रोस्टीटयूट के लिये है कि सरकार इनकी विशेष प्रकार से व्यवस्था करे। जो इसके अन्दर प्रोवीजन ऐसे हैं जिनसे ब्रोथल्स और प्रोस्टीट्यूट्स पर किसी प्रकार पाबन्दी नहीं, इससे इस धन्धे से मुक्त नहीं कर सकते। मेरा इस पर अमेन्डमेन्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरा सुझाव है कि इसको फिलहाल डेफर कर दिया जाय, यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है, इन धाराओं में हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इस धन्धे में बढोतरी होगी चाहिये तो यह था कि हम इस सारे धन्धे पर रोक लगाते ताकि जो अनैतिकता का वातावरण बढ़ता जा रहा है उसमें किसी प्रकार से रुकावट आती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—खण्ड २४०, २४१ व २४२ को डेफर कर दिया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इन क्लॉज़ेज़ को डेफर किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४० से २४२ डेफर हुए।

(विराम)

क्लॉज़ २४३ ले लें।

श्री भैंरू सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हम इसका विरोध करेंगे।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २४३ में म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि भिखारियों को म्युनिसिपल बोर्ड प्रोसीक्यूट कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ के बारे में मैं यह आशा करता था कि कानून के जरिये कोई तरीका सरकार द्वारा ऐसा अपनाया जायगा जिससे प्रत्येक भिखारी को सरकार किसी पुअर हाउस में ले जाकर रखेगी या अन्य कोई ऐसा प्रबन्ध करेगी जिससे वह भीख न मांगे, लेकिन यहां कुछ इससे विपरीत बात पाई गई है। मन्त्रीजी शायद मेरा ध्यान प्रोवीज़ो की तरफ आकर्षित कर रहे हैं लेकिन प्रोवीज़ो से यह परपज़ सर्व नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं एक ओर तो आप किसी को रोजगार नहीं देते वह भूखों मरता है, उसको रोटी नहीं मिलती, जब उसको रोटी नहीं मिलती तो दर दर जाकर भीख मांगता है और भीख मांग कर अपना पेट पालन करते हैं उसके लिये भी इस प्रकार का कानून बनाते हैं कि अगर कोई भीख मांग कर अपना पेट पालन करता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है और उसका प्रोसीक्यू-

[श्री मानसिंह महार]

शन किया जाय और उसको सजा दिलाई जाय । इसमें इस प्रकार की धारायें रखना, मैं समझता हूँ, मनुष्य मात्र के साथ बड़ा भारी अन्याय है । सरकार को चाहिये तो यह था कि वह प्रत्येक आदमी के लिए रोटी रोजी का इन्तजाम करे । सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर दे कि कोई भिखारी भीख मांगता हुआ नजर आयगा तो सरकार उसको अमुक स्थान पर ले जाकर मजदूरी देगी या उसको नौकर रख लेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं जयपुर शहर के अन्दर इतने भिखारी और भिखारिन हैं कि उनमें से अगर तीन तीन को प्रत्येक मंत्री अपने घर पर रखकर रोटी दे दे तो यह आधी समस्या तो इस प्रकार से हल हो सकती है । और विधान सभा के सदस्य को एक एक भिखारी को देदे और उनसे कह दिया जाय कि वे उनकी रोटी का प्रबन्ध कर दें तो इस प्रकार से यह समस्या हल हो सकती है, अगर पुअर हाउस की बात होतीं तो यह बात मानी जा सकती थी । एक तरफ तो पुअर हाउस आदि का इन्तजाम नहीं और दूसरी तरफ यदि कोई भीख मांगकर अपना पेट भरता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है यह बड़ी अन्यायपूर्ण चीज है । आप यह कहेंगे कि यह बड़ा अनुचित काम है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा भारतवर्ष एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, धर्म भीरू देश है उसके अन्दर हमारे यहां साधु महात्मा हैं जो उच्च कोटि के साधु महात्मा हैं वे भिक्षा लेकर ही अपना पेट पालन करते हैं उनकी एक प्रकार से यह दिनचर्या है कि भीख मांगकर ही अपना पेट भरना । मैं यह समझता हूं कि यह जो धारा २४३ है अगर आप लागू कर देते हैं तो इसमें इस प्रकार से जो भिक्षा मांग कर खाते हैं, जो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की बात जो हमारे हिन्दू धर्म की बात है । मैं मिसाल की तौर पर हमारे स्वामी करपात्रीजी की मिसाल आपके सामने पेश करता हूं । वे सिवाय इसके कि सुबह दो तीन जगह जाते हैं और जो कुछ कमन्डल में मिलता है उसी को खाकर अपना जीवन चलाते हैं । यह हमारे यहां धार्मिक प्रवृत्ति है, अगर इस क्लॉज़ को रखा गया तो धार्मिक प्रवृत्ति में अड़चन पैदा हो सकती है, इसी प्रकार की बात हमारे जैन मुनियों के साथ भी हो सकती है जैनियों के साथ भी हो सकती है जैनियों के भिक्षु भिक्षा मांगना अपनी धार्मिक प्रवृत्ति मानते हैं । इस प्रकार की जो स्वीपिंग बात रखी गई है कतई उचित नहीं है, इसमें यह हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति हो तो वेग इम्पोर्चुनिटी इस क्लॉज़ में जो यह शब्द रखे गये हैं उसको करपात्री जी जैसे साधुओं पर भी लागू किया जा सकता है ! दूसरी तरफ यह भी कह सकते हैं। दूसरा तरीका यह भी कह सकते हैं कि जिन बातों के लिये भी इनपोरच्युनेटली वेग करते हैं इस प्रकार की बात नहीं है । अगर इस प्रकार की बात कहकर हम किसी को मुगालते में डालें तो नहीं डाल सकते । यह तो शब्दों का जाल है ! इसका इन्टरप्रीटेशन किसी प्रकार कर सकते हैं । मैं यह जानता हूँ और जिस प्रकार से हमारी धार्मिक भावनाओं को कुचलने के लिये यह धारा रखी गई है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

[श्री मानसिंह महार]

इसके बाद दूसरी बात इसके प्रोविजो में जो रक्खी है उसको भी देखा जावे तो उसमें यह लिखा है कि उस आदमी को पूअर हाउस में दो वर्ष तक रख सकते हैं। मैं कहता हूँ यह भी बहुत अन्यायसंगत है। आप पहले छः महीने रख कर देखिये। उसे वहां रखकर काम सिखाइये। फिर बाहर लाकर उसे रोजगार दीजिये और फिर बाद में भी वह भिक्षावृत्ति पर आये तो एक साल करिये या दो साल करिये पर पहली बार ही उसको घरकों से दूर लेजाकर साल दो साल के लिये जेल में डाल देना मैं उचित नहीं मानता।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें तो not exceeding two years है।

श्री मानसिंह महार—वह तो मेग्जियम रखते हैं। म्युनिसिपेलिटी वाले उससे कम नह करते। हम यह दो साल वाली बात नहीं रखना चाहते।

"Not exceeding six months."

आप पहले छः महीने में इनको सुधारिये। सुधारने की बात नहीं करना चाहते। पर पॉवर सब हडपना चाहते हैं। अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी को कोई महसूस नहीं करता। सरकार यह नहीं मानती कि हमारी गरीबों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, अगर इसको वे महसूस करें तो हम सरकार को जो चाहे वह अख्तियारात देने को तैयार हैं। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को कोई महसूस नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जो धाराएं रक्खी गई हैं उनको अनुचित समझता हूँ और मैं समझता हूं कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठराघात है, इसलिये इसको अवश्य डिलीट किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह क्लॉज जो २४३ रक्खी है, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जयपुर की असेम्बली में भी इसकी चर्चा आई थी। इसमें मांगने वालों में गांवों में बहुत से ब्राह्मण हैं, योगी हैं, फकीर हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं और वे सभी अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज में अगर यह कानून उन पर भी लागू होगा तो यह बहुत अनुचित होगा। और अगर इस कानून से आप सारे हिन्दुस्तान के बेकारों को काम दे देंगे और इस कानून के द्वारा कोई भी भिखमंगा सडक पर बैठा हुआ नहीं दीखेगा तो यह बहुत बडे सौभाग्य की बात होगी। आज बहुत से लोग बी. ए., एम. ए. सुबह से शाम तक नौकरी के लिये डोलते फिरते हैं, अगर उन सबको नौकरी और काम काज पर आपने लगा दिया तो बहुत अच्छा होगा। और आप मान लिजिये कि हिन्दुस्तान आज दुनियां में एक वैसे भी बडा देश है पर और भी बड़ा देश तब बन जावेगा और जो आज नाम है दुनियां में उससे चौगुना नाम हिन्दुस्तान का हो जावेगा! आज राजस्थान में तो कम भिखारी हैं पर बड़े बड़े शहरों में और और प्रान्तों में बहुत हैं। उनकी समस्या इतने परिश्रम और प्रयत्नों के करने पर भी हल नहीं हो पा रही है। इतनी कोशिश करने पर भी उनके पेट पूरी तरह से नहीं भर सकी है सरकार। तो क्या मैं ऐसा मानकर चलूं कि राजस्थान सरकार ने उनके

Page No 47

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

लिये ५ करोड रुपया का फण्ड निकाल दिया है। तभी लोगों की बेकारी की समस्या हल हो सकती है, नहीं तो काम काज नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे। अब इस कानून में यह कर दिया गया है कि जब कि कोई आदमी बेकार होगा, भीख मांगता होगा तो उसको पकड़ लिया जावेगा और उसको दो साल की सजा होगी। तो मैं निवेदन करूं कि इसके लिए तो दो चार, पांच सात हजार आदमी भिखारी बनकर आने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनको भूख है। आज ये भूस्वामी संघ का जो आन्दोलन है वो भी तो रोटी की समस्या ही तो है। इसलिए यह आन्दोलन चल रहा है।

तो इस क्लॉज़ में आप यह करिये कि उनको रोजगारी भी देने का प्रबन्ध करिये, उनको रोटी की समस्या हल करने में मदद करिये तब तो ठीक होगा।

(घंटी)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, गलत तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो ऐसी हालत में घंटी बजती है तो महाराज मैं समझता नहीं हूँ इसमें मेरा दिमाग दूसरी तरफ चला जाता है।

(हंसी)

और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बताऊं कि......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं आपकी बात समझ गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो इसको आप डिलीट कर दीजिये। मैं तो अभी बैठ जाता हूँ, आधे सेकण्ड में।

(घंटी)

तो माननीय उपाध्यक्षजी, जैसी उदारता मन्त्रीजी ने और क्लॉज़ेज़ के बारे में दिखाई इसी तरह से इस क्लॉज़ पर भी दिखावें और इसको डिलीट कर दें। मेरी तो यही प्रार्थना है माननीय मन्त्रीजी से।

श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं स्पष्ट कर दूं। इसमें आपत्ति है इन शब्दों पर 'begs importunately or exposes or exhibits with the object of exciting charity a deformity or diesease or an offensive sore or wound..." बेगिंग के लिए नहीं है। कोड निकाल लेते हैं उसके लिए। "इम्पोर्चुनेटली" उसके लिए यूज़ हुआ है।

श्री भैरूंसिंह—सारा ही हटना चाहिये साहब।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सारा ही हटा दें। यह हो सकता है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो दो साल के बजाय ६ महीने कर दे।

श्री प्रभूदयाल—क्लॉज़ २४३ रहना चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं क्लियर कर दूं।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ २४३ पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—Let him explainde.

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने २४३ धारा को जिस प्रकार से इन्टरप्रेट किया है अगर इसको ठीक तरह से समझते तो जो बातें इसमें बताई गई हैं और जो उन्होंने कहा है वह नहीं कहते। उन्होंने कहा कि बेगिंग इसमें प्रोवाइड कर दिया है। जब तक लोगों के लिए रोटी रोजी का प्रबन्ध न हो तब तक बेगिंग को बन्द करना न्याय संगत नहीं होगा, इसकी भाषा को ठीक तरह से समझा जाता और इसमें जो शब्द दिये गये हैं उनको ठीक प्रकार से समझा जाता तो जो इस प्रकार से बातें हुई हैं वे उत्पन्न नहीं होती। इसमें लिखा गया है कि "Whoever, in a street or public place within the Municipality, begs importunately," इम्पोर्चुनेटली का खास मतलब है उसको खास तौर पर समझा जाता, डिक्शनेरी में इसका मतलब है "Pesistent pressing and solicitation" किसी को कहें कि यह दो नहीं तो तुम्हारा फलां नुकसान हो जायगा, तो इस तरह से प्रेसिंग करे, बीमारी उत्पन्न कर दे और जिससे लोगों में उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जाय। हम देखते हैं समाज में कि इस तरह से लोगों द्वारा भिक्षा के लिए नये नये तरीके, कला उत्पन्न हो रही है। कई बार अखबारों में देखा है, भीख मांगने वाले कई प्रकार के कोड निकाल लेते हैं, ऐसा वातावरण बना देते हैं कि सड़क पर चलने वालों में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है और उसकी वजह से उनको वे पैसा देते हैं। तो इस प्रकार से जो ठगी है, एक प्रकार से समाज में जो यह न्यूसेन्स है जिससे कि समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है, इस प्रकार के ठगी, और भिक्षा को रोकने के लिए नियम बनाने हैं और इस क्लॉज़ को रखा है कि आम भिक्षा के लिए प्रोविज़ो में दिया हुआ है कि सजा दें। मजिस्ट्रेट चाहे तो वह पुअर हाउस में भेज सकता है। पुअर हाउस में भेजने का मतलब यह नहीं है कि उसको सजा दे दी गई है। समाज से दूसरे तरीकों पर वह चला गया, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, दुर्भाग्य से वह चला गया तो, उसको इस तरह से नागरिक बनाने का सही तरीका होगा। भिक्षा को देने को रोकने का यह नहीं है। जो लोग भूखे हैं, नंगे हैं, उनको रोटी दी जाय यह आवाज उठ रही है, उनको सही राह बतायी जाय, इसकी आवश्यकता है, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं तो जो पब्लिक में न्यूसेन्स है, जो ठगी प्रथा है उसको तो रोकने का प्रोविज़न जरूर होना चाहिए।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, दफा २४३ पर वाद-विवाद हुआ और मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस दफा की मन्शा साफ नहीं है और इस दफा को यदि रखा जावे तो इसको रिड्राफ्ट करके रखने की जरूरत है।

भीख मांगने वालों में तीन श्रेणियों के लोग हो सकते हैं, एक तरफ तो वे व्यक्ति हैं जो कि तन्दुरुस्त हैं लेकिन बावजूद तन्दुरुस्त होने के और कमा कर खाने की योग्यता रखने पर भी भीख मांगते हैं। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो डिस्सेबल्ड हैं, लूले हैं, लंगडे हैं, काम नहींकर सकते हैं, अपाहिज हैं, काम करने की योग्यता नहीं है उनको मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ती है तीसरी श्रेणि में वे हैं जो धार्मिक आदेशों के अनुसार भीख मांगना अपना कर्तव्य समझते हैं। जहां तक तन्दुरुस्त व्यक्तियों का सवाल रहता है तन्दुरुस्त व्यक्ति जो भीख मांगते हैं जो कि एक बुरी बात है और इसके लिए हमारी समाज और सरकार भी किसी हद तक उत्तरदायी हो सकती है कि हमारे समाज की इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हो सकती है या हमारे समाज में इस प्रकार से शोषण हो सकता है कि जिस की वजह से उत्पन्न गरीबी तथा तन्दुरुस्त आदमी को काम करने की योग्यता रखते हुए भी, उसको काम नहीं मिलता है या दूसरी कोई मजबूरियों से भीख मांगनी पडती है और इसके लिए हमारी सरकार और समाज भी जिम्मेदार है, उनको काम मिलना चाहिए, धन्धा मिलना चाहिए। मनुष्य को जहां तक काम मिलता है मैं समझता हूं कि वह भीख मांगने जैसा अपमान जनक कार्य करना पसन्द नहीं करेगा, परन्तु बेकार रहने की स्थिति में या रोजगार का दूसरा जरिया प्राप्त न होने के कारण उसको भीख मांगनी पडती है।

दूसरी श्रेणि में अपाहिज हैं, उनको मजबूर होकर भीख मांगनी पडती है तो उनके लिए रेस्क्यूहोम्स और पुअर हाउसेज़ जरूर होना चाहिए। जयपुर में रेस्क्यू होम्स और पुवर हाउसेज़ काफी नहीं है और वे भीख मांगे या इस प्रकार से समाज के लिए एक क्लेश बने मैं समझता हूँ कि सरकार को उनके लिए पुवरहाउसेज़ की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वे उनमें दाखिल होवें और अपना गुजर बसर कर सकें, उनको गुजरबसर करने का प्रबन्ध कर दिया जावे।

तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जो धर्मिक भावनाओं के अनुसार भीख मांगते हैं। सब धर्म हैं, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे मुसलमान हो। खैरात देना मुसलमान भाइयों में भी एक अच्छी बात कही गई है। और हिन्दुओं में भिक्षा देना एक धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जो धर्म कर्म के मामलों में, पुरातन से दान देना है, दान देते हैं उन पर कदापि प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ में ऐसी बात नहीं है कि धार्मिक दृष्टि से जो भीख मांग कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध हो। फिर भी इस क्लॉज़ को अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं किया गया है इसलिए इसको रिड्राफ्ट किया जाना चाहिए और इसलिए इसको डेफर कर देना चाहिए।

जो प्रोविज़ो है उसमें यह है कि दो साल के लिए डिटेन कर दिया जावेगा जो जनता को क्लेश पहुंचाते हैं। डिटेन्शन की अवधि ज्यादा है। उनकी मजबूरियों को हटाना चाहिए कि जिन मजबूरियों

[श्री शंभुसिंह]

के कारण वे व्यक्ति भीख मांगते हैं और बावजूद ऐसी व्यवस्था जुटाने के बाद भी भीख मांगते हैं तो उनको पुवर हाउसेज़ में डिटेन कर सकते हैं और उस की अवधि कम होनी चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को फिलहाल डेफर कर दें और इसकी जहां तक भावना है वह ठीक हो सकती है, लेकिन इसकी भाषा या शब्द ऐसे क्लिष्ट हैं कि जिस से इसका मतलब साफ नहीं होता है । इसलिए इस क्लॉज़ को रिड्राफ्ट करने की जरूरत है और जो भीखमंगे अनुचित प्रकार से भीख मांगते हैं समाज को क्लेश पहुंचाने के वास्ते ऐसा करते हैं वह ठीक नहीं है, न मानना ही चाहिए । क्लेश देने के वास्ते भीख मांगते हैं या जिनकी वजह से किसी प्रकार की बीमारियां फैलने का भय हो या और समाज में किसी प्रकार की तकलीफ का भय हो उनका इतन्जाम करने के वास्ते इस प्रकार के क्लॉज़ की आवश्यकता रह जाती है लेकिन वह साफ डिफाइन होनी चाहिये और उसको रिड्राफ्ट करके फिर से पेश करना चाहिये ।

श्री प्रभुदयाल—उपाध्यक्ष महोदय, धारा २४३ के बारे में कुछ अपोज़िशन ग्रुप के मेम्बर्स ने ऐतराज किया है, मैं समझता हूँ वह सही नहीं है । मैं काफी अरसे से यह सोच रहा था कि ऐसा कानून बनाना चाहिये जिसमें भीख मांगना जुर्म समझा जाय । मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार म्युनिसिपेलिटीज़ को इस कानून के द्वारा पॉवर्स दे रही है जिससे भीख मांगना जुर्म समझा जावे, आज कल भीख मांगना लोगों ने पेशा बना लिया है । भीख मांगने के नाम से हट्टे कट्टे मुस्तंडे आम जनता से किसी न किसी तरह से अंटाकर भीख ले लेते हैं और अगर कोई भीख नहीं देता है तो उन पर हर तरह से दबाव डालने की कोशिश करते हैं । मैं नहीं समझता कि हट्टे कट्टे आदमियों को भीख मांगने की छूट देनी चाहिये । कुछ सदस्यों ने भी कहा है कि इसका विरोध होना चाहिये । मैं काफी अरसे से सोच रहा था कि जनता को यह बताना है कि हट्टे कट्टे आदमी भीख मांगते हैं तो आम जनता अपने बाल-बच्चों का कैसे पालन करेगी । ये लोग पैसा ले जाकर उसका दुरुपयोग करेंगे । शराब पियेंगे या सट्टा करेंगे । इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि इस धारा को डिलीट करने की मांग क्यों की जाती है । मैं इस धारा का समर्थन करूंगा और मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इसे जैसा है वैसा ही पास करना चाहिये । इससे आम जनता का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा । देश जिस उन्नति की ओर जा रहा है उसमें यह एक बड़ा कदम है, इसको बड़ी खुशी से पास करना चाहिये । लेकिन अपाहिज, अन्धे, लूले, लंगड़े हैं उनके लिए सरकार व म्युनिसिपेलिटी को अलग से रहने व कार्य सीखने व और कई तरह के साधन जुटाने चाहिये । ताकि उनके रहने व पेट भरने के लिए हमेशा के लिए इन्तजाम हो सके । इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करूंगा । आशा है महोदय इस ओर पूरा ध्यान देंगे ।

श्री भानसिंह—यह जो क्लॉज २४३ है उसमें श्री सोहनलालजी ने इस क्लॉज का समर्थन करते हुए 'इम्पोंचुनेटली' का मतलब बताया वह 'सोलिसिटेशन' बताया, लेकिन सोलिसिटेशन

[श्री श्रीभानसिंह]

'importunately at the point of dagger' किया। इसका यह मतलब डिक्शनेरी में भी नहीं है: Probably that dictionary is out of date.

मैं इस क्लॉज २४३ का यों विरोध करता हूँ कि हमारे यहां भारतवर्ष में और राजस्थान में कम से कम एक चीज़ ऐसी चल रही है कि हम दूसरे देशों और प्रान्तों से बहुत सी चीजें ले लेते हैं और क्लाउड बनाकर अपने बिल और एक्ट्स में रख देते हैं और उसका जो इम्पलीकेशन होता है उसको हम सोचते नहीं हैं। यह कि यह धारा आपको मिलेगी विलायत के काउन्टीज़ और बेरोज़ हैं उनके जो कानून हैं उनमें ऐसी धारा है। ये ही धाराएं आपको वहां मिलेंगी। जब सदन इस तरह के अख्त्यार दे रहा है और आपको यदि ऐसी धारणा रखनी है तो आपको बिल के आधार और दृष्टिकोण में एक ड्रास्टिक चेन्ज लाना पड़ेगा। वे फंकशन्स आप रखते हैं म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये 'शेल' और 'मे' का डिफरेन्स रखते हैं। 'शेल' 'मे' क्लीनिंग वगेरा के फंक्शन्स रखते हैं और 'मे' में मिल्क सप्लाई, बेगर हाउस का प्रबन्ध और दूसरी चीजें रखते हैं। जब म्युनिसिपेलिटी पर यह ओब्लिगेटरी रखते हैं और बेगर्स के लिये इस तरह का प्रोविजन करते हैं तो आपको बेगर हाउस खोलने चाहिये, बच्चों के लिये मिल्क का प्रबन्ध करना चाहिये, मालन्युट्रिशन हैं उनके लिए भी प्रोविज़न किया जाय। यह तो आप करते नहीं हैं और दूसरी तरफ बेगर्स प्रोहिबिट करने के लिए, भीख मांगना रोकने के लिए आप इंप्रिजनमेंट प्रोवाइड करते हैं। आखिर किसी चीज़ को करने के लिए लोजिक तो होनी चाहिये। एक हमारा उद्देश्य है कि हमको देश में से पोवरटी को उठाना है। पोवरटी को उठाने की तरफ हम कदम उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप पुवर हाउस खोलिये, उनमें गरीबों के लिए फूड प्रोवाइड करिये, उनके लिए क्लोदिंग का इन्तजाम करिये और दूसरी चीजों का इन्तजाम करिये। तब आप इस तरह का प्रोविजन करने का हक रखते हैं। एक तरफ तो म्युनिसिपेलिटी के लिए 'मे' शब्द प्रोवाइड करें और दूसरी तरफ यह करते हैं कि भीख नहीं मांगे और भीख मांगने वालों को जेल में भेजे, मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह कैसे कर सकते हैं। आपकी पर केपिटा इन्कम बहुत कम है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जाती है, अन-एज्युकेटेड और एज्युकेटेड अनएम्पलोइड हैं, जिनकी कोई इन्कम नहीं है वे बेगर नहीं होंगे तो क्या होंगे, वे डिस्गस्टेड पर्सन्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? गांवों और शहरों में देखिये, मेडिकल एड किस कदर लोएस्ट एब पर है। आप मेडिकल एड इरेक को प्रोवाइड नहीं कर सकते फिर आप कहते हैं कि कोई आदमी अपनी बीमारी और बूंड को एक्सपोज़ नहीं करे यह कैसे हो सकता है। मेडिकल एड आप प्रोवाइड कर नहीं सकते, मकान उनके लिये आप प्रोवाइड कर नहीं सकते तो फिर बीमार और गरीब आदमी क्या करे। There is only one way in which he can hide it and that is death. There are millions of people who are dying because of hunger, poverty and disease and yet we do not provide for that. On the other hand. और दूसरी तरफ हम यह एक तरह का प्रोविजन रखते हैं, एक लोजिक रखते हैं, फंक्शन्स में प्रोवाइड करके म्युनिसिपेलिटी का ओब्लिगेटरी फंक्शन्स में रखा जाय पुवर हाउस में बेगर्स को फूड मिलना चाहिए, बच्चों को मिल्क फ्री मिलना चाहिए, फ्री एज्युकेशन होना चाहिए, यदि एक तरफ हम इस

[श्री श्रीमानसिंह]

तरह का प्रोविजन करते हैं तो दूसरी तरफ हम यह प्रोविजन रख सकते हैं कि जो बेग करेगा या जो अपने वूंड्स को एग्जिबिट करेगा तो उसको सजा हो सकती है, जब आप इस तरह की फेसिलिटी दे सकते हैं तो बेगर्स के लिए प्रोविजन रखना अच्छा होगा, लेकिन जब आप इस तरह का प्रोविजन रखते नहीं हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेग नहीं कर सकता, रोटी और कपडा नहीं मांग सकता यह कहां तक वाजिब है। लो इन्कम हाउसिंग स्कीम इसलिए चल रही है कि मिडिल क्लास पीपल्स के लिए भी रहने के लिए मकान नहीं हैं तो बेगर्स के लिए कहां से आयगा। ऐसी हालत में वे सड़क पर नहीं सोवेंगे तो कहां सोवेंगे। और यदि वे सडक पर सोते हैं तो उनको इम्प्रिज़नमेंट मिलता है। आप उनके लिए पूवर हाउस खोलें, उनके लिए खाने–पीने का इन्तजाम करें, उनके लिए मेडिकल एड प्रोवाइड करें और यह प्रोविजन रखें कि हरेक म्युनिसिपल बोर्ड को ये चीजें प्रोवाइड करनी पडेंगी, क्योंकि ऑक्ट्राय टेक्स लगता है वह बेगर्स पर और दूसरे पूअर पर्सन्स पर लगता है। यह इंडाइरेक्ट टेक्स है, इसका सबसे ज्यादा भार गरीबों पर पडता है। हाउस टेक्स एन्यूली लेते हैं वह ऑनर्स पर नहीं पडता बल्कि ओक्युपायर्स पर पडता है। ये सब टेक्स डाइरेक्टली या इनडाई–रेक्टली पूवर मेन पर पडते हैं लेकिन उनके लिए कोई फेसिलिटीज़ नहीं हैं। लाइटिंग फेसिलिटीज़, वाटर वर्क्स, महलों में और बड़े आदमियों के घरों में हैं। टेक्स देते हुए और इनडाइरेक्ट टेक्स में कान्ट्रीब्यूट करते हुए भी उन बेगर्स के लिये तो इम्प्रिजनमेन्ट है। यह लोजिक है। दूसरे तरीके से इसको करेक्ट करना चाहिये इसलिए या तो इसको डेफर करना चाहिये या मैं कहूंगा कि कंपलीटली डिलीट करना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसको डेफर करदें ?

श्री भैंरू सिंह—इसको डिलीट कर दीजिये। मैं अर्ज करता हूँ उसके बाद यदि आवश्यक हो तो जैसा उचित समझें वैसा करिये।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी कुछ प्रगतिशील बन्धुओं ने इस क्लॉज को इस रूप में स्वीकार किये जाने की बात कही, मैं भी उनकी इस मांग में साथ देता लेकिन मैं प्रगति की परिभाषा यह समझता हूं कि जितने भी असहाय हैं, अपाहिज हैं, ऐसे लोगों को सहूलियत देकर जो सम्पन्न हैं उनके बराबर लाया जाय। मेरी इस परिभाषा में यदि कोई काम शुरू किया जा सकता है, तो वह शुरू होता है ऐसे लोगों से जो अपाहिज होने की अवस्था में कोई कमाई नहीं कर सकते और दूसरों की कमाई पर आश्रित रहते हैं, जहां तक दूसरों की कमाई पर आश्रित रहने का प्रश्न है, यदि उनका पोषण किन्हीं संस्थाओं द्वारा होता है तो हम ऐसी किसी संस्था को इजाजत नहीं देंगे, ऐसी संस्थाओं को हमने समाप्त किया, समाज में कोई ऐसा रास्ता था उसको भी हमने समाप्त किया है, पर आज ऐसे व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते वे व्यक्ति अगर समाज के ऊपर आश्रित

[श्री भैरूसिंह]

रह कर चलते हैं तो हमें सोचना पडेगा कि उन पर भी कोई पाबन्दी लगाना वाजिब है। इस क्लॉज़ की मंशा है कि यदि कोई व्यक्ति इन्पोन्चुनेटली हाय हाय कर के भीख मांगता है तो मांग नहीं सकता, यदि कोई आदमी लूला लंगडा अन्धा है, किसी के शरीर पर ऐसे घाव हैं, बीमारी है या कोढ़ है तो ऐसी बीमारी को दिखा कर भीख नहीं मांग सकते।

यदि यह कानून उस सूरत में बनता जब हम दावे के साथ कह सकते कि हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिये प्रबन्ध कर रही है। और जो लोग सरकार के प्रबन्ध से सहायता नहीं लेते हैं और भीख मांगते हैं वैसी सूरत मे हम उन लोगों पर पाबन्दी लगा कर जुर्माना करने की व्यवस्था करते तो ठीक रहता। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि इम्पोन्चुनेट शब्द अगर इसके आगे डिफोर्मिटी शब्द है, उसको हटा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सभी से गोलमाल है कि एक्सपोजेज़ रख देते है तो भी धारा की पूरी मंशा वैसी ही रहती है जैसा कि इस समय है। मैं निवेदन करूंगा कि पहले समाज का और सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का जीविकोपार्जन का साधन नहीं, उन लोगों की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर ले, उनका किस प्रकार से भरण पोषण हो सकता है किस प्रकार उनका संरक्षण हो सकता है, इसके लिये व्यवस्था करें। इस व्यवस्था के करने के बाद यदि कोई इससे बचता है, अगर भीख मांगता है तो उस पर पाबन्दी लगाई जाय। फिर इसकी उपधारा प्रोविजन में रखा हैं :

"Providsed that in Municipalities where the board has established or reorganised a poor house, the court, whether trying the case originally or hearing it in appeal or revision instead of passing sentence may subject to the rules made in this behalf direct the detention of any such person in a poor house for a period not exceeding two years'

अब यह समझ में नहीं आता कि यदि किसी म्युनिसिपेलटी में बेगर हाउस नहीं है तो उस गरीब का क्या होगा। म्युनिसिपिलिटी के अधिकारी उसे गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट के सामने पेश करेंगे, वह लूला लंगडा, कोढ़िया कोर्ट में पेश किया जायगा अगर उस पर कोर्ट जुर्माना करेगा ५० रुपये तक का वह मांग कर लाता है कभी चार आने कभी ६ आने मांग कर कमाता है और पेट भरता हैं पर हमारी सरकार का आर्थिक घाटा, जिस तरह बजट में घाटा आया है उसकी पूर्ति के लिये सरकार इन गरीबों से वसूल करके पूरा करना चाहती है, ऐसा हम देखते हैं। यदि इनपर पाबन्दी डालते हैं तो आपको दूसरी व्यवस्था करनी होगी। मैं मानता हूं कि बेगरी किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं पर इसके साथ जो रिलेवेन्ट चीजें हैं उनकी सरकार को पहले व्यवस्था करनी होगी। यह सरकार का पहला कर्त्तव्य है। अगर सरकार यह इन्तजाम नहीं करती तो वह भी उतनी ही कसूरवार है जितना कि भीख मांगने वाला। मांगने वाला जितना जुर्म करता है सरकार भी उतनी ही उस जुर्म की भागीदार है जो सरकार होकर उनका इन्तजाम नहीं करती और उनका इन्तजाम नहीं करते हुए बेगर्स पर सजा इम्पोज़ करती

[श्री भैरूंसिंह]

है, तो उस सरकार को भी उनका इन्तजाम नहीं करने के जुर्म में सजा होनी चाहिये । जो सरकार इन्तजाम नहीं कर सकती वह गरीबों पर पाबन्दी लगा दे और सदन में चर्चा होने पर यह कह दिया जाय कि हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे कि मांगने वालों पर पाबन्दी होनी चाहिये, यह उचित नहीं

मैं भी मानूंगा कि जो काम कर सकता है, जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, उससे उसकी कमाई में बाधा नहीं आ सकती, इस प्रकार का उसका स्वास्थ्य है तो उस पर पाबन्दी होनी चाहिये कि वह भीख नहीं मांग सकता, पर वह पाबन्दी इस खण्ड से नहीं होगी, बेगरी प्रिवेन्शन के रूप में कानून बनाना पड़ेगा । जयपुर रियासत में सीकर के पुरोहित सरूपनारायणजी ने जयपुर की कौंसिल में बेगेरी प्रिवेन्शन का कानून रखा और वह पास हुआ उस समय की डिबेट्स देखें तो सब सदस्यों ने उसका विरोध किया, बेगेरी रोकें पर यह भी जिम्मेदारी लें कि जो लोग कमा नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले । उस समय वह कानून बनाकर राजस्थान की सरकार ने उसे उचित नहीं समझा और वह समाप्त हो गया । बेगेरी को रोकने के लिए व्यवस्था की जाती है तो वह हो परन्तु इससे जो नाजायज तौर पर शिकार होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिये । जो अपंग हैं, जो कमा नहीं सकते जिनके हाथ पैर नहीं है, राम और अल्ला का नाम लेते हैं, हाय हाय करते है, हमारे म्युनिसिपल मेम्बर्स आयेंगे और यदि उसके हथकड़ी डालने के लिए हाथ नहीं हैं तो उसे तांगे में डाल कर ले जायेंगे और मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब यदि रहम दिल हुए तो उस पर दो रुपया जुर्माना करेंगे और जुर्माना देने को उसके पास कुछ नहीं होगा तो उसको जेल भेज दिया जायगा । मैं जेल में जाना अच्छा समझता हूं यदि जेल की मंशा यह हो कि उनका वहां सुधार किया जाय, यदि वहां रिफोर्मेटरी स्कूल हो और उन्हें सुधारने की दृष्टि से वहां भेजा जाय तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करता हूं, पर जेल में भेजने के साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व बढ़ता है, हम उनका सुधार करें, जेलों में रिफोर्मेटरी classes हों, रिफोर्मेटरी वार्डस हों, ऐसे वार्डस में उनको रखा जांय और ठीक हो जांय उस दिन निकाले जांय।

इसमें हमने रखा है, दो वर्ष तक की सजा दी जा सकती है : for a period not exceeding to years".

उनको दो साल की सजा दी जा सकती है, किस लिये, मांगने के लिए, मांग क्यों रहा था, अपाहिज था, किसी मनुष्य द्वारा किया हुआ नहीं ईश्वर के प्रकोप से अपाहिज था, आदमी के कारण डिसएबिलिटी आई हो तो नहीं भी माना जा सकता है, ऐसी सूरत में डिसएबल्ड है और मांगता है, आपने उसका कोई प्रबन्ध, उसकी कोई जिम्मेदारी, अपने ऊपर नहीं ली फिर भी उसके मांगने के कारण उस पर जुर्माना करते हैं और जुर्माना नहीं दे सकता है तो उसको सजा देते हैं, तो यह सरासर अन्याय होगा और ऐसी म्युनिसिपेलिटियां भी पाप की भागी होंगी । इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक बेगरी का प्रश्न है, बेगरी को आम तौर पर नहीं होने देना चाहिये । जो कमाने खाने लायक हैं और उस सूरत में मांगना पसंद करें तो उसे रोका जाय, पर कोई

Page No 55

[श्री भैरूं सिंह]

आदमी अयोग्य है कमा कर खाने में उस बेगरी को उस समय तक नहीं रोक सकते जब तक कि सरकार की ओर से उनका कोई पूरा प्रबन्ध नहीं हो ।

राजस्थान में अब तक जहां तक मेरा ख्याल है ४ बेगर हाउसेज़ हैं । २०० से ज्यादा म्युनिसिपेलिटियों में ४ बेगर हाउसेज़ हों और उन हाउसेज़ में भी बेगर्स की संख्या ३०, १० अथवा ५ से ज्यादा नहीं हो सकती, जहां पर गिनती है केवल ४ की वहां यह प्रोविजन रखना कि बेगर हाउसेज़ में भेजा जा सकता है यह निरा मुगालता है । इस मुगालते को दूर करने के साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो उन पर जुर्माना करने का और जुर्माना अदा नहीं कर सकने की हालत में उनको सजा करने का जो प्रोविजन रखा है वह सरासर अन्याय है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे तो कम से कम इस अन्याय के भागी न हों और इस क्लॉज़ को डिलीट कर दें । यदि उनकी इच्छा है तो बेगरी के प्रोविजन को रूल में लावें और इस कानून को लागू करें और उन लोगों को गिरफ्तार करें जो काम कर सकते हैं और काम नहीं करते और बेकार रूप में समाज के भार बने हुए हैं । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ का बिल्कुल विरोध करना चाहिये और इसके बाद इस क्लॉज़ को लोप करवा दी जानी चाहिए ।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २४३ महत्वपूर्ण क्लॉज़ हैं और इसके लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको फिलहाल डेफर कर दिया जावे और बाद में इस पर विचार कर लिया जावेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष, इसके बारे में जो यह राय व्यक्त की गई है कि इसको इस समय डेफर कर दिया जावे, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको डेफर कर दिया जावे । बाद में इस पर क्या करना है, विचार कर लिया जाएगा ।

श्री वेदपाल त्यागी—Before we defer it let us hear the important views of the members of this House as to what they want, because this is a very important affair.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अपन आपस में बैठ कर तय कर लेंगे ।

श्री मानसिंह महार—हाउस में इस पर डिस्कशन तो हो जाए ।

श्री द्वारकादास पुरोहित—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २४३ का प्रोविजन है वह देश हित की दृष्टि से रहना बहुत जरूरी है और जब म्युनिसिपल बिल डिस्कस हो रहा है उस समय इसका प्रोविजन होना जरूरी है । मगर मैं यह कहूंगा कि हर कहीं और जहां जहां पहले म्युनिसिपल एक्ट मौजूद हैं वहां पर भी इस प्रकार का प्रोविज़न उनमें मौजूद है, मगर उन प्रोविज़नों के मौजूद होते हुए

Page No 56

[श्री द्वारकादास पुरोहित]

भी उनकी तामील कभी नहीं होती और वे वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। मुझे इस बात का डर है कि यहां पर भी यह पास हो जाये और इसकी तामील नहीं हो और जब इसकी तामील नहीं हो तो फिर यह प्रोविजन म्युनिसिपेल्टी के अधिकारियों के लिए मनमानी करने की बात रह जावेगी। म्यूनिसिपेल्टी के कर्मचारी कभी भी जिसको चाहेंगे इस कानून के अनुसार जेल में ठूंस देंगे। नतीजा क्या होगा कि पब्लिक न्यूसेन्स वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए इसको पास करने के पेश्तर मेरी तो यह सलाह है कि माननीय मंत्री इसके साथ ही साथ इन्डस्ट्री मिनिस्टर से बात करें और इस बात का फैसला करें कि जहां सिटी म्युनिसिपेल्टीज़ हैं और टाउन म्युनिसिपेल्टी हैं उनकी आबादी को देखते हुए और बेगरों की तादाद को देखते हुए और अपंगों की तादाद को देखते हुये यह तय करेगी कि कितने पुअर हाउस की जरूरत है और वह कितने पुअर हाउस बना सकेगी। जब तक पुअर हाउस नहीं बनाये जावें और दूसरे लोगों के लिए जो काम करने की स्थिति में हो उनके लिए काम की व्यवस्था नहीं कर देंगे तब तक यह प्रोविजन रखना कानून में ठीक नही। वैसे वे चाहें तो इस बात को पास करें मगर इसके पहले पुअर हाउस को बनाना बहुत जरूरी है। मगर जैसी म्युनिसिपेल्टीज़ की हालत और आर्थिक हालत है उस हालत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि म्यूनिसिपेल्टीज़ १० वर्षों में इस हालत में नहीं हो सकेगी कि वह अपने खर्चे से पुअर हाउस बना सके। इसलिए जब तक म्युनिसिपेल्टीज़ की आर्थिक हालत नहीं सुधर जावे तब तक के लिए यह काम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये और पुअर हाउस बनाने का फैसला करके इसको पास करना चाहिये। पास होने के बाद इसकी तामील होनी बहुत जरूरी है। जब तक पुअर हाउस नहीं बनेगा और लोगों को रोटी रोजी नहीं मिलेगी वे क्या करेंगे और अगर आप इस प्रकार का प्रोविजन रखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि उन लोगों के साथ ज्यादती होगी। इसलिए मैं यह कहूँगा कि अभी आपके पास धन की कमी नहीं है। आपको पंचवर्षीय योजना में कॉटेज इन्डस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा मिला है जिसको सरकार लगा सकती है और कुछ सरकार दूसरे फिलोन्थोपिकल लोगों से लेकर एक ट्रस्ट बनाकर काम शुरू कर सकती है। अभी म्युनिसिपेल्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह पुअर हाउस के भार को संभाल सके। इसलिए सरकार को चाहिये कि इस काम को हाथ में ले। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जब तक आप पुअर हाउस का प्रबन्ध न कर लें तब तक के लिए इसको डेफर रखें।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्ष, इस संबन्ध में मैंने श्री भैरोंसिंहजी के विचार सुने। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न पर सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से विचार किया है और वह यह कि जो लोग वास्तव में फिज़िकल डिसएबिलिटी के कारण अपने आपका पोषण नहीं कर सकते हैं और अपने को जिन्दा रखने के लिए भिक्षा मांगते हैं, उनके साथ इस कानून के बन जाने से अन्याय होगा।

उन्होंने इसके दूसरे दृष्टिकोण को नहीं देखा और वह दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। वह यह कि बहुत से लोग जो वास्तव में डिसएबल्ड नहीं हैं और वे यह दुनिया को दिखाते हैं कि उनका अंग

[श्री वेदपाल त्यागी]

मर गया है या खत्म हो गया है और वे लोगों की कृपा हासिल करने के लिए इस प्रकार का ढोंग करते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं कि उनको पैसा दें और उनसे उनको पैसा मिल जावे, वे इस सभ्य समाज के लिए चुनौती हैं। इसलिए जो बात आपने हमारे सामने रखी है कि जो डिसए-बल्ड लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा यह तो ठीक है, मगर जिन लोगों ने इस प्रकार की चुनौती दे रखी है उनका ऐसे सभ्य समाज में रहना कहां तक उचित है यह देखने की बात है और जब हम सोशियल स्टेट बनाने जा रहे हैं। जो लोग काम करने की स्थिति में हैं और काम करना नहीं चाहते और चेरिटी पर ही जिन्दा रहना चाहते हैं उनको रोकने की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि जिन लोगों के लिए जिनाइन केसेज़ हों उनके लिए पुअर हाउस होने चाहिये और इसके अलावा जो लोग जानबूझ कर ढोंग रचते हैं उनके लिए यह प्रोविजन होना जरूरी है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि सरकार पुअर हाउस का निर्माण करेगी क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में हर डिस्ट्रिक्ट में पुअर हाउस खोलने का प्लान है और मैं समझता हूं कि इसी प्लान को ध्यान में रखते हुए म्युनिसिपल एक्ट में इसको रखा गया है। जब हम अपने देश का निर्माण करने जा रहे हैं तो बेगरी जैसा Menace, बेगरी जैसी चीज हमारे यहां नहीं होनी चाहिए। इसको मिटाने के लिए ही हमने इस प्रकार का प्रोविजन रखा है। इसलिए इसको डिलीट करने का प्रोविज़न है वह बिल्कुल गलत है। हां गवर्नमेंट को चाहिये कि वास्तव में जो डिसएबल्ड लोग हैं उनके लिए पुअर हाउस खोले और जो लोग वास्तव में इस प्रकार के ढोंग करते हैं उनको इस चीज से रोका जाना चाहिये। इसलिए इसको निकालने का प्रोविज़न है इस पर हाउस विचार करेगा और मैं तो यह कहूंगा कि इसको निकालने की जरूरत नहीं बल्कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसको डेफर कर दिया जावे और इस पर विचार करके, इम्प्रूव करके रखा जाना चाहिये।

श्रीमती यशोदा देवी—माननीय उपाध्यक्ष, २४३ क्लॉज़ पर वाद-विवाद चल रहा है। यह तो ठीक है कि हमारी सरकार यह सोच रही है कि भिक्षुकों पर रोक लगाई जावे और भिक्षुकता रोकी जावे, पर आज सबसे ज्यादा भिक्षा वृत्ति हमारे हिन्दुस्तान में कैसे पैदा हुई और आज इस तरह हमारी राजस्थान सरकार एक धारा लगाने जा रही है कि जो लोग भिक्षा मांगते हैं उनको गिरफ्तार कर लें। पर इससे पहले सरकार को यह विचार करना है कि है हर म्युनिसिपेल्टी में जहां जहां भिक्षुक हैं और हटाने जा रही है उनके लिए वहां पर उनको कोई न कोई धन्धा मिले और रोजगार मिले। जहां पर उनको रखा जावे उनको मुफ्त में खाना भी नहीं दिया जाना चाहिये।

आप देखेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कितनी ही महिलायें भिक्षावृत्ति कर रही हैं, दर दर ठोकरें खाती फिरती हैं, मासूम बच्चों को गोदी में लेकर भिक्षा मांगती फिरती हैं। मैं मानती हूं कि कितनी बहिनें ऐसी भी हैं जो परिश्रम कर सकती हैं और कितनी ही बहिनें ऐसी भी हैं कि वास्तव में वे इस काबिल नहीं कि वे परिश्रम कर सकें, इसलिए वे भिक्षावृत्ति को अपनाती हैं। भिक्षा मांगने के साथ साथ आज का सभ्य समाज उनके साथ कैसे कैसे अत्याचार करता है यह किसी से छिपा नहीं है, बलात्कार होते हैं और कितनी ही उनकी बेइज्जती होती है। इन सारी परिस्थितियों को रोकने के लिए सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिये, उनके

Page No 58

[श्रीमती यशोदादेवी]

गुजारे के साधन जुटाये जांय, उनके लिए पहले रोजगार धन्धे की व्यवस्था की जाय। आज हम देखते हैं महिलायें भी भिक्षुकों में शामिल हैं, अगर उनको इस प्रकार गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाया गया और उनके ऊपर पचास रुपये दंड के जुर्माना किया गया तो यह बुरी चीज होगी। पहले इसके लिए सरकार व्यवस्था कर दे उसके बाद इस प्रकार की धारा लागू की जाय।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय त्यागीजी ने जो विचार व्यक्त किये मैं उस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। त्यागीजी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह राय जाहिर की कि इस तरह की क्लॉजेज़ नहीं रखी गई तो professional बेगर्स को प्रोत्साहन मिलेगा। जो लोग able बोडीड हैं और भीख मांगते हैं उनके लिए इस प्रकार का प्रोविज़न होना चाहिये। लेकिन जो शरीर से अशक्त हैं अपाहिज़ हैं उन लोगों को अगर हम इस केटेगरी में डाल देते हैं तो यह अन्याय होगा। इसलिए इस क्लॉज़ पर विचार करते वक्त यह भी ध्यान में रहना चाहिये कि जहां ablebodied पर्सन पर भीख मांगने की रोक रहे वहां डिसएबल्ड पर्सन्स के लिए कोई उचित व्यवस्था हो। अगर हम इन धाराओं में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं तो सच्चे मायने में न्याय नहीं होगा। जब कि माननीय मंत्री महोदय इसको डेफर करने के लिए तैयार हैं इसलिए जो मैंने अपना दृष्टिकोण रखा है उसको भी ध्यान में रखा जाय और उस प्रकार इस धारा में संशोधन किया जाय।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो धारा २४३ बेगर्स की बाबत है जिस पर बहस चल रही है उसमें मैं भी अपने सुझाव रखना चाहता हूं, सभी यह चाहते हैं कि भिक्षावृत्ति किसी न किसी प्रकार बन्द हो और मेरा भी यह मानना है कि वाकई में यह बन्द होनी चाहिये। जिस हदतक इसका जिक्र इसके अन्दर आया है उस तरह की बेगरी होनी नहीं चाहिये। वास्तव में यह बहुत ही अशोभनीय कार्य है। मैं इस पर सुझाव रखना चाहता हूं कि आप इस पर विचार विमर्श करके कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिसमें सबको अकमोडेट किया जा सके। अगर आप इस धारा के जरिये कुछ शहरों में जहां म्युनिसिपेलिटीज़ हैं उनके लिये कुछ इन्तजाम कर देते हैं तो भिखारी लोग गांवों की ओर जायेंगे, तो आपने उनके लिये क्या प्रोविजन किया है। इस धारा में इन तमाम चीजों का सोल्यूशन नहीं है, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस भिखारी प्रथा को मिटाने के लिये अलग से कानून बनाना चाहिये इसके बिना यह सवाल कदापि पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकता। ऐसे टेम्परेरी मेजर एडोप्ट कर लें जिससे किसी शहर या कस्बे को रिलीफ पहुंच सकता है किन्तु इससे सारे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे ताकि जो कुछ रिलीफ आप देने जा रहे हैं उसका लाभ सारे देश को मिले तो ज्यादा उचित रहेगा।

(श्री रूपनारायण शास्त्री बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष—इसको डेफर किया जा रहा है तो आपस में मिलकर बात कर लेंगे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २४३ के संबन्ध में मैं भी कुछ अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। इस संबन्ध में जो अभी विचार व्यक्त किये गये हैं इस पर मेरे विचार यह हैं कि भिक्षा वृत्ति एक बहुत ही गर्हित वृत्ति है। इसके संबन्ध में हमारी गीता में भी उल्लेख आता है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में कहा भिक्षा वृत्ति बहुत निन्दित चीज है।

जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जिस समय अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर रुका तो उस समय अर्जुन क्या देखते हैं कि उनके सामने उनके गुरुजन, उनके पुत्रसाले संबन्धी सब खड़े हुए हैं, वे किस प्रकार उन पर तीर चलायें, उस समय वे कहते हैं कि अगर मैं इन सब को मार कर राज भोगूंगा तो वह बहुत खराब प्रवृत्ति होगी, उस संबन्ध में श्री कृष्ण भगवान ने विचार व्यक्त किये, मैं इन गुरूजनों को मारकर अगर राज को भोगूं तो मैं समझता हूं कि यह भिक्षा-वृत्ति से प्राप्त अन्न को खाना इससे बेहतर होगा। इस तरह का कार्य करने से तो अच्छा है कि भिक्षावृत्ति करके अपना पालन करूं। उन्होंने कहा इनके मारकाट से तो भिक्षावृत्ति को अपनाना ज्यादा अच्छा है। भिक्षावृत्ति उस अवस्था में अच्छा मानते थे जब कि गुरुओं को न मारना पड़े इससे यह स्पष्ट होता है कि भिक्षावृत्ति बहुत ही गर्हित है।

श्री उपाध्यक्ष—इस क्लॉज़ के ऊपर आपको क्या कमी-बेशी करवानी है, वह सुझाव दीजिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—(जारी रखते हुए) मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। एक समय पार्वती ने भी शंकर से कहा.........

श्री उपाध्यक्ष—आपको इस क्लॉज़ में कोई श्लोक बोलने की बात नहीं। इस क्लॉज़ में जो भिक्षावृत्ति की बात रखी है उस पर आप यदि कोई सुझाव दें तो ठीक रहेगा, इसमें क्या कमी बेसी होनी चाहिये, उस पर सुझाव दीजिये। इसमें दूसरे प्रमाण लाने की आवश्यकता नहीं।

श्री रूपनारायण शास्त्री (जारी)—और दूसरा इसमें प्रमाण लेने की...

श्री घीसीसिंह—प्रमाण भी विषय विरुद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रसंग यहां नहीं है, आप विषयान्तर नहीं जावें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—अच्छा तो साहब मैं इस प्रसंग को बन्द करता हूँ और अपनी असली स्थिति पर आता हूं। जब हम भिक्षा वृत्ति को गर्हित समझते हैं तो भिक्षुओं को सजा दें, जेलखाने में रक्खें इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो बुरी हो, क्यों कि स्वतन्त्र राष्ट्रों से भिक्षा वृत्ति बन्द हो जाय तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यह हमारी समृद्धि का चिन्ह है। इसके लिये ही

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

यह धारा रखी गई है। इसका मैं समर्थन करता हूँ। पर इस के संबंध में इतना कह देना चाहता हूँ कि एक तो इसमें एक महिने की सजा रक्खी गई है यह निरर्थक है क्योंकि जो भिक्षावृत्ति करने वाला है वह फिर एक महिने के बाद आया और करने लग जावेगा। इससे क्या? तो इसको इस तरह से कर लेना चाहिये कि जब तक हम भिक्षुक का पूरा इन्तजाम खाने पीने का न कर दें और जब तक हम उसे किसी काम धन्धे पर न लगा दें, कोई काम धन्धा उसे न सिखा दें, तब तक उनको जेलों में ही रक्खा जावे और वहां उनके खाने पीने का इन्तजाम सरकार करे। इससे यह भी होगा कि और लोग भिक्षावृत्ति करने के लिए उत्साहित नहीं होंगे। सोचेंगे कि अगर किया तो जेल में जाना पड़ेगा। इससे बेकार की जो भिक्षावृत्ति बढ़ रही है, मिहनत के डर से जो मांगने का पेशा करते हैं वे यह करना बन्द कर देंगे। बाकी जो हैं काम मिलते ही काम पर लग जावेंगे। तो यह अवधि एक महिने की नहीं रक्खी जावे दो तीन साल की रखी जावे। इसका उद्देश्य पवित्र कहा जा सकता है। यही मैं अपने विचार रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अब तो सब बोल चुके, अब तो इसको डेफर कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इसको मुल्तवी कर दिया जावे।

(स्वीकृत)

हां, मुल्तवी किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४४ से लेकर...

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—२४५ पर विचार करना है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि २४४ क्लॉज़को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़२४४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २४५

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष, यह जो क्लॉज २४५ रक्खी गई है उसके बारे में माननीय मन्त्रीजी से स्पष्टीकरण मांगने के लिये ही मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

मैंने अच्छी तरह से इसे पढ़ा और इसके बाद यह बात पाई की इस कानून के अन्दर जो सेक्शन्स हैं उनका उल्लंघन करने से एक म्यू० ऑफेन्स बन जाता है और इसके लिये जगह जगह सजा की तजवीज की गई है। पर इस सेक्शन के जरिये यह व्यवस्था करना चाहते हैं कि उन म्यू० ऑफेन्सेज़ के अलावा और कोई बात हो और उसका कोई उल्लंघन करे तो उसको सजा मिले। तो मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जब उन्होंने म्यू० ऑफेन्सेज़ के लिये सजाएं आलरेडी तजवीज कर रक्खी हैं तो ऐसी हालत में इस विशेष धारा को रखने की क्या आवश्यकता पड़ी। मैं समझता हूँ कि इस तरह के विशेष अधिकार नगर नगरपालिकाओं को दे दिये गये तो उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना है और इस दृष्टिकोण से इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूँ कि इस कानून को सिम्पल और आसान बनाने के लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये कि म्यू० ऑफेन्सेज़ जो एक शिड्यूल बनाकर इस कानून के साथ सन्निविष्ट कर देना चाहिये और इन म्युनिसिपल ऑफेन्सेज़ के लिये अलग अलग सजाएं तजवीज कर देनी चाहिये। अगर ऐसा कर लेंगे तो एक आइडिया सब को हो जावेगा कि म्यू० ऑफेन्सेज़ क्या हैं और यह जानकर लोग ये म्यू० ऑफेन्सेज़ नहीं करेंगे। पर इस तरह का विशेष अधिकार देने का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। अगर आप यह चाहते हैं कि जो म्यू० का कानून बना है उसको लोग पूरी तरह से मानें तो फिर आपको यह व्यवस्था तो करनी पड़ेगी कि आप एक ऐसा शिड्यूल बना दें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर माननीय मन्त्रीजी सोच विचार करें और फिलहाल इसे मुल्तवी कर दें और फिर सोच विचार के बाद इसको वापिस लावें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह क्लॉज २४५ जो है उससे ऐसा लगता है कि हर क्लॉज में कुछ न कुछ अड़ंगा जरूर लगा दिया गया है। इससे सरकार की क्या मंशा है यह समझ में नहीं आती। अगर म्यू० को काम नहीं करने देना है तो फिर खुद ही क्यों नहीं सब सम्भाल लेती है। और मैं उपाध्यक्षजी,

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष—श्री मुकर्जी ने जो बातें बताई उन्हीं का समर्थन करना है या और कुछ नई बात कहनी है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—महाराज, मैं तो नई बातें बोल रहा हूं। अभी तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला है और आप रोकने लगे। यह क्लॉज रखना सम्भव नहीं है क्योंकि किसी न किसी क्लॉज में जब सजा तजवीज करते हैं तो उसके लिये कहते हैं कि अमुक अमुक गलती कोई करेगा तो उसके लिये यह सजा होगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री खेतसिंह—माननीय सदस्य कौनसी क्लॉज़ पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—२४५ वें क्लॉज़ पर। आपसे ज्यादा दिमाग रखता हूं।

(हंसी)

आप तो सुनकर बोल भी नहीं सकते। मैं तो बोल तो लेता हूं। और माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा जिकर नहीं होने से यह होगा कि इस धारा के अन्दर में किसी ने चोरी की तो उसको भी ले लेंगे। किसी ने कुछ किया तो उसको भी पकड़ कर सजा दिलवा देंगे। और आदमी कितनी ही तरह की बातें करते हैं। किसी न किसी में तो फंसा ही लेंगे इस धारा में। तो इस तरह से इसका बहुत दुरुपयोग होगा। तो मनुष्य से गलती होती है तो ऐसे अधिकार देने पर कोई भी म्यू० का चेयरमेन या एग्ज़ीक्यूटिव अफसर या म्यू० कमिश्नर किसी भी आदमी को बुलाकर इस धारा के मातहत उस पर इलजाम लगा कर सजा दिला सकता है।

(घन्टी)

फलां क्लॉज़ के अन्दर इस तरह की सजा इस प्रकार के जुर्म के लिये रक्खी गई है।

(घन्टी)

क्यों महाराज ? क्लॉज़ पर ही तो बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कोई नया विचार नहीं जोड़ रहे हैं। उसी विचार को दोहरा रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी) नई बात बता दूं तो क्या रूस की बात बता दूं।

(हंसी)

तो माननीय उपाध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के अन्दर कोई नया एक्ट पास हुआ, कई प्रांतों में हुए। परन्तु माननीय मंत्रीजी देखें कि दो तीन प्रांत हैं राजस्थान में पड़ौसी, मध्यभारत है, पंजाब है, यू. पी. है इनमें म्युनिसिपल एक्ट में इस तरह के अधिकार नहीं दिये गये हैं कि जैसा कि आज राजस्थान के इस म्युनिसिपल बिल में २४५ क्लॉज़ में दिये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, क्यों कि आज सब लोगों को अधिकार है, अब म्युनिसिपल बोर्ड का कोई भी मेंबर प्रेसिडेंट, या वाइस प्रेसिडेंट कोई भी आदमी बन सकता है और इस क्लॉज़ में नहीं है कि कोई बी. ए., एम. ए, एल. एल. बी. पास आदमी हो और वे ही म्युनिसिपेलिटी के मेंबर, प्रेसिडेंड, या वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जब माननीय उपाध्यक्षजी, इस चीज का इसमें उल्लेख नहीं है कि कोई लिखा पढ़ा हो इसका मेंबर हो तो मेरा जैसा कम लिखा पढ़ा आदमी भी वहां बन गया और इस क्लॉज के अन्तर्गत

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

किसी आदमी को पकड़ कर रख दिया तो इस तरह से म्युनिसिपेलिटी को इस प्रकार के अधिकार नहीं देने चाहिए। इस क्लाज़ को बिलकुल हटा देना चाहिए। यह राजस्थान की जनता का सवाल है। इस तरह के अधिकार देना अच्छा नहीं होगा और हर गरीब आदमी को कोई पकड़ लेगा, बड़ा आदमी तो जुर्म करके भी पकड़ा नहीं जा सकेगा। गरीब आदमी को पकड़ कर इस धारा के अन्तर्गत जुर्माना की सजा हो सकती है।

(घण्टी)

मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि इस क्लाज़ को यहां से हटा दिया जाय और और जो क्लॉज़ेज़ हैं इस बिल में उनको काम में लें।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो क्लाज़ २४५ है वह एक बहुत विस्तृत अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को देने वाली है और मैं तो यह कहूँगा कि लेजिस्लेचर को जो पावर्स हैं वे हम म्युनिसिपल बोर्ड को सौंपने जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, हमने इससे पहले इस बिल में यह बात देखी थी कि इसके अध्याय ९ और १० में जो अधिकार दिये हैं; ९ में अधिकार है 'म्युनिसिपल पावर्स एन्ड ओफेन्सेज़ और १० में है 'प्रोसिक्युशन स्यूट एन्ड पावर्स आफ पुलिस'। ये हम ओफेन्सेज़ और पावर्स पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो फिर इस प्रकार से अनडिफाइन्ड पावर्स म्युनिसिपेलिटी को दे देने का क्या अधिकार है और अगर म्युनिसिपेलिटी को इस प्रकार के अनडिफाइन्ड पावर्स देना जरूरी है तो फिर अध्याय ९ और १० में जो पावर्स एक्सरसाइज़ करने के लिए प्रोविजन किया है उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई ओफेन्स छूट जाय तो उसको उस अध्याय में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के अनडिफाइन्ड पावर्स दे देना तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से लेजिस्लेचर के जो पावर्स हैं वे म्युनिसिपल बोर्ड को दे देना है। फिर हम यहां किस बात के लिए बैठे हैं? कोई नियम बनाने हैं तो वे सदन के सामने आने चाहिये और उन पर सदन को विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। परन्तु सदन को उस पर केवल इस तरह से विचार नहीं करने दिया जाकर इस प्रकार से सदन के सारे अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड में निहित कर देना यह उचित नहीं है?

इसके अलावा इसमें यह लिखा हुआ है कि पचास रुपया उस पर जुर्माना किया जावेगा और पांच रुपया प्रतिदिन आगे तक लिये जावेंगे जब तक कि वह आज्ञा पालन न कर ले उसको देना पड़ेगा। मानलीजिए कि कोई व्यक्ति किसी अवस्था विशेष के कारण से आज्ञा का पालन नहीं कर सका तो पांच पांच रुपया रोज के हिसाब से अगर सौ दिन भी आज्ञा का पालन नहीं कर सका तो उसको पांच सौ रुपया देना पड़ेगा, उस पर पांच सौ रुपयों का जुर्माना हो जावेगा। यह तो

[श्री शंभुसिंह]

अनुचित बात है और सदन को इस क्लॉज़ पर ध्यान देना चाहिए और खास तौर पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से अनडिफाइन्ड पावर्स देना उचित नहीं है। इस वास्ते मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस क्लाज़ को डेफर कर देवें। किसी ओफेन्स की व्यवस्था करना है उसी अध्याय में बढ़ायें, लेकिन इस प्रकार से वेग शब्दों में हम किसी प्रकार का अधिकार देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लाज़ को डिलीट कर दिया जावे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष क्लॉज़ २४५ प्रस्तुत है। मैं यह समझता हूं कि इस क्लॉज़ के अन्दर सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड को ऐसे ओवर राइडिंग पावर्स देने की व्यवस्था की है जो जनता जनार्दन के हक में बहुत ही घातक होगी। मेरे मित्र जो फागी से तशरीफ लाये हैं उन्होंने इसके लिए एक सुझाव भी दिया है कि ओफेन्सेज़ क्या होंगे, शिडयूल लगा दीजिए, जो जो सजा होंगी अधिक से अधिक वह शिडयूल में बता दीजिये। यह तो कोई बात हो सकती है वाजिब हो सकती है। लेकिन इस प्रकार ओवरराइडिंग पावर्स दे दें कि म्युनिसिपेलिटी नोटिस देगी और तामील नहीं करेगा तो उस आदमी को इस इस प्रकार से सजा दी जायगी और जिसमें पचास रुपये तक का जुर्माना होगा और पांच रुपया रोज बढ़ता भी जावेगा। यह मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत अन्याय पूर्ण बात होगी। आज बहुत मुमकिन है कि मेरे मकान में सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। एक म्युनिसिपेलिटी का स्वीपर है, कचरा उठावे नहीं, कचरे का डेर जहां तहां इकट्ठा कर दिया। कल म्युनिसिपेलिटी का नोटिस आवेगा कि तुम कचरे को रिमूव कराओ। क्या बात हुई? मकान की बगल में कचरा पड़ा हुआ है, हाउस टेक्स, और भी टेक्स इम्पोज़ हैं और मैं देता हूं, फिर यह आदेश कि लोगों के कचरे को उठाओ। यह मेरी ड्युटी नहीं है। अगर यह क्लॉज़ रखी जावेगी तो या तो मैं उसको हटवाऊंगा और नहीं तो मेरे ऊपर म्युनिसिपेलिटी पचास रुपया तक का जुर्माना कर सकेगी। इस प्रकार की जो बातें हैं वे बिलकुल अनुचित हैं। अगर वाजिब बातें है कानून के अन्दर चाही गई हैं तो उनको स्वीकार करिये नहीं तो बैठ कर बातें कहिये और कहिये कि ये ये बातें ऐसी हैं। म्युनिसिपेलिटी शहरों के नागरिकों को आदेश देती हैं, उस पर एक्शन लिया जासकता है, तो वह किसी हद तक हो सकता है लेकिन इस प्रकार ओवर राइडिंग पावर्स दिये जावेंगे, आज कल म्युनिसिपेलिटी के दवाखाने हैं, रोज गायें पकड़ते हैं। दवाखाने से गायें पकड़ने के लिए तीन चार आदमी आते हैं। कई मौकों पर वे २०-२० गायें पकड़ लेते हैं। म्युनिसिपेलिटी वाले कल यह कह देंगे कि फलां एरिया में ज्यादा गायें हैं इसलिए आदेश देते हैं कि इस एरिया की गायें पकड़ने के लिए मदद मांगें। तो इस एरिया के वाशिन्दों को गायें पहुँचाने के लिए दवाखाने तक जाना पड़ेगा और यदि कोई नागरिक ऐसा करने से नटता है तो उसको ५० रुपये तक का जुर्माना एक दिन नटने पर देना होगा और यदि दूसरे दिन भी अमल नहीं करेगा तो ५) रु० रोज के हिसाब से और देने पड़ेंगे। इस प्रकार की धारा हमने कभी

(श्री मानसिंह महार)

नहीं देखी थी। आज के युग में हमारे समक्ष जब ऐसी धारा आती है तो हम समझते हैं कि आज न मालूम हम किधर जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से खास करके निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक शिड्यूल और एड कर दीजिये और उस वक्त जैसा चाहें वैसा करें लेकिन सेक्शन २४५ जैसी स्वीपिंग क्लॉज़ रख कर एक्ट बनाकर शहर के नागरिकों पर ऐसा अन्याय मत कीजिये। म्युनिसिपेलिटी वाले चाहे जो अन्याय कर सकते हैं यह बहुत ही घातक चीज होगी। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का यह सुझाव है कि २४५ क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। यह बहुत ही उचित है और मैं समझता हूँ इस क्लॉज़ को डिलीट करके जनतन्त्र का परिचय देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। मैं अदब से निवेदन करूंगा कि इसमें सिर्फ इतना प्रोविजन है कि जो बोर्ड को आपने फंकशन्स दिये हैं और इस कानून के अन्तर्गत जो पोवर्स दी हैं कि बोर्ड को ये ये अख्त्यारात हैं उसके सम्बन्ध में बोर्ड किसी को हिदायत करता है और वह उसका पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसका चालान करेगा इसमें कौनसी बाधा आयेगी। आपने बोर्ड को अख्त्यार दिये हैं उसका पालन करना भी तो जरूरी है। जैसे बोर्ड मना करता है कि फलां जगह सड़क बन रही है इसलिये जब तक सड़क बन रही है तब तक इस रास्ते पर गाड़ियें आदि नहीं चलाई जांय। बोर्ड इस बारे में नोटिस बोर्ड लगा देते हैं कि कोई आवे जावे नहीं। कानून से जो उसको अख्त्यार दिये हैं उनको पूरा करने के लिए कहते हैं और कोई नहीं मानता है तो उसको अधिकार देना ही बेकार हो जायगा। यदि बोर्ड को कोई काम करने का अधिकार देते हैं तो उसमें रुकावट डालने वाले को सजा देने का अधिकार देने की भी आवश्यकता है। ऐसा प्रोविजन टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट में भी मौजूद है उससे कोई बेजा बात नहीं हुई। कानूनन अधिकारों को केरी आउट करने के लिये प्रोविजन है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसको जैसा है वैसा ही पास करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४५ स्वीकार किया जाय।

क्लॉज़ २४५ स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २४६

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—मैं इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें भी वही बात है जो २४५ में थी।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—वही बात नहीं है मैं मिसाल रखता हूं।...

श्री जवान सिंह—और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—आप भी बोलिये, दुनिया भर के लोग बोलें, मुझे आपत्ति नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह जो २४६ है उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये। इसके जरिये हमने व्यवस्था की है कि अगर किसी चौकड़ी या लोकेलिटी के जो नागरिक हैं उनको म्युनिसिपेलिटी नोटिस देती है और यदि उसके अनुसार प्रबन्ध नहीं होता है, उसमें जो कुछ लिखा है उसके माफ़िक के काम नहीं करता है तो उसको सजा मिलेगी। मैं उसके लिये एक कांक्रीट मिसाल रखना चाहता हूं। मान लीजिये म्युनिसिपेलिटी की कोई चौकड़ी है उसमें गटर की लाइन बन जाती है और उसके बाद म्युनिसिपेलिटी उस चौकड़ी में रहने वाली पब्लिक को नोटिस के जरिये आदेश देती है कि आपको इतने समय में अपने मकानों में फ्लश के तारहत बनाने पड़ेंगे। अब एक चौकड़ी में रहने वालों में से सब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उन पर इसका क्या असर होगा? ये आप जानते हैं कि हर तरह के लोग एक चोकड़ी के अन्दर रहते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी है और किसी की बुरी होती है, किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है जो अपना गुजारा किसी तरह से कर लेता है लेकिन ऐसे कामों के लिये पैसा नहीं बचा सकता। इसलिये इस क्लॉज में एक आदमी मुकर्रर करनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि इस सेक्शन का असर इस नियत आमदनी से कम आमदनी वालों पर नहीं पड़ना चाहिये। मैं सुझाव के तौर पर यह कहूंगा कि जिन की आमदनी १२०० रुपया सालाना से कम है उन पर हाउस टैक्स नहीं लगाया जाय, यह बात सदन में कही गई थी, इसलिये मैं समझता हूं इस धारा में भी आपको exemption रखना पड़ेगा कि जिन की आमदनी १२०० रुपया साल से कम है उन पर इस धारा का असर नहीं पड़ेगा और उनके मकानों में यह काम करने के लिये हमें विशेष तरह का प्रोविज़न करना पड़ेगा। यदि सब के ऊपर एकसी चीज एप्लाई करते हैं तो वह गैर वाजिब होगी और नागरिकों के प्रति न्याय नहीं होगा। जब कोई कानून बनाते हैं और क्लॉज़ेज़ का समावेश करते हैं तो देखना पड़ेगा कि इसका जनता पर असर किस तरह का पड़ेगा। यदि अच्छा असर पड़ेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि बुरा असर पड़ता है तो उसको हटाना पड़ेगा। यह एक सिद्धान्त की बात है इसलिये मैंने यह बात रखी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जनता को परेशानी होगी और जो मंशा है वह

(श्री जवानसिंह, सभापति, के पदासीन होने पर करतल ध्वनि)

भी पूरी नहीं होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई कानून बनता है और उसमें जनता का सहयोग हो तो अच्छा रहता है लेकिन यदि आप ऐसा प्रोविजन करेंगे तो जनता का सहयोग नहीं होगा और जो कानून बनाना चाहते हैं उसकी मंशा पूरी नहीं होगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ २४६ के अन्दर जिस तरह का क्लॉज इस बिल में आया है उस तरह का क्लॉज़ इस बिल में आना नहीं चाहिये था, क्योंकि माननीय

Page No 67

[श्री मुक्तिलाल मोदी]]

चेयरमेन, इस तरह का क्लॉज तभी रखना चाहिये था जब कि म्युनिसिपेलिटी के पास काफी पैसा होता और वह यहां तक करती कि जिन के पास पैसा नहीं है और सिटी को खास तरह से बनाना है, गंदगी को दूर करना है, स्वास्थ्य में फायदा करना है तो इस तरह की क्लॉज़ इस म्युनिसिपल बिल में आनी चाहिये थी; सुझाव के तौर पर किसी आदमी के पास १२०० रुपये सालाना से कम इन्कम है वह फ्लश की तारहत नहीं बना सकता तो आधा पैसा उसको म्युनिसिपेलिटी देगी सब सिडी के बतौर और आधा पैसा वह खुद जिसका मकान है वह लायेगा, तब इस तरह की क्लॉज़ यदि सरकार इस म्युनिसिपल बिल में रखती तो उपयुक्त और अच्छी बात होती और जितनी सिटीज़ राजस्थान में हैं उनमें फ्लश की तारहत बन जातीं, लेकिन जब इस तरह की धारा नहीं रखी गई तो मैं मंत्री जी से सुझाव के तौर पर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस की आमदनी १२०० या १५०० रुपया सालाना है और जिसके मकान है खुद का और उसके ५. ६ बाल बच्चे हैं तो उसका खर्चा ही नहीं चलता तो फ्लश के तारहत कहां से बना पायेगा। ऐसी हालत में सरकार को फंड रखना चाहिये जिसके अंदर से आधा पैसा सरकार दे दे और आधा मकान मालिक दे दे और फ्लश की लेटरिन्स तुरन्त बनादी जावें, इससे सिटीज़ का इम्प्रूवमेन्ट हो सकता है। भारत सरकार कई कामों के लिये लोन दे रही है। मकान बनाने के लिये लोन दे रही है, ग्रामोद्योग के काम के लिये लाने दे रही है, उसी तरह से सिटीज़ का इंप्रूवमेन्ट करने के लिये भारत सरकार और राजस्थान सरकार को यह चाहिये था कि हमारे राजस्थान में जो ६-७ सिटीज़ हैं उनका इंप्रूवमेन्ट करके काफी फायदा जनता के स्वास्थ्य में पहुँचाती। जिनके मकानों की सालाना १२००, १५०० रुपया इन्कम है उनके लिये यह हो कि अलग इस तरह के तारत बनावे, उनके लिये सबसिडी दें तब तो शहर की हालत अच्छी हो सकती है। और यह ठीक भी है।

इसलिये मन्त्रीमहोदय मेरा यह सुझाव को इस तरह का क्लॉज़ रखकर वह सुझाव स्वीकार करलें तब तो सारी सिटीज़ में सब को फायदा हो सकता है वरना एक कानून पास कर दें और उस कानून को लागू नहीं किया जाय, उन कानूनों को लोग मानें नहीं और फिर जुर्माने के नोटिस दिये जायं, सरकार का पैसा खर्च हो, इस तर के कानून पास करने से क्या होता है। आज राजस्थान सरकार की ओर से बाल विवाह कानून पास किया गया पर मेरे यहां पर कई दोस्त बैठे हुए हैं वे ही उन कानूनों को तोडते हैं, तो फिर जनता क्यों नहीं तोडेगी। पहले कानून कौन तोडेगा ? या तो पैसे वाला या जिनके पास अधिकार हैं वे ही लोग तोडेंगे, गरीब तो बाद में तोडेगा। गरीब भी उनकी देखा देखी कानून तोडेगा। इससे जनता का नुकसान होगा। इन सारी बातों को देखते हुए मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिया है, उसके माफिक कर लें तो सारे सिटीज़ में सुधार हो सकता है, नहीं तो जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मेरा सुझाव स्वीकार करने से सिटीज़ की हालत सुधारी जायंगी, और दो करोड रुपया जो स्वास्थ्य के लिये सरकार खर्च करती है और म्युनिसिपेलिटिज़ भी खर्च करती हैं, वह बच जायगा। जब आदमियों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो होस्पिटल्स में आज जो मरीज देखते हैं, टीके लगवाते हैं, हैजे की बीमारियां होती हैं, वे बीमारियां नहीं पायेंगे और उनके स्वास्थ्य के लिये जिस प्रकार खर्चा होता है वह भी नहीं होगा, वह खर्चा बच जायगा। मेरे सुझाव को मानें तो सारी सिटीज़ का सुधार हो सकता है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ २४५ और २४६ के बारे में जो विरोधी पक्ष की ओर से विचार रखे गये हैं, उनमें से क्लॉज़ २४५ के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वह पास हो चुका है। क्लॉज़ २४६ के बारे में जो विचार रखे गये उनसे मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य इसलिये हुआ कि आज्ञा देने वाले के हाथ में सत्ता नहीं दी जाय तो वह अपनी आज्ञा का पालन किस प्रकार करवा सकता है। इस लिये मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि आज्ञा देने वाले के लिये आवश्यक है कि उसके हाथ में सत्ता हो जिससे वह उस सत्ता के आधार पर उसकी आज्ञा का पालन करवा सके। अगर किसी नगरपालिका ने जन स्वास्थ्य के लिये कोई नियम रखे हैं और उनकी कोई अवहेलना करता है तो उस पर अगर जुर्माना कर दिया जाय तो यह कोई बुरी चीज नहीं है।नगरपालिका का यह कर्त्तव्य है कि गंदगी नाम मात्र को भी न रखे, केवल गंदगी शब्द है वह कानों में ही रह जाय, पर वास्तव में घरों में, सड़कों पर, गलियों में नाम मात्र को भी गंदगी न रहे, इस लिये नगरपालिका नियम बनाती है कि फ्लश के तारत बनायें। अगर इस आज्ञा का कोई पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना अवश्य होना चाहिते। यदि कोई इस बारे में सुझाव रखना चाहते हैं, जो वास्तव में नगर के लिये हित कर हैं, तो वह मन्त्री महोदय को अवश्य स्वीकार करना चाहिये। परन्तु यह तो अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक मकान वाले फ्लश के तारत बनायें और इसकी आज्ञा का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना हो, हां, कई जगह परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि किसी नागरिक की आमदनी १०० रुपया ही हो या इससे भी कम हो और उसके पास फ्लश का तारत बनाने के साधन नहीं हों तो उसको इस तरह के साधन कैसे प्राप्त हों, इसके लिये अवश्य विचार होना चाहिये। पर अगर कोई सब तरह के साधन होते हुए भी हमारी आज्ञा की जान बूझ कर अवहेलना करता है तो उस पर अवश्य जुर्माना होना चाहिये। अगर कोई असमर्थता के कारण आज्ञा का पालन नहीं कर सकता तो उस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि किस तरह उसके साधन जुटाये जांय।

जन स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है पर इस क्लॉज़ में ऐसा संशोधन जरूर रखा जाय कि हर मनुष्य फ्लश के तारत अवश्य बनाये और इसका बनाना अनिवार्य हो और अगर उस व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है तो म्युनिसिपेलिटी कर्ज के रूप में रुपया दे कर तारत बनादे और जितना रुपया लगे वह किराये से वसूल करती रहे जब तक कि पूरा रुपया वसूल नहीं हो जाय। इससे स्वास्थ्य की तरक्की होगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के विचार रख दिये जाय तो मन्त्री महोदय को यह सुझाव स्वीकार होगा।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में कई माननीय मित्रों ने विचार प्रगट किये और कई मित्रों ने इस सत्य को दोहराया कि जब हम नगरपालिका के लिये कानून बनाने जा रहे हैं और उन चुने हुए सदस्यों को अधिकार दे रहे हैं कि वे जन हित में ऐसे तरिके अख्तयार करें कि नगर की प्रतिष्टा, स्वास्थ्य एवं स्वास्छता बनाये रखें। हर एक आदमी का दिमाग और स्वभाव अलग अलग तरह का होता है, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो इस तरह की आज्ञाओं का पालन न करें, जो अवज्ञा करने वाले हों, जो इस प्रकार की आज्ञाओं को तोडने वाले

[श्री श्रीदास गोयल]

हों, ऐसे व्यक्ति जो नागरिकता के आदर्शों को सही तरीके से अपनाने वाले न हों, उनके लिये कुछ हथियार भी उनके हाथ में होना आवश्यक है, एक हाथ में तराजू हो, काम करने के लिये सही मार्ग हो तो तराजू तोल कर अवज्ञा करने वाले हैं उनको दण्डित किया जाय। इसके लिये अगर उनके हाथ में हथियार नहीं रखा गया तो वह कानून अव्यवहार्य हो जाता है, कोरा कागज़ी पोथा रह जाता है जिसका कोई आदर नहीं। जब हम आज की जिंदगी में चाहते हैं कि जनतन्त्र सफल हो, चुनी हुई म्युनिसिपेलिटियों के सदस्यों को अधिकार दे रहे हैं कि जो नगर के हित में हैं उसको तो संदेह की गुंजायश नहीं रहती।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब क्लॉज़ २४५ और २४६ की तरफ हम दृष्टि डालते हैं तो मालूम होता है कि बहुत से ऐसे मित्र हैं जो हुक्म की तामील नहीं करते। किसी ने रास्ते चलते टट्टी बना ली और इससे हजारों आदमियों को जो रास्ते से गुजरते हैं उनको तकलीफ कर दी। म्युनिसिपेल्टी यह चाहती है कि उसको हटाई जावे और उसको नोटिस के द्वारा उसको हटाना चाहती है। नागरिक उस नोटिस की अधिक परवाह नहीं करता और उसको नहीं हटाता है और वह नोटिस को लेता ही नहीं और उसको वापिस लौटा देता है या लेता है तो भी उसकी तामील नहीं करता। इस प्रकार के जो नागरिक हैं उनके लिए यह प्रोविज़न है। मैं तो यह कहूँगा कि मौजूदा समय में नागरिकों को इस प्रकार के विचार छोड़ देने चाहिये कि वे सरकारी हुक्म की तामील न करें और रास्ते में जबर्दस्ती टट्टी बना लें। आज हमारा देश गुलाम नहीं है इसलिए आज उन लोगों से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम सफाई रखें और अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करें और नागरिकता के अधिकारों को जिम्मेदारी से निभायें। यदि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभायेंगे तो हम अपने देश को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। खास तौर से इस समय जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हमें नगर, कस्बों और गांवों की दुनिया बदलनी है और इसके लिए हम परिवर्तन करने जा रहे हैं तो हमें यह सोचना होगा कि यह ४८ करोड़ रुपया जो हम खर्च करने जा रहे हैं उसके लिए यह जरूरी है कि जितना भी योग नगरपालिका के हित में दे सकें दें और इससे यह देखें कि उसका सदुपयोग हो। एक तरफ तो आप सफाई चाहते हैं और दूसरी तरफ आप टट्टी वगैरा रास्ते पर बना लेते हैं और जब म्युनिसिपेल्टी नोटिस देती है उसकी तामील नहीं करते तो यह सही चीज नहीं है। इसलिये यह जो क्लॉज़ है वह वास्तव में हमको सही रास्ते की ओर ले जाने वाला है। और इसके नहीं होने से हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इसको हमें मानना चाहिये मैं समझता हूँ कि बहुत संभव हो कि मेरे मित्र को कुछ वहम हो गया हो और इससे वहम में पड़कर उन्होंने संशोधन किया हो। इसलिए उनको संशोधन छोड़ देना चाहिये। देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता के लिये जिम्मेदार ही नहीं है, वह इसके लिए साधन ही नहीं बल्कि साध्य है। किसी भी जगह से जो लोग म्युनिसिपेल्टी में जावेंगे वे चुने हुए लोग होंगे और उन पर हमको पूरा भरोसा करके चलना चाहिये कि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुये कार्य करेंगे। ऐसी सूरत में जिस शक्ल में यह क्लॉज है इसको मन्जूर कर लेना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन, सदन के समक्ष यह क्लॉज़ २४६ प्रस्तुत की गई है। सवाई माधोपुर से तशरीफ लाने वाले माननीय मित्र ने जिस सुरीले ढंग से इसका समर्थन किया उसको सुन सुनकर मैं अवाक रह गया। इसके पहले मेरी कुछ ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं थी मगर उन्होंने नगरपालिका के सदस्य होने के नाते जो बातें कहीं उसके लिए मुझे बोलना जरूरी हो गया है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं म्युनिसिपेल्टी का सदस्य नहीं हूँ।

श्री मानसिंह महार—पहले थे, अब तो हार गये, कहां से हो।

जिस ढंग से उन्होंने वकालात की है वह भी सराहनीय है। लेकिन माननीय चेयरमेन, हमको यह देखना है कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसमें हमें गरीबों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात जो देखने की है वह यही है। मैं मानता हूं, जयपुर शहर को देखिये। जयपुर बड़ा सुन्दर शहर है, यहां पर बड़ी बड़ी अटालिकाएं हैं लेकिन इसके पीछे गलियों में छोटे छोटे झौपड़े मौजूद हैं। इन बड़ी बड़ी अटालिकाओं में तारत भी फ्लश के हो सकते हैं जालीदार झरौखे बनाये जा सकते हैं लेकिन जब हम गरीबों की ओर जाते हैं तो हमें इस पर सोचना पड़ता है। मेरे मित्र ने यह कहा कि म्युनिसिपेल्टी का यह फर्ज है कि गन्दगी फैलाने वाली कोई चीज़ होती है तो उसको हटा दी जानी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जो आप बात कहते हैं उसमें पूंजीवाद की बू आती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आजकल सोशियल पेटर्न के युग में पूंजीवाद टिक नहीं सकता। यह मेरी निश्चित धारना है। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि पहले सरकार को इस प्रकार के काम करने चाहिये कि जिसमें गरीबों को पूंजीवाद के लायक बनाया जाये, उनका जीवनस्तर ऊंचा उठाना चाहिये कि प्रत्येक मजदूर के मकान पर फ्लश का तारत हो, प्रत्येक मजदूर इस हालत में हो कि उसको २०० रुपये माहवार आमदनी हो, उसके पास भी सफाई के साधन हो और यदि वे सफाई नहीं रखते हैं, हम उनको इस प्रकार छोटे छोटे कामों में बाध्य करें तो उचित होगा।

माननीय चेयरमेन, यहां हमारे जयपुर का पुराना तजुर्बा हमको रहा है जिस समय यहां पर सर मिर्जा इस्माइल यहां के दीवान थे उन्होंने यह हुक्म दिया था कि प्रत्येक मकान के सामने खुली गेलेरी होनी चाहिये, कितना अच्छा नक्शा हो गया, यदि उसी प्रकार की जयपुर शहर की म्युनिसिपेल्टी आज्ञा देती है तो नक्शे के लिहाज से तो यह बहुत सुन्दर हो गया मगर इस म्युनिसिपेल्टी की आज्ञा की तामील करने के लिए कितने ही गरीबों की दुकानें बिक गई और उन दुकानों को पूंजीपतियों ने आधी कीमत में खरीद लिया, क्योंकि उन लोगों के पास वरन्डा बनाने के लिए पैसा नहीं था।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आप एक दो आदमियों के नाम बता सकेंगे जिनको अपनी दुकानें आधी कीमत में देनी पड़ीं?

श्री मानसिंह महार—मोतीराम दुकानदार है गंगापोल में है। और भी नाम आप चाहते हैं तो मैं सदन के सामने कल रख सकता हूँ।

इन्होंने ६०० रुपये की मिलकियत की दुकान को एक पूंजीपति को २५० रुपयों में बेच दी क्योंकि बेचारे के पास उस दुकान के आगे दो हजार रुपये लगाकर वरन्डा बनाने के लिए पैसे नहीं थे। और नाम भी अगर मेरे साथी चाहेंगे तो मैं सदन को मेज पर रख दूंगा। मेरे पास उस समय जिस समय में लेजिस्लेटिव कौंसिल का सदस्य था बहुत सी विधवाएं आई थी और उन्होंने कहा कि हम लोगों को १०, १५ रुपये इनसे किराया आता है और इस किराये से अपना जीवन निर्वाह करते हैं और सरकार वरन्डा बनाने के लिए बाध्य करती है तो सरकार बना ले। यह उचित नहीं। इसी प्रकार अगर सरकार यह कहे कि फ्लस के तारत बनाये जावें तो मैं यह कहूंगा कि गरीब लोग जो झोपड़ों में रहते हैं किस तरह से इसका प्रबन्ध कर सकेंगे। जौहरी बाजार में हो तो सवाई माधोपुर से आये हुए सदस्य जैसे पूंजीपति वहां पर रहते हैं वे इसका प्रबन्ध कर सकते। यदि उनसे कहा जावे तो मैं यह मान सकता हूँ कि वे फ्लश के तारत लगा सकते हैं। लेकिन हमारे गरीब इलाके गंगापोल चौकड़ी में रहने वाले, यदि आप वहां पर जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर ८० प्रतिशत लोग गरीब रहते हैं उनके खाने के लिए सुबह की रोटी है तो शाम को खाने को रोटी आसानी से नहीं मिल सकती। उनके खानदान में पूर्वजों में कोई अच्छे आदमी हुए उन्होंने उनको मकान बना दिया, अब उनको म्युनिसिपेल्टी बाध्य करेगी कि दो दो हजार रुपये लगाकर आप फ्लश बनाओ और अगर वह नहीं बनावेंगे तो म्युनिसिपेल्टी खुद बनावेगी। और खर्चा उनसे वसूल करेगी। हमे यह चाहिये था कि इस प्रकार की जो सुधार के योजना है और प्रोविज़न है उसमें यह होना चाहिये था कि १२०० रु० सालाना से जिसकी आमदनी कम हो तो उसके लिए उन लोगों को सरकार कर्जे के रूप में रुपया दे दे और करवा ले और उनको किश्तों के रूप में वसूल करे, तब तो यह कोई न्याय संगत बात होती। लेकिन उनको इस प्रकार से बाध्य करना और उन पर जुर्माना २०० का करना वाजिब नहीं। पुराने जमाने में यह कहावत थी कि यदि जुर्माना वसूल कराना हो तो बड़े आदमी से कराओ और छोटे से कम कराओ। आज दो सौ रुपये एसेम्बली के मेम्बरों को मिलते हैं उनके लिए दो सौ रुपये मामूली चीज हैं, मगर उन गरीबों को देखिये जो म्युनिसिपल एरिया में अधिकतर रहने वाले हैं। मैं इस कानून को पूंजीपतियों की नुकता निगाह से नहीं देखता हूं मगर मैं यह कहूंगा कि इसमें पूंजीवाद कूट कूट कर भरा है मैं गरीबों की तरफ से देखता हूं कि ऐसी बातें कानून में आती हैं जो कतई वाजिब नहीं हो सकती हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है।

इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से और हमारे मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह जो क्लॉज़ है इस क्लॉज़ को या तो डेफर कर दिया जाय या इसके अन्दर कोई इस प्रकार का प्रोवीज़ो लगा दिया जाय यह जो प्रोवीज़न लेट्रिन्स का है इस तरह से गरीबों पर अन्याय नहीं होना चाहिये। गरीब वैसे ही अपने जीर्ण शीर्ण अवस्था के मकान में हैं और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं उनको मजबूर किया जायगा फ्लश की लेट्रिन्स के लिए तो या तो उनको मजबूरी से मकान बेचना पड़ेगा या कर्जे में इतने डूब जायेंगे कि उसका निबटारा किसी प्रकार नहीं हो सकेगा।

[श्री मानसिंह महार]

जिस बात का सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने समर्थन किया चेयरमेन महोदय, उनके लिए तो क्या वे यदि चाहें तो जयपुर में बड़ी बड़ी अट्टालिकायें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उनको गरीबों की निगाह से देखना चाहिये। यह क्लाज़ गरीबों के काम की नहीं। चेयरमेन महोदय, मेरी चौकड़ी में गटर की लाइन चालू कर दी गई और मेरा यह अनुमान है कि मेरी इस चौकड़ी के गरीब निवासियों को मजबूर किया जायगा कि वे फ्लश की लेट्रिन्स लगावें। इस बात को आप गंभीरता से सोचिये। आप इस चीज को ध्यान में रखिये कि जो कुछ भी कानून हम देश में लागू करने जा रहे हैं, इस प्रकार के बनायें जिसमें गरीबों का भी भला हो। जैसे आपने जागीरदारी उन्मूलन बिल पास किया उसमें आपने गरीब किसान का ध्यान रखा उसी प्रकार आप इस कानून में भी गरीबों की निगाह से देखिये। गरीबों के साथ सहानुभूति रख कर आप जो कुछ भी अधिकार इस कानून में देते हैं वे मालदारों के लिये बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए वे घातक सिद्ध होते हैं। इसलिए सदन से और माननीय सदस्यों से और मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस धारा को इस नुक्ते निगाह से देखें या तो आप इसको डेफर कर दें या इसमें इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करें ताकि गरीबों को इस प्रकार मजबूर न किया जा सके। फ्लश की तारत का जहां तक मामला है गरीबों को बहुत हानि होगी इसलिए इस धारा को डेफर कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेयरमेन महोदय, पिछले २४५ के क्लाज़ में मैंने जो निवेदन किया था बड़ी अदब के साथ निवेदन करूंगा कि इस क्लाज़ में कोई नये पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं, पावर्स तो पहले ही दे चुके हैं। इसमें तो यही प्रोवीज़न है कि जो पावर्स हम पहले दे चुके हैं उनको केरी आउट करना है। जो हमने पावर्स एक्ट प्रोवाइड कर दिये हैं बाई लॉज या रूल्स बना दिये गये हैं, जो कुछ हमने पहले कर दिया है उसको अगर कोई आदमी नहीं मानता है उसको पाबन्दी के लिये यह प्रोवीजन किया गया है कि मजिस्ट्रेट जुर्माना कर सकता है। इसमें गरीब आदमियों के लिए किसी प्रकार के बोर्ड को अधिकार देने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूं इस सारे चेप्टर में कोई ऐसी बात नहीं जो बोर्ड को किसी प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं। इसके फंक्शन और ड्यूटीज़ तो पहले ही प्रेसक्राइब कर दी अगर उनको कोई नहीं मानता है तो बाईलॉज या रूल्स की कोई पाबन्दी नहीं करता तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने चलना पड़ेगा। इसमें गरीब अमीर के साथ ज्यादती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सबके लिए एक सा कानून हो रहा है। अगर हम गरीब और अमीर का भेद करते हैं तो यह कानून डिसक्रीमिनेटरी हो जायगा। मेरा ऐसा खयाल है कि इस सारे चेप्टर के बारे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। गरीब और अमीर में भेद करके अगर कोई गरीब के लिए छोड़ा जा सकता है तो वह हाउस टेक्स है उस पर अपन बाद में विचार करेंगे, उसमें गरीबों का पूरा ध्यान रखा गया है। मेरा निवेदन यह है कि इस क्लाज़ से गरीबों पर किसी प्रकार की ज्यादती होने वाली नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको इस बात की समझने की कतई गुंजायश नहीं कि इससे गरीबों को हानि होगी। ये सब बातें सिलेक्ट कमेटी में हुई थीं। सिलेक्ट कमेटी ने इसको बहुत सोच समझ कर सारे चेप्टर को रखा है, इसमें जो

Page No 73

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

कुछ भी अधिकार दिये गए हैं वे आलरेडी उनको कार्यान्वित करने में कोई दिक्कत करता है उसको चालान करने का पावर्स दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित किया जायगा फिर मजिस्ट्रेट यह देखेंगे कि इसने कानून को पाबन्दी की है या नहीं। मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी आपको दिक्कत हो आपस में बैठ कर बातें कर लेंगे और इस क्लॉज़ को जैसा है वैसा ही पास कर दिया जाय।

श्री भैंरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर थोड़ा सा सुझाव रखना चाहता हूं कि इसमें एक प्रोवीज़ो एड कर दिया जाय कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनको इन्स्टालमेन्ट में देने की सुविधा दे दी जाय, जब तक क्लाज़ २४८ में प्रोवीज़ो एड नहीं करेंगे तब तक यह सुविधा नहीं हो सकेगी...

श्री सभापति—यह आप नया सजेशन दे रहे हैं, इसका एक्स्प्लेनेशन दें।

श्री भैंरूंसिंह (जारी रखते हुए)—उपाध्यक्ष महोदय, किसी आदमी की आर्थिक स्थिति खराब है और म्युनिसिपल बोर्ड इस क्लॉज़ की तहत यह करेगा कि सारी रकम उससे वसूल करने की चेष्टा करेगा और सारी रकम वसूल करेगा। एक साथ वसूल न हो उसे इन्स्टालमेन्ट में लेना चाहिये ताकि जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है वह भी दे सकेगा, अगर हम ऐसा प्रोवीज़ो एड नहीं करते हैं तो चाहे जिस तरह से हो म्युनसिपल बोर्ड उससे पूरी रकम वसूल करेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—क्लॉज़ २४८ और २४९ में फर्क है। इस क्लॉज़ के अन्तर्गत कोई किसी चीज के लिए डाइरेक्ट करता है रूल्स के माफिक किसी शख्स को नोटिस दिया गया तो उसको मान लेना चाहिये, अगर नहीं मानता है या किसी प्रकार की रियायत चाहता है ब्रीच करता है रूल्स का तो उसको चालान करने का प्रोवीजन नहीं है, बल्कि पहले जो धारायें पास की उनका कोई ब्रीच करता है...

श्री भैंरूंसिंह—ब्रीच इसलिए करता है कि उसके पास पैसे नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें पैसे का सवाल नहीं। यदि रूल्स के कम्पलाई करने के बारे में कोई एतराज करता है उसको कहा जाता है फलां काम करो, फलां चीज तोड़ दो यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करता है उसके लिए क्लाज़ २४८ प्रोवाइड की गई है। फिर कोई दिक्कत होगी तो बैठ कर विचार कर लेंगे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लाज़ २४९ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लाज़ २४६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २४७

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—चेयरमेन महोदय, मैं क्लाज़ २४७ के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, इस क्लाज़ के अन्दर व्यवस्था की गई है कि किसी शख्स को कोई काम करने का नोटिस दिया जाता है और अगर वह उस नोटिस के अनुसार कार्य नहीं करता है तो क्या कार्यवाही की जाय। इस धारा के अनुसार उस पर दो तरह की कार्यवाही की जायगी पहली कार्यवाही यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड अपनी तरफ से उस काम को करवा लेगी और उसके बाद उसका जो भी खर्चा होगा वह उससे वसूल किया जायगा।

दूसरी कार्यवाही यह होगी कि उसको एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा और मजिस्ट्रेट को अख्त्यार होगा कि उसके ऊपर २०० रु० तक का जुर्माना कर सकता है। और जब तक काम नहीं हुआ उस दिन तक प्रतिदिन पांच रुपये के हिसाब से उससे वसूल किया जाये। इस तरह से दो तरह की कार्यवाही इस क्लाज के द्वारा की जायगी। मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार यह जो दो तरह की कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है वह बड़ी सख्त है। एक तो म्युनिसिपल बोर्ड उससे जो काम करवाना चाहता है और वह काम हो जाता है और उस पर जो खर्चा हुआ वह भी वसूल कर लिया जाता है, ऐसी हालत में जुर्माना करना और प्रतिदिन पांच रुपये वसूल करना नावाजिब बात है। जब म्युनिसिपल बोर्ड अपनी तरफ से उस काम को करवाता है और उसका खर्चा वसूल कर लिया जाता है तो फिर उसको किसी प्रकार का दंड दिया जाये तो यह उचित बात नहीं है। आप अपने सामने यह एक दृष्टिकोण रखिये कि अगर कोई भी कानून बनाया जाय वह इस प्रकार से बने बनाइये कि जिससे आम जनता को सहूलियत हो और वह कानून ठीक तरह से कार्यान्वित हो सके। लोगों पर सख्तियां करके कोई कानून का पालन करवाया जायगा तो वह कानून ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इसके अन्दर सिर्फ यह व्यवस्था रहनी चाहिये कि नोटिस देने के बावजूद यदि कोई काम नहीं करवाता है तो उसको म्युनिसिपल बोर्ड करवायेगा और उस पर जो भी खर्चा होगा वह वसूल कर लिया जायगा, उसके बाद किसी प्रकार का जुर्माना रखना वाजिब बात नहीं होगी! इसलिए यह जो २४७ का 'बी' अंश है उसको डिलीट कर दिया जाय और बाकी क्लॉज वैसी की वैसी रहने दी जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इस क्लॉज़ २४७ के सब क्लॉज़ (बी) के अन्दर इस तरह का क्लॉज़ रखा गया है कि या तो वह आदमी कोई कोठा बनवाता है या कोई भी चीज़ जैसे तहारत टूट गया या और कोई छोटी मोटी चीज है उनमें यह क्लॉज़ेज़ छोटे छोटे कामों में काम में आती हैं। तो माननीय चेयरमेन, अगर वह आदमी काम नहीं कराएगा और इसके बावजूद म्यूनिसिपल बोर्ड बनवाएगा तो अगर मकान मालिक के पास पैसा नहीं हुआ देने के लिये तो बोर्ड उसको नोटिस

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

देगा कि जो काम बनवाने में म्यू० ने पैसा खर्च किया है वह जमा कराओ, नहीं तो तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, तुम्हे सजा होगी और दो सौ रूपया तक जुर्माना होगा। तो काम होगा पचास रुपये का और जुर्माना होगा दो सो रुपया। मैं कहता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मकान मालिक के पास पैसा नहीं है और म्यू० बनवा देती है तो उसे धीरे धीरे वसूल करें, या किरायेदारों से लेता रहे और इस पर भी नहीं वसूल हो तो पचास रुपया, पचीस रुपया जुर्माना रक्खा जाय। दो सौ नहीं। नहीं तो पांच पचीस रुपये के काम में भी दो सौ रुपया जुर्माना और पांच सौ के काम में भी दो सौ रूपया जुर्माना। तो वैसे मेरा तो मत है कि इस क्लॉज़ को बिल्कुल हटा दिया जावे। और अगर यह क्लॉज़ रक्खा ही जाय और सरकार गरीब आदमियों के लिए कुछ छोटा मोटा मरम्मत का काम कराए तो यह सबसीडी की तौर पर कराए जिससे गरीब जनता को फायदा हो। इसमें आधा सरकार सबसिडी के तौर पर दे दे और आधा वह मकान मालिक दे दे तो यह ज्यादा अच्छा होगा। मेरा मन्त्रीजी से निवेदन है कि वे ऐसा प्रोविजन करके इस क्लॉज़ को खतम करें।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ २४७ में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी एक खास काम को कराने के लिए म्यू० बोर्ड किसी व्यक्ति को नोटिस देती है और वह व्यक्ति जानबूझ कर या अनजाने में या किसी भी परिस्थिति के वश वह काम पूरा नहीं करा सके तो म्यू० बोर्ड उस काम को अपने खर्चे से पूरा करावेगा। अपने खर्चे से पूरा कराने के कारण यह वाजिब है कि म्यू० बोर्ड वह सारा खर्चा उस व्यक्ति से वसूल करे। लेकिन उस वाजिब बात के साथ जो दूसरी वाजिब बात इस क्लॉज़ में देखने को मिलती है कि यदि वह आदमी उस काम को नहीं करा सकेगा तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर उसके ऊपर दो सौ रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है।

आम तौर से यदि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करें तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन यदि इसकी डिटेल में जाने की हम चेष्टा करें, इसका प्रेक्टिकल साइड देखें, इसके कारण से जो कठिनाइयां हमारे सामने आ सकती हैं उनकी ओर थोड़ा दृष्टिपात करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमें इस क्लॉज़ के द्वारा जितना लाभ होगा उससे कहीं अधिक इसके कारण से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

माननीय सभापति जी, आज इस चीज से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जो चीज़ म्यू० में किसी भी प्रकार से हुई हो, एक दूसरे की सेहत के लिए खतरनाक हो, एक दूसरे के अमन अमान को कायम रखने के लिए बाधाएं पैदा करती है, उन चीजों में सुधार करके या उनको तोड़ मरोड़ कर उन सारी कठिनाइयों को दूर करें, करना भी चाहिये पर जो दूर करने में कठिनाइयां आ सकती हैं उनको भी देखना चाहिए।

[श्री भैरूंसिंह]

अब मन्त्रीजी ने कहा कि हम दोहरा रहे हैं। दोहराने से मेरा मतलब जो पहली बात तै करदी है, कोई म्यू० बोर्ड पहली वाली बात के लिए नोटिस दे और इसके बाद वह तरमीम न करे तो इसके बारे में हम इन क्लॉज़ेज़ के अन्दर सजा की तजवीज करते हैं। मैं मानता हूँ यह चीज, पर अभी जिस प्रकार मेरे पूर्व वक्ता ने बताया वह टालने लायक नहीं है। शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। जहां किसी बात से जनता को नुकसान होने का अन्देशा है वहां उसको तोड फोड करने का, सुधारने का नोटिस देना जरूरी है, देना चाहिये मैं भी इससे सहमत हूँ। पर यह भी देखना है कि उसकी स्थिति ऐसी है या नहीं कि वह अपने पास से पैसा खर्च करके वह काम करा सके। तो ऐसी स्थिति में उसके सामने दो हो रास्ते रह जाते हैं, अगर उसके अनुसार तरमीम कराता है तो उसके पास पैसा नहीं और इससे तरमीम नहीं कराता है तो जुर्माना होता है। जुर्माने का भी पैसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में या तो वह मकान को बेच दे। इस प्रकार बेचने पर खरीदने वाले पर वह मरम्मत कराने की लाइबिलिटी आवेगी तो एक तो यह मार्ग है उसके पास। या फिर चुपचाप बैठा रहे। म्यू० के जुर्माने को भोगे और म्यू० की छत्रछाया में दुरुस्ती होने दे। अब म्यू० अपने खर्चे से कराती है तो चेप्टर ८ के मातहत पैसा वसूल करेगी। नोटिस दिया जावे कि १५ दिन के अन्दर अन्दर पैसा जमा करा दो नहीं तो आगे दूसरी क्लॉज़ेज़ हैं उनके अनुसार काम होगा। अब १५ दिन में जमा नहीं कराता है तो नोटिस आफ डिमान्ड दिया जावेगा। १५ दिन में नहीं जमा करावेगा तो कोर्ट में केस चलेगा, मकान जब्त होकर नीलाम किया जावेगा। फिर एक नोटिस दिया जावेगा कि नीलाम कर रहे हैं रुपया देना हो तो दे। इसका मतलब यह कि उसका मकान भी बेच दिया और दो सौ रुपये का जुर्माना भी कर दिया। तो इस प्रकार इस दुतरफा चाल से इस बात की गन्ध आती है जिससे हम अन्दाज लगा सकते हैं कि जो आदमी आज इसी मकान के सहारे अपना गुजारा कर रहा है, जिसकी आमदनी का जरिया मात्र है, जो बेरोजगार है, इसी के आश्रित है, कुछ किराया आता है और उसी से अपना गुजारा करता है, अपने पास में कोई पैसा नहीं है कि जिससे उसकी मरम्मत करावे। कोई भी साधन सम्पन्न आदमी मजिस्ट्रेट के पास आना और जुर्माना कराना नहीं चाहेगा। मौका देने की बात तो उनके लिए होगी जो किसी भी परिस्थिति में मरम्मत करा नहीं सकेगा, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई भी कानून हम बनावें तो उनको हमें कानून में सुविधा देनी होगी। लोग कहें कि जानबूझ कर लोग ऐसा करेंगे कि हमारी तो स्थिति नहीं है। अमीर भी कहे कि मैं गरीब हूँ। तो इसको कैसे डिफ़-रेन्सियेट करें। पर इसका तरीका भी निकल सकता है। एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स से निकल सकता है। हाउस टेक्स से निकल सकता है। जितने टेक्सेज़ हम इम्पोज़ कर रहे हैं, उनकी आमदनी पर इम्पोज़ कर रहे हैं और अन्य बातों पर टेक्सेज़ इम्पोज़ कर रहे हैं। तो उनकी एक चीज को आधार मानकर इस प्रकार से यह निर्णय कर सकते हैं कि इसकी आमदनी कितनी है और उस आमदनी से सोचें कि इस आमदन वाले व्यक्ति से अपने मकान में किसी प्रकार का काम नहीं कराता है, खर्चा नहीं करता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह उसके मकान को सबसिडी देकर उसकी मदद करे। इतना नहीं

[श्री भैरूसिंह]

करते है तो जिस ढंग का सजेशन आया था कि रकम उधार दी जाय तो जिस तरह तकावी वसूल करते हैं उसी ढंग से वह पैसा वसूल करें। बाहर गांवों में किसी का कुआ टूट गया तो उसको तकावी देते हैं। उसके द्वारा वहां हम कोई पाबन्दी नहीं डालते हैं कि तुम्हें कुआ सुधराना पड़ेगा और तुम नहीं सुधारोगे तो गवर्नमेंट कुए को सुधारेगी और बाद में यह रुपया तुम्हें देना पड़ेगा, हमने वहां पर उसकी सिंचाई के साधन कुए की मरम्मत के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम सहायता देने की बात कहते हैं। खेती की तरक्की करानी है तो मजबूर नहीं करते हैं कि तुम्हें यह खेती करने के लिए यह खाद डालना पड़ेगा। वहां हम कहते हैं कि तकावी लो और तकावी के रुपये से खाद का प्रबन्ध करो, बीज का प्रबन्ध करो, एग्रीकलचर इम्प्लीमेंटस का इस प्रकार से प्रबन्ध करो। एक तरफ तो हम केवल सहायता इसलिए दे रहे हैं कि एग्रीकलचर की तरक्की हो। उस तरक्की के लिए जितनी सहायता दें वहां हमको उन लोगों को नहीं भूलना पड़ेगा जो शहरों में गरीबी की हालत में गुजर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि गांवों के मुकाबले में शहर के रहने वाले ज्यादा अच्छे हैं। कुछ लोगों के जरूर साधन अच्छे हैं लेकिन आधे से ज्यादा लोगों के नहीं हैं। आधे से कम लोग अच्छे हैं, जो साधन सम्पन्न हैं जिनकी सरविसेज़ वे लोग करते हैं वे आधे से ज्यादा हैं। उनकी हालत ठीक हो यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। यदि इस प्रकार की धारा को उसी रूप में स्वीकार करेंगे तो उन लोगों के साथ में क्या हाल होगा इसका अन्दाजा लगाने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि एक आदमी को नोटिस दिया कि मकान की गली के अन्दर इस प्रकार से कीचड़ है उस कीचड़ को दूर करने के लिए हमने जो व्यवस्था कर दी है वह करने के लिए तुमको मकान के सामने पेवमेंट डालना पड़ेगा ताकि जो कीचड़ होता है वह कीचड़ नहीं हो। वह बेचारा गरीब आदमी उसका प्रबन्ध कर सकेगा या नहीं। उसके मकान पर छप्पर नहीं है, उस पर छत नहीं है, बरसात से बचने का कोई प्रबन्ध नहीं है, लेकिन मकान के बाहर कीचड़ है। उस कीचड़ से जर्म्स पैदा होते हैं और जर्म्स के कारण पड़ौसी को नुकसान होता है और पड़ौसी की रिक्वेस्ट पर यह कहा जाय कि तुम्हें पत्थरा डालना पड़ेगा तो पत्थरको उसके सीने पर जड़ेंगे या गली में जड़े जायेंगे। वह भूखा है एक पैसा खर्च नहीं कर सकता है। उसे नोटिस देकर किसी गली में काम करवाना पड़ेगा तो यह मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से अन्याय होगा। उनको इन्डाइरेक्टली उनकी उन चीजों को हड़पने का तरीका होगा, क्योंकि म्युनिसिपेल्टी आर्डर देगी और यदि नहीं करायेगा तो सरकार या म्युनिसिपेलिटी जुड़वायेगी वह पत्थर और उसका पैसा उससे मांगेगी और नहीं देगा तो उसका मकान नीलाम किया जायगा। तो इस तरह से हम गरीबों के जो झोंपड़े हैं, उनके मकानों के ऊपर जो किसी तरह से साधन सम्पन्न नहीं हैं हम अधिकार करना चाहते हैं। अगर अधिकार करना है तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहेंगे तो वह चीज मानने के लायक होगी। लेकिन इस तरह से इन्डाइरेक्ट रूप से छुपे तौर से इन्डाइरेक्ट रूप से, छुपे तौर से स्वीकार कराना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ही एक प्रकार से अन्याय की चीज होगी।

...

[श्री भैरोंसिंह]

मैं यह चीज मानकर चलता हूं कि जो कोई ऐसा काम हो कि जरूरी हो जो कि लाजिमी तौर से करना चाहिए। लेकिन लाजिमी तौर से कराने के लिए उनकी स्थिति लाजिमी तौर से बिगाड़ दें तो वह ठीक नहीं है। हमें यह देखना पड़ेगा कि लाजिमी तौर से उनकी स्थिति ठीक है और लाजिमी तौर से काम हो जाय यह दोनों चीजें हों तो गवर्नमेंट इन्टरफियर करे और म्युनिसिपल बोर्ड को किसी तरह से सहायता दे ताकि वह गरीबों से जिनके पास में एक पैसा कमाने को नहीं है, जिनके पास में एक दिन को खाने की रोटी नहीं है उन लोगों से काम नहीं ले बल्कि उन लोगों को आवश्यकता हो तो म्युनिसिपल बोर्ड या सरकार उनकी मदद करे।

कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि उन लोगों का जीवन निर्वाह होता है तो उन लोगों को इस काम के लिए किसी तकावी के रूप में या किसी रूप में मदद दे। मदद देने के बाद थोड़ा थोड़ा वसूल करे तो वह चीज ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन जिस तरह से इस धारा को इसमें यहां रखा गया है यदि वह धारा पास की जाय तो वह बिल्कुल ही अन्याय की चीज होगी।

धारा २४७ में जुर्माने की व्यवस्था करके तो और ही एक अजीब बात कर दी। एक आदमी नहीं करता है तो वह काम म्युनिसिपल बोर्ड करायेगी, लेकिन यह जांच कर लें कि उसने क्यों नहीं कराया। जानबूझ कर नहीं कराया है तो जुर्माना देगा। जानबूझकर यदि कोई नहीं कराये तो उससे २०० क्या २०० रुपयों से भी ज्यादा जुर्माना लो। लेकिन किसी खास परिस्थिति के कारण नहीं करा सका तो उसके ऊपर जुर्माना नहीं हो। जुर्माना होगया यह आप कहेंगे कि माफ कर दिया जायेगा, कोर्ट में आयगा तो माफ कर देंगे। लेकिन वह भी तो एक प्रकार से सजा है, लेकिन एक आदमी के केरेक्टर पर ठीक नहीं होगा जो चाहे आप उसे एक दिन की सजा दें या ६ घन्टों की सजा दें, जब तक कि कोर्ट बैठी रहे उस वक्त तक की सजा दें या चाहे किसी को माफ करें लेकिन उसके केरेक्टर शीट में सजायफता होना सिद्ध होगया। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह चीज अच्छी नहीं होगी। मैं मन्त्री महोदय से यह चाहूंगा कि इस धारा को डिलीट कर दिया जाय। मैं यह भी चाहूंगा कि इस प्रकार से हम एडजस्ट कर लें कि इस काम के लिए एक आदमी की आमदनी किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है, आंकी जा सकती है। उन गरीबों से नीलाम के जरिये से वसूल करने की व्यवस्था नही करे। सुविधा के तरीके से वसूल करने की व्यवस्था करेंगे तो ठीक रहेगा। चूंकि इस वक्त में अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २४७ और २४८ को क्योंकि दोनों क्लॉज़ेज़ संबन्धित हैं, चूंकि ऐसा संशोधन आना बिल्कुल आवश्यक है इसलिए उनको डेफर कर दिया जाय। और हम अलग से बैठकर विचार कर लें और उसके बाद में ठीक सा संशोधन लाकर इसको एडजस्ट कर सकें तो ठीक है वर्ना जिस तरह का भाग्य इस वक्त इस क्लॉज का हो रहा है वह आगे चलकर भी हो जायगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, ...

श्री सभापति—Order, order मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह क्लॉज़ के ऊपर बहस में ज्यादा नहीं उतरें। जिनको कि बहुत ही आवश्यक समझें उनके लिये केवल संक्षेप में निवेदन करें।

श्री मानसिंह महार—यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाज़ है, चेयरमेन महोदय।

सदन के समक्ष क्लॉज़ २४७ प्रस्तुत है। मैं यह समझता हूँ कि चेयरमेन महोदय, कि यह क्लॉज़ बहुत ही अहम है। इस धारा के ऊपर हमको बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि जैसा हमारे मंत्रीजी का दिमाग जिस ओर काम कर रहा है वह यह चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड की आज्ञाओं का हर प्रकार से पालन होना चाहिए। यह उचित है। हम इसको कतई यह नहीं कहते कि इस प्रकार की बातें नहीं हों। मैं तो इसका कायल हूं। मैं मानता हूं कि जो आज्ञा नहीं मानें उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। इसका में कतई विरोधी नहीं रहा हूँ। लेकिन मेरा विरोध केवल इतना सा है आज्ञा का पालन दो तरीकों से हो सकता है। एक तो किसी बदनियती से होता है। म्युनिसिपल बोर्ड ने आज्ञा दी मैं नहीं मानता हूं। ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड की आज्ञा मानूं? तो उन लोगों को सख्त से सख्त सजा आप दे सकें तो उचित है। दूसरी आज्ञा का पालन नहीं करे वह मजबूरी से होता है। उस मजबूरी की हालत में नहीं मानने के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा। उस सोचने के लिए इसमें हमको दूसरी जगह के कानूनों से भी कोई राहत नहीं मिलने की है। मैं बता दूं आज तक जो कानून बने हैं वह भी इस तरीके से नहीं बनें हैं, लेकिन अब हमें इस ओर जाना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। आज के युग के अन्दर अगर हम गरीबों का ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई कानून हो वह वाजिब नहीं है।

आज के युग में हमको गरीबों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वह गरीब सदियों से कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसके लिए हमको अवश्य कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसे की जहां मजबूरी आजाती है, जहां पर कोई गरीब आदमी पैसे की मजबूरी से कोई काम नहीं कर सकता है तो उस गरीब के लिए कुछ न कुछ हमको करना है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से थोड़े से शब्द निवेदन करूंगा कि गरीबों पर निगाह पसारें अमीरों पर चाहे जो कुछ कीजिये, चाहे म्युनिसिपल टैक्स की मात्रा को बढ़ा दीजिये, कुछ करिये, लेकिन जहां गरीबों का सवाल आता है, जो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर सकता है उस गरीब पर इस प्रकार की धारायें न लगाईये। आप एक्सेप्शनल कीजिये। मैं तो उम्मीद करता था कि मंत्रीजी इसको मान लेंगे लेकिन वे नाखुश हो गये थे इसलिए उन्होंने नहीं मंजूर किया। हम तो यह चाहते हैं कि जिस सद्भावनापूर्ण वातावरण में इसको पास करना चाहते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं परन्तु फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि केवल सद्भावना से ही काम नहीं चलेगा। गरीबों के लिए बातें रखनी हैं ताकि लोगों को महसूस हो कि गरीबों के लिए इतना जरूरी है जितना आप जीना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज में भी पहले वाली कमियां मौजूद हैं और यह कह कर इसको टाला नहीं जा सकता है कि पहले कानून पास कर दिया और उनका इम्प्लीमेन्टेशन इन क्लॉज़ेज़ों से हो जायगा। इम्प्लीमेन्टेशन कोई नहीं।

Page No 80

[श्री मानसिंह महार]

आपने कुछ धाराएं ऐसी रख दी हैं, ये क्लॉजेज़ वे हैं जो गरीबों को कत्ल करती हैं। बेचारे गरीब पैसे की मजबूरी से कई ऐसी बातों की मजबूरी हो जाती है, हम ज्यों करें उन गरीबों के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं बार बार एक ही मसले को दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं सदन को और प्रत्येक सदस्य के लिए निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सा समय नहीं हो सकता है। आज हमको २००) मिलता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक जमाना आ सकता है कि सदन के ये सदस्य न रहें, २००) भी बन्द हो जांय, हमारी भी वही हालत होगी जो गरीबों की हालत है, इसको उस नुक्ते निगाह से भी देखना चाहिए। पांच साल पहले हम जिन परिस्थितियों में थे, उन कानूनों से जो हम डिफिकल्टीज़ महसूस करते थे, उनको देख कर और खास कर जो किसानों के नुमाइन्दे यहां बैठे हुए हैं और गरीबों के पुजारी कहते हैं और मैं डीडवाना से आये माननीय सदस्य से तो निवेदन करूंगा कि वे गरीबों का ख्याल करें हालां कि वे मालदार हैं मैं मानता हूँ, उन्हें अपने पार्टी के माननीय सदस्यों को आदेश देना चाहिए, ऐसी धाराओं को रुकवायें और उचित संशोधन करें और सोच विचार का तरीका निकाला जाय, कोई बात नहीं तरीका न निकल आय। मैं मानता हूँ कि इस प्रकार से और म्युनिसिपल एक्टस में नहीं है और गरीबों के लिए यह डिफिकल्ट है और दूसरे प्रांतों और देश के लिए एक तरह से मिसाल कायम करना चाहते हैं, इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर अड़ जावेंगे कि इसको डेफर किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ को जिस प्रकार से इसको कार्यान्वित करने का मेरा खुद का तजुर्बा है और जब से मैं गवर्नमेंट में आया हूं यह किस तरह से कार्यान्वित हो रही है, मेरा तजुर्बा है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि गरीबों पर अन्याय हो रहा हो ऐसी कोई बात नहीं है। इस क्लॉज में खास तौर पर रूल्स और बाई लॉज बनाये जावेंगे कि कौन से २ काम बनाये जाने चाहिए। कहा गया कि जिसके पास छप्पर नहीं उसको पक्की नाली बनाने का ऑर्डर देंगे। वह यह बात इसमें नहीं है। रूल्स और बाई लॉज बोर्ड बनाये जैसा कि दिया हुआ है। रूल्स एन्ड बाई लाज के अन्तर्गत आवेंगे उनको नोटिस दिया जावेगा और बावजूद नोटिस नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। रूल्स एन्ड बाई लॉज में बोर्ड चाहे तो एक्जम्प्ट कर सकता है, पाबन्दी नहीं है कि एक्जम्प्ट नहीं कर सकता है। इस क्लॉज से किसी प्रकार ज्यादती होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले निवेदन किया कि पावर्स दे चुके हैं! गरीबों के लिए अन्याय है, अमीरों के लिए प्रोवाइड करना चाहिए था, छपरा नहीं है, उसको भी म्युनिसिपेलिटी आर्डर देगी लेकिन कौन बेवकूफ बोर्ड होगा जो ऑर्डर देगा कि मकान की नाली पक्की बनाओ।

श्री भैंरूं सिंह—इस चेप्टर के जरिये वसूल होगी, उसमें बाई लॉज का सवाल पैदा नहीं होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें है, "If a notice or order has been given under the provision of this Act or under a rule or byelaw made thereunder to a person requiring him to execute some work in respect of any property movable or imovable" रूल्स और बाई लॉज के अन्तर्गत ओर्डर होंगे।

श्री भैंरू सिंह—एक्जीक्युशन ओफ वर्क के लिए है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रूल्स और बाई लॉज़ बनेंगे। रूल्स और बाई लॉज़ में कौनसी कमी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए यह आवेगी।

श्री गोपीलाल यादव—इस क्लॉज़ को डेफर कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप कहें तो डेफर कर दूं लेकिन उसमें वैसी कोई बात है नहीं।

श्री गोपीलाल यादव—मेरे खयाल से इसको डेफर करना जरूरी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—डेफर कर दीजिये।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—क्या सदन की सम्मति है कि क्लॉज २४७ को विचारार्थ स्थगित कर दिया जावे।

(स्वीकृत)

इसको विचार्थ स्थगित किया गया।

क्लॉज़ २४८, २४९.

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्लॉज़ २४८ पर बोल रहा हूँ।

श्री सभापति—yes, clause 248.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ २४८ में म्युनिसिपल बोर्ड कोई चीज़ बनाया म्युनिसिपल बोर्ड बनायगा ही पहले उस आदमी को कहेगा कि या तो वह बनाये या म्युनिसिपेलिटी बनाये। उसको बनाने के बावजूद क्लॉज़ में यह लिखा है कि टैक्स के बतौर उससे वसूल करने के सम्बन्ध में क्लॉज़ रखा है, न रख कर इस तरह से क्लाज़ में संशोधन कर दिया जावे कि टैक्स के तौर पर वसूल न करके उस तरह से नोटिस देकर के जैसे लोन देने का जो तरीका है है और वसूल करने का जो तरीका है उस तरीके से वसूल कर लिया जावे, थोडा थोडा पैसा करके

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

क्यों कि माननीय चेयरमैन, किसी आदमी के पास पैसा नहीं हुआ और पैसा नहीं दे सका और म्युनिसिपल बोर्ड मकान या और कोई चीज़ बना देगा और बनाने के बावजूद किसी तरह से उस आदमी से टैक्स के तौर पर वसूल करने में म्युनिसिपल बोर्ड को काफी दिक्कत रहेगी और उस आदमी को भी काफी तकलीफ होगी। परन्तु जिस तरह से धीरे २ वसूल करके, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाउस बनाने के लिए हाउस लोन ३० वर्षों के लिए देकर धीरे २ वसूल करेगी। उसी तरह से म्युनिसिपेलिटी के बिल की इस क्लॉज़ में यह प्रोविजन कर दिया जाता कि जिस तरह तरह से लोन्स के रूल्स बनाये हैं उसी तरह के रूल्स होंगे और यह प्रोविजन इस क्लाज़ में कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता।

बोर्ड वह प्रोविजन नहीं करे और जो टैक्स के तरीके से वसूल किया जायगा तो बड़ी दिक्कत होगी और जनता को परेशानी होगी। और वसूल करने का जो तरीका है म्युनिसिपेलिटी का उसमें भी काफी दिक्कत होगी।

क्लॉज २४८ (बी) के अन्दर, माननीय चेयरमैन, यह बताया कि जिस आदमी के साथ नाली वा इस तरह का झगड़ा होगा वह आदमी नहीं बनायेगा तो म्युनिसिपेलिटी उसको बना देगी। अगर वह आदमी उसका पैसा नहीं देगा तो वह किरायेदार से वसूल किया जायगा, इतने कानून बने हैं हिन्दुस्थान में और राजस्थान में मगर एक किरायेदार गरीब आदमी होता है उसकी तो इस तरह से मौत हो गई। मालिक को नहीं दे तो परेशानी उसके मकान में रहता है। सरकार को नहीं दे तो वैसे परेशानी। लोगों पर इन्कम टैक्स लगता है। सेल्स टैक्स लगेगा। एग्रीकलचर इन्कम टैक्स लगेगा। ऑक्ट्राय ड्यूटी का टैक्स लगेगा। इस तरह से ५० तरह के टैक्सेज़ लगेंगे हर आदमी पर। (बी) की धारा के अन्दर ऐसा प्रोविजन कर दिया है कि किराये दार से कोई मालिक मकान पैसा नहीं देगा कहीं नाली बनाने का या फ्लश की गटर लगाने का वह पैसा वसूल करेंगे। यह तो ठीक है कि म्युनिसिपेलिटी बना दे परन्तु उस धारा के अन्दर इस बात का एक क्लॉज और कर दिया है कि वह किराये दार से वह पैसा जो कि मालिक मकान नहीं देगा और उसके नहीं देने पर उससे वसूल किया जायगा। तो इस तरह से धारा रखने का इतना बड़ा नुकसान होगा कि जहां ६०, १०० या १२५ रुपये महीना पाने वाला किरायेदार मकान किराया लेगा और किराये दार उससे पहले से ही ६ महिने का किराया वसूल कर लेता है, कोई १२ महीने का पैसा पहले ले लेता है और उसके बाद में मकान देता है। तो वह १२ महीने पहले का किराया देगा और उसके बाद में सरकार किरायेदार से किस तरह से पैसा वसूल करने की बात रखती है वह ठीक नहीं है। उस धारा को यदि मंत्रीजी देखें तो मैं समझता हूँ कि उस धारा को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, क्योंकि सारे एक्टों के अन्दर जितने भी एक्ट राजस्थान के अन्दर बने हैं उनमें ऐसा नहीं देखा कि एक आदमी पर इन्कम टैक्स लगता है और इनकम टैक्स खुद पर लगता है और उसी से वसूल किया जाता है न कि उसके भाई से, न कि यदि उस आदमी के ४ लड़के हैं तो चार लड़कों

[श्री मोक्तिलाल मोदी]

से वसूल नहीं होता है, तो किराये दार से वसूल हो। इस एक्ट के अन्दर इस तरह का क्लॉज़ रखना उचित नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार के लिए और इस असेम्बली में जब इस तरह की धारा पास हो जायगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो जो लोग किरायेदार हैं वे लोग परेशानी में और पड़ जायेंगे, क्योंकि आज यह चीज है कि जो किराया देता है वह मकान मालिक को किसी तरह से राजी कर देता है या अपने व्यवहार से किराया साल दो साल में जमा कराता है। यदि मकान मालिक से वह चीज नहीं बनती है और सरकार उसको बनाये ता लाजिमी तौर से उस किरायेदार को वह पैसा देना ही पड़ेगा तो ऐसी हालत में, माननीय चेयरमेन, मैं मन्त्रीजी साहब से निवेदन करूंगा कि इस तरह की धारा में जो यह प्रोवीजन रखा है उस धारा को डिलीट कर दिया जाय या धारा के बारे में बाज में विचार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यह धारा इस हाउस के अन्दर पास हो जायगी तो आज ही इस तरह का वातावरण तय्यार हो जायगा जब कि शहर के लोगों को यह मालूम पड़ेगा कि जो किरायेदार हैं वे नौकरी पेशा लोग हैं, उनको राजस्थान सरकार ने मुसीबत में डाल दिया। मैं मन्त्रीजी से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस धारा को बाद के लिए रोक दिया जाय या हटा दिया जाय। तभी ज्यादा अच्छा होगा मैं इतना ही कहता हूं।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १४८ के विषय में...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह बात जो आप चाहते हैं कि इसमें एग्रीमेंट करके सब्सिडी देंगे, मदद करेंगे वह है तो सही इसमें, जो कि बात आप कहना चाहते हैं २४८ में है वह।

श्री सभापति—श्री मानसिंह।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, सदन के समक्ष २४८ वीं क्लॉज़ प्रस्तुत है। मैं यह समझता हूं कि यह क्लॉज़ भी...

श्री सभापति—बहुत संक्षेप में कहियेगा।

श्री मानसिंह महार—मैं तो आलवेज़ शोर्ट में ही बोलता हूं।

यह क्लॉज़ २४८ बहुत ही खतरनाक है। इसके अन्दर भी उसी प्रकार का प्रोविज़न है कि सरकार अगर कोई इस प्रकार से काम नहीं कर सकेगा तो खुद या म्युनिसिपल बोर्ड वह कार्यवाही करवा देंगे और उसके बाद में पैसा बोर्ड उससे वसूल करेगा। इसका हम कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन, चेयरमेन महोदय, एक को इसके अन्दर खतरा सा है वह है किरायेदारों से वसूली करने का। यह कोई उचित चीज नहीं है। अगर कोई आदमी मकान किरायेदार को किराये पर देता है तो वह नहीं चाहता है कि उसके ड्यूज उसके किरायेदार से वसूल किये जांय। तो मैं यह समझता हूं कि

[श्री मानसिंह महार]

किरायेदार वाला मामला है उसके द्वारा ध्यान देना पड़ेगा। हम यह समझते हैं कि अगर वसूल करना है तो उसके ५० तरीके हैं। यह क्या तरीका है कि किरायेदार से वसूल कर लेंगे। अमूमन किरायेदार ऐसा आदमी होता है कि मकान मालिक के रिश्तेदार वगैर होते हैं। उनको किराया तो लिख दिया जाता है कानूनी तौर से ५० रु० माहवार लिख दिया, ६० रु० माहवार लिख दिया लेकिन दर असल में रिश्ता होने से, नजदीकी होता है तो कोई किरायेदार या तो किराया नहीं देते हैं या देते हैं तो अपनी सहूलियत से देते हैं। कभी ६ महीने में, साल, दो साल या तीन साल में वह किराया अदा करते हैं। तो उस सूरत में बोर्ड वह किराया वसूल करेगा तो वह यह होगा कि किरायेदार को बाद में असुविधा होगी। उन लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और मकान मालिकों की पोज़ीशन बड़ी आकवर्ड होगी कि उसके रिश्तेदारों से उसके नहीं देने की वजह से सरकार बुला बुलाकर पैसा वसूल करेगी तो यह उसकी इज्जत पर चार चांद लगाने वाली बात नहीं है। तो मकान पर कुछ भी करके कर लिया लेकिन किरायेदार से वसूल करने की नायाब बात रखते है। एग्रीकल्चर इनकमटेक्स में यह बात नहीं है कि आप बाला बाला जो किसान है उनसे वसूल कर लेंगे। इन्कमटेक्स में ऐसी बात नहीं है कि किरायेदारों से वसूल कर लिया जायगा। इस सूरत के अन्दर मैं मंत्रीजी से, माननीय चेयरमेन, यह निवेदन करूंगा कि यह जो २४८ की क्लॉज़ है इसको डेफर कर दिया जाय और २४८ के बाद २४९ भी इससे कोरिलेटेड ही है इन दोनों धाराओं को डेफर कर दिया जाय तो कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी और एक साथ बैठकर ठंडे दिमाग से विचार हो जायगा और यदि वे हमको समझा सकेंगे तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे और यदि हम उनको समझा सके तो वह हमारी प्रार्थना मान लेंगे। यही हमारा नम्र निवेदन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—माननीय चेयरमेन, किरायेदार की बात पर आपत्ति की है तो जितनी किराया उसकी तरफ ड्यू होता है वही वसूल किया जायगा और वह मकान मालिक को किराया नही देगा। उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। सहायता की जो बात बार बार कही गई है वह इसमें प्रोवाइडेड है। बोर्ड एग्रीमेंट करेगा और मदद करेगा और उस काम को करवा देगा। इसलिए इस क्लॉज़ पर मुझे कोई आपति की बात नजर नहीं आई और जिस तरह से यह क्लॉज़ है उसी तरह से पास हो जाना चाहिए।

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इस मामले में चेप्टर १ के अन्दर इसकी व्यवस्था की गई है कि किसी के ऊपर कोई टैक्स वसूल होने से रह जाय और बोर्ड खर्चा करता है किसी के खिलाफ पर तो चेप्टर १ के अन्दर हम यह वसूल कर सकते हैं। चेप्टर १ के अन्दर जो प्रोवीजन्स हैं उसके जरिये से पैसा वसूल कर लिया जा सकता है, ऐसी हालत में किरायेदार से पैसा वसूल करने की क्या आवश्यकता है। मकान मालिक से जब हम पैसा वसूल कर सकते हैं तो किरायेदार को पिक्चर में लाने की क्या आवश्यकता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह और ड्यूज़ हैं लेन्ड लार्ड पर तो लेन्ड लार्ड के लिए सब जगह ऐसा है कि कोई आदमी किरायेदार है तो वसूल कर लिया जाय। आप एक प्रोसीजर करेंगें तो कर सकते हैं नाट आफ दी किरायेदार इन बिलान्स टू दी लेन्ड लार्ड । लेन्ड लार्ड का मनी ड्यू होता है किराया तो उसे देने में उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मैं समझता हूं, यह बिल्कुल क्लियर बात है ।

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २४९ से २५७ तक कोई संशोधन नहीं हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्लॉज़ २४६ पर हमें बोलना है ।

श्री सभापति—क्लॉज़ २४९ और २५७ के बीच में जो…

श्री मुक्तिलाल मोदी—२४९ पर बोलना है ।

श्री सभापति—order please ! क्लॉज़ २४६ और २५७ के बीच में जिन जिन पर आवश्यक रूप से बोलना चाहते हैं बतावें, बाकी को पास कर दिया जावे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—पहले तो क्लॉज़ २४६ पर बोलना है ।

माननीय चेयरमेन, २४९ में यह बताया है कि जो मकान के अन्दर किरायेदार रहेंगे और वह किरायेदार उस मकान में कोई काम करना चाहता है और मकान मालिक उस काम को कराने में आना कानी करता है तो किरायेदार म्युनिसिपेलिटी की इजाजत से वह काम करा सकता है और किराये की रकम में से हिसाब पेश करके रकम वसूल कर सकता है। माननीय चेयरमेन, आज जब कि मकान किराये लेता है कोई आदमी, और मैं उदाहरण के बतौर बताऊं कि कितनी ही डिक्रीज मुन्सफी या सब जजी में यहां पर हो गई है किराया नहीं देने के कारण तो इस क्लॉज़ में यह रखा है कि वह किरायेदार उस मकान के लिए पैसा खर्च कर सकता है, तो माननीय चेयरमेन, मेरे संशोधन के बतौर यह रख दिया जावे कि वह किरायेदार ५० रु० सालाना या १०० रु० सालाना से अधिक किराया देता हो तो वह इतना रुपया मरम्मत पर खर्च कर सकता है और यदि इतना किराया नहीं देता है तो खर्च नहीं कर सकता क्योंकि यदि किसी मकान का ५०) रुपये माहवार किराया होता

[श्री मुक्तिराज मोदी]

है और किसी का २०) रुपया होता है तो सालाना ६००) रुपये या २५०) रुपये होंगे और वह किरायेदार खर्चा करना चाहेगा ४००) रुपये और काफी अच्छी तरह से उस मकान की मरम्मत कराकर उसमें रहेगा ऐसी हालत में मकान तो किरायेदार का ही हो गया , मकान मालिक को तो कुछ नही मिला। कई लोग ऐसा करते हैं कि किराया तो देते है ५०) रुपये और बताते हैं ६०) रुपये और मरम्मत करा लेते हैं, और झूटा सच्चा हिसाब पेश कर देते हैं । ऐसे भी कई लोग हैं जो कई साल से किराया नहीं देते हैं। मैं जिन दोस्त के यहां रहता हूँ उनके पास ३, ४ साल से किराये का एक पैसा भी नहीं आता। जब उनसे किराया मांगते हैं तो किरायेदार कहते हैं कि हमने खर्ज कर दिया। ऐसी बातें मैं खुद देखता हूँ। यदि इस बिल में ऐसा प्रोविजन कर देंगे तब तो कोई भी किरायेदार किराया नहीं देगा और वे किसी की बात नहीं मानेंगे। यदि इसमें ऐसा कर दिया जाता कि ५०) रुपये माहवार का किराये का मकान है तो उसकी मरम्मत के लिये ५) रुपये माहवार से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। इससे अधिक खर्च करना है तो मकान मालिक ही खर्च कर सकता है, ऐसा कर दिया जाय तो अच्छा हो। यदि ऐसा नही करेंगे तो एक पैसे की अमाउन्ट भी देंगे नहीं और जितना किराया होगा वह सब खर्च कर देंगे और पूरा हिसाब भी नहीं देंगे। एक क्लॉज इसमें ऐसा भी है कि जब कोई किरायेदार एक दो साल मकान में किराये पर रह जावेगा तो उसको हटाया नहीं जा सकेगा। पहले उसने ५०) रुपये माहवार कह कर मकान किराये पर लिया और उसके बाद में २०) रुपये माहवार से ज्यादा देने से इन्कार कर दिया और मकान भी उससे खाली नही कराया जा सकता तो बड़ी भारी परेशानी होगी। यदि इस तरह का क्लॉज पास हो गया तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यह जो क्लॉज २४६ है उस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके जरिये हमने व्यवस्था की है कि यदि किसी मकान के अन्दर कोई काम कराने के लिये म्युनिसिपेलिटी कहती है तो उस मकान में जो किरायेदार है वह म्युनिसिपेलिटी से इजाजत लेकर काम करा सकता है और जो पैसा खर्च हो वह मकान मालिक को जो किराया मिलता है उसमें से काट सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह धारा यदि रखी गई तो क्या इससे कोम्प्लीकेशन्स पैदा नहीं होंगे, एक बात यह होगी कि मान लीजिये नोटिस दिया गया और मकान मालिक

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ने काम नहीं कराया और म्युनिसिपेलिटी ने अपनी तरफ से काम करा लिया और बाद में हिसाब मकान मालिक को भेज दिया और मकान मालिक ने पैसा नहीं दिया तो पैसा दूसरी तरह से नगरपालिका वसूल कर लेती है। पर आप इस धारा के जरिये किरायेदारों को छूट देना चाहते हैं कि किरायेदार खुद काम करवा लें। इसमें बड़ी कठिनाई यह होगी कि कभी कभी ऐसा है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच मे अच्छे तालुकात नहीं होते। म्युनिसिपेलिटी ने किरायेदार

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

को किसी काम को करवाने के लिये कहा, उस पर उसने काम करवाया और उसने साथ ही में बहुत सारा दूसरा काम भी करवा लिया और झूठा सच्चा हिसाब पेश कर दिया और फिर दावा करता है कि यह पैसा मुझे मिलना चाहिये। किरायेदार के लिये ऐसी सूरत आप पैदा करते रहे हैं। धारा २४६ में जो व्यवस्था है उसके अनुसार यदि मकान मालिक को नोटिस दिया जाता है और उसके अनुसार वह काम नहीं कराता है तो म्युनिसिपैलिटी अपने जरिये से करायेगी और उसका पैसा मकान मालिक या किरायेदार से वसूल कर लेगी, यह तो ठीक है, लेकिन इस क्लॉज़ के जरिये आप किरायेदार को अधिकार देना चाहते हैं कि वह खुद काम करवा ले। यदि उसके terms मकान मालिक के साथ ठीक नहीं हैं तो वह इस क्लॉज़ का दुरुपयोग करेगा और झूठा सच्चा हिसाब पेश करेगा। मैं समझता हूं, यदि आप इस पर सोच विचार करेंगे तो मैं जिस नतीजे पर पहुँचा हूं उसी नतीजे पर आप भी पहुँचेंगे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। किसी मकान में यदि कोई मरम्मत का काम कराना है तो म्युनिसिपैलिटी अपने जरिये ही करावे और वह अधिकार किरायेदार को नहीं देना चाहिये। काम कराने में जो खर्चा लगे उसकी वसूली वह जो किराया मकान मालिक को किरायेदार देता है उसको अटैच करके कर ली जाय, यह दूसरा सवाल है लेकिन जहां तक काम कराने का सवाल है, नगरपालिका खुद अपने जरिये से ही करा लेवे। यदि आप किरायेदार के जरिये से ही काम करायेंगे तो जो बात श्री मोदीजी ने कही वही बात होगी। झूठा-सच्चा हिसाब पेश करके मकान मालिक से पैसा वसूल किया जायगा, इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस पर सोच विचार करके फैसला किया जाय।

श्री भैरूसिंह (१६)—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में एक वक्ता ने यह बताया कि इसको डेफर कर दिया जाय और दूसरे वक्ता महोदय ने ऐसा बताया कि इसमें कुछ संशोधन कर दिया जाय और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्षजी कि न तो इसको डेफर करने की आवश्यकता है और न इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है बल्कि इसका बिल्कुल लोप कर दिया जाय और इसका कारण है। हमने एक व्यवस्था क्लॉज़ २४४ या २४५ नहीं तो शायद २४७ में की है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड कोई काम कराना चाहता है और वह आदमी यदि कोई काम नहीं करे तो म्युनिसिपल बोर्ड वह काम अपने खर्च से करवा कर उस रकम को वसूल करेगा। लेकिन अब जो क्लॉज़ २४९ है उसमें अलग प्रकार से व्यवस्था कर देंगे कि जिस मकान में विशेष प्रकार का काम कराना चाहते है उसमें यदि कोई किरायेदार रहता है और काम न कराने की जिम्मेदारी मालिक पर है तो वह किरायेदार विद दि एप्रूवल ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड काम करा देगा और इस रकम को वसूल उस मालिक से करेंगे। यदि मालिक नहीं देता है तो जो किराया मालिक को जमा कराता है उसमें से काटता रहेगा, जब तक कि वह पूरी रकम वसूल नहीं हो जाय। मेरे पूर्व वक्ता ने जो आशंका प्रकट की वह बिल्कुल सही है। हमने कई स्थानों पर व्यवस्था की है कि यदि मकान में हवा नहीं आती है, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, मरम्मत तलब जगहों की मरम्मत नहीं हुई है, या मकान की ऐसी हालत है कि उससे शान्ति भंग हो सकती है या लोगों पर इतना असर पड़

[श्री भैरूंसिंह]

सकता है कि बीमार हो जाय, आदमी पर गिर जाने से आदमी मरने का खतरा हो या अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना का खतरा हो तो उनको रोकने के लिए हमने इस कानून में व्यवस्था की है कि म्युनिसिपेलिटियां व्यवस्था करायेंगी, पर इन चीजों का बड़े बड़े लोगों पर असर नहीं होता, छोटी छोटी आमदनी वाले जो लोग हैं उन पर असर होता है, गरीब लोगों पर असर होता है, 'गरीब' शब्द बार २ लाना पड़ता है कि इन लोगों पर ही हर चीज का असर होता है। यदि किसी मकान में रहने वाले कियायेदार ने मामूली सी शिकायत कर दी कि इस मकान में हवा नहीं आती, गलियां गन्दी हैं, पानी नहीं मिलता नालियां खराब हैं। इसमें म्युनिसिपेलिटी नोटिस दिया करे कि अमुक समय के अन्दर अन्दर तुम्हें हवा के लिए खिड़कियां बनानी होंगी, सीमेंट का फर्श बनाना होगा, नालियां बनानी पड़ेंगी, किरायेदार की शिकायत के ऊपर म्युनिसिपल बोर्ड इस प्रकार का नोटिस देगा। अगर मालिक के पास पैसा नहीं है कि वह खिडकियें बनवाये, मरम्मत करवाये, नालियां बनवाये और सीमेंट का फर्श बनवाये, इसके अलावा इसमें यह कहीं नहीं है कि खिड़किया कहां बनेंगी, इसका कहीं रूल्स में बाई लॉज में जिक्र नहीं है। खिड़कियां छोटी भी निकल सकती हैं और मोडर्न फेशन की निकाली जाय तो सारा मकान खिड़कियों के रूप में खड़ा किया जा सकता है, नाली पत्थर की, सीमेंट की, चूने की और लोहे की भी हो सकती है। पर जब तक विशेष पाबन्दी नहीं रखेंगे कि कितना खर्चा किया जाय, कितना खर्चा वह कर सकेगा, इस खर्च को निर्धारित नहीं करेंगे तब तक किरायेदार को छूट होगी कि उस मकान को हवादार बनाने के लिए जितना खर्चा वह करना चाहे कर दे और म्युनिसिपल बोर्ड इस पर मोहर लगा देगा, खिडकियों का खर्चा हुआ वह वाजिब है कि नहीं, इस चीज की तस्दीक का कोई तरीका नहीं रखा, अगर किरायेदार ईमानदार है फिर भी वह ५०० रुपये खिडकियें बनाने में लगा देता है तो क्या वह वाजिब है, दो खिडकियों से भी हवा आ सकती है। मकान के किस किस हिस्से में खिडकियां लगाई जायं, यह भी सही हो सकता है कि एक मकान में एक नाली से ही सारा पानी निकल सकता है और एक मकान में ५० नालियां बना कर उसमें से पानी निकालने की व्यवस्था भी की जा सकती है। ऐसी सूरत में किरायेदार पर क्या पाबन्दी डालेंगे कि वह खर्चा ज्यादा न करे। इसके अलावा और कई बातें ऐसी हैं जिनका रूल्स में या बाइ लाज़ में कहीं जिक्र नहीं है कि खर्चा किस प्रकार से होगा। जो खर्चा किरायेदार ने किया उसमें आप कमी कर नहीं सकते क्योंकि काम के लिए नोटिस इतना सा होगा कि इस मकान को हवादार बनाया जाय। किसी की छत टूटी हुई है, ऊपर से रेत पड़ती है तो उसको नोटिस दिया जायगा कि इस छत को ठीक कराया जाय। अगर मकान मालिक के पास पैसे नहीं है तो किरायेदार उस छत को हटा कर फेंक सकता है और नई छत लगा सकता है। तो ऐसी सूरत में उम्र भर भी वह किरायेदार उस मकान मालिक को किराया नहीं देगा। म्युनिसिपैलिटीज़ में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि ४००) रुपया जिनकी सालाना आमदनी है उन मकानों के हाउस टैक्स नहीं लगे तो इसलिये यह व्यवस्था कर रहे है कि उन गरीबों का उस किराये से जीवन निर्वाह होता है, उस किराये से वे जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं। तो जिनको गरीब मान कर हाउस टैक्स से मुक्त करते हैं उन पर भी यह क्लॉज़ लागू करें तो किरायेदार अच्छा हवादार और स्वास्थ्यप्रद मकान बनाने के नाम पर, गलिये, नालियें

[श्री भैरूंसिंह]

साफ स्वस्थ बनाने के नाम पर, सब चीजों की मरम्मत करा कर मकान मालिक पर इतना कर्जा चढ़ा देगा कि वह किराया ले ही नहीं सकेगा। जहां इसका असर ४००) रुपया सालाना से कम आमदनी वालों पर पड़ता है वहां गरीबों पर इससे कुठाराघात होगा। इसलिये इस धारा को बिल्कुल डिलीट कर दिया जाय। यदि किसी मकान को ठीक करवाना भी है तो २४७ में पावर दे दिया है कि म्युनिसिपल बोर्ड बना देगा, किरायेदार को इस तरह की पोवर देना उचित नहीं होगा, किरायेदार को इस प्रकार के मकान की मरम्मत कराने के अधिकार देना मानों दूसरे आदमी को अधिकार देना है जो कि किसी तरह उस मकान पर काबिल नहीं। आपको उस मकान में सुधार करवाना है तो २४७ में म्युनिसिपल बोर्ड को पोवर दिये हुए हैं। मंत्री महोदय इसे मानें तो मर्जी और न मानें तो उनकी मर्जी। पर यह अवश्य है कि इस तरह के अधिकार किरायेदारों को देने से किराये पर मकान देने वाले सब मारे जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस धारा का बिलकुल विलोप कर दिया।

रावत श्री शंभूसिंह—इस क्लॉज़ में यह व्यवस्था की गई है

"Whenever default is made by the owner of any building or land in the execution of any work required to be executed by him, the occupier of such building or land may, with the......"

इससे यह स्पष्ट प्रतीत नहीं होता कि किसकी तरफ से वर्क रिक्वायरमेंट होगा, म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से या ओक्युपायर की तरफ से ? म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट होगी तो इसके लिये तो व्यवस्था है। म्युनिसिपलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो म्युनिसिपल बोर्ड खुद करा सकता हैं। अगर यदि ओक्युपायर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं और ओनर की तरफ से डिफिकल्टी होती है तो ओक्युपायर को इस तरीके के अधिकार दे देना कि वह चाहे जैसे एडिशन ऑल्टरेशन और इम्प्रूवमेंट करा लेवे, यह एक प्रकार का मकान मालिक पर जुल्म होगा और यह निश्चित है कि वह ओक्युपायर बेरहमी से, मनमाने तरीके से एडिशन आलटरेशन के लिये खर्चा करेगा और जो वास्तव में खर्चा हुआ है उससे बहुत बढ़ा चढ़ा कर मकान मालिक पर थोपने की कोशिश करेगा कि इसको कम से कम किराया देना पड़े। मान लीजिये, १०० रुपये मकान किराया है तो वह इस तरह ५० रुपये का काम करायेगा और १०० रुपये का खर्चा दिखा कर मकान मालिक पर उसे थोपने की कोशिश करेगा। उस मकान में यदि खिड़कियां बनाने की आवश्यकता है तो उसमें मनमाने ढंग से खर्च करेगा। मकान मालिक तो हर एक काम बहुत ख्याल से कम खर्च में काम कराते हुए और हर तरह की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए काम कराता है। परन्तु यदि ओकुपायर को छूट दे दी गई कि वह मनमाने तरीके से काम करवा सकता है तो वह चाहे जिस तरीके से काम करा लेगा और मैं समझता हूं कि वह अगर यह चाहेगा कि यहां पर फलां काम कराना चाहिये करा लेगा और हो सकता है कि वह मकान का रूप ही बदल देगा और यदि जो काम

[रावत श्री शंभूसिंह]

ओकुपायर ने करा लिया है वह मकान मालिक को पसन्द नहीं आया है तो भी उसको उस काम से संतोष करना पड़ेगा और मैं यह समझता हूं कि ये अधिकार बहुत संकुचित अधिकार हैं जो ओकुपायर को नहीं मिलने चाहिये। इससे ओकुपायर की तरफ से जो खर्च किया जावेगा वह दिन ब दिन बढ़ाता जायेगा और वह चाहेगा जब कार्य करा लेगा और रुपया मकान मालिक को रिएलाइज़ कराने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और वह उसको खाली भी नहीं करा सकता है। इसलिए इसको डिलीट कर दिया जावे तो कोई हानि नहीं है, इसको डिलीट कर देना वाजिब है क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड के काम के लिए तो व्यवस्था मौजूद है और ओकुपायर को अधिकार देने की जरूरत नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, हमने इस कानून में प्रोवाइड किया है कि बाई लॉज़ बनाकर बोर्ड अगर जरूरी समझेगा तो करेगा। मान लें कि एक मकान है उसकी दीवार गिरने वाली है और उससे जनता को नुकसान होने वाला है। मालिक मकान उसको ठीक नहीं कराता है। इसके लिए म्युनिसिपल्टी को इस बात का अधिकार दिया गया है कि बोर्ड उसको ठीक करा दे। सबसे पहले मालिक मकान को नोटिस दिया जाता है और अगर मालिक मकान डिफॉल्ट करता हैं और नोटिस की तामील नहीं करता है तो बोर्ड को ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन अगर बोर्ड के पास पैसा नहीं हो कि वह उस काम को पूरा करा सके या अन्य किसी कारणों से वह नहीं करा सकता है तो बोर्ड के एप्रूवल से वह ओकुपायर करा सकेगा और वह पैसा मकान मालिक से वसूल होगा। पैसा बोर्ड खुद थोड़ा ही दे रहा है। मान लें कि मकान को गिराने की जरूरत है वरना उससे जनता को नुकसान होगा। बोर्ड कहता है मकान मालिक से कि मकान गिरवा दो। मालिक मकान उसकी परवाह नहीं करता। इसके लिए बोर्ड इन्तजाम कर देगा। वह ठेके पर देगा। ठेकेदार कहेगा कि इसमें दो हजार रुपया खर्च होगा। मकान मालिक देने को तैयार नहीं हैं लेकिन जो व्यक्ति उस मकान के पास रहता है और उसको दब कर मर जाने का खतरा है, वह रुपया देता है कि इसको ठीक करा लिया जावे तो म्युनिसिपल्टी के एप्रूवल से वह नक्शा बनाएगा। ठेकेदार का प्रबन्ध बोर्ड करेगा लेकिन बोर्ड के पास पैसा नहीं है इसलिए वह ओकुपायर या किरायेदार जो रुपया देने को तैयार है उससे करवायेगा। वास्तव में वह काम तो म्युनिसिपल बोर्ड के आदेश से ही होगा और नक्शे वगैरह एप्रूवल सब बोर्ड करेगा। ठेकेदार बोर्ड को बतलाएगा कि इतना Estimate होगा। Board approve करके उसको नोटिस देगा कि बोर्ड इतनी रकम apprvve करता है इसलिए इसमें कोई विशेष बाधा नहीं है जिससे की मालिक मकान को नुकसान हो। यह तो बोर्ड की सहूलियत के लिए रखी गई हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें 'बोर्ड' शब्द और बढ़ा दिया जावे तो ठीक होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें 'बोर्ड' है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसमें 'बोर्ड' शब्द नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—Whenever default is made by the owner of any building or land in the execution of any work, required to be executed by him..."

बोर्ड नोटिस देगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू) – "Revuired to be executed by him"

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—This is very clear.

"execution of work required to be executed by him......"

इस कानून के अन्तर्गत जो काम कराना जरूरी है और वह नहीं करा सकता है तो उस केस में यह एप्लाई होता है। इसमें आगे है :

"with the approval of the Board" करा लेगा। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—आपत्ति इसलिये है कि इसको बोर्ड नहीं कराता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो इसमें है, न Where the owner makes a default.

"Whenever default is made by the owner in the execution of work required to be executed by him......"

इस कानून में जो काम रिक्वायर्ड है और वह काम मकान मालिक नहीं करा सकता है, डिफॉल्ट होता है तो इस तरह से किया जाता है। इसमें मैं समझता हूँ कि किसी तरह की दिक्कत नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड वह काम कराता है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २४९ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ेज़ २५० से २५२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २५०, २५१ व २५२ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५०, २५१ व २५२ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्या २५३ पर कुछ कहना है ?

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—कुछ कहना है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—२५७ तक कोई एमेन्डमेन्ट नहीं है। अगर कोई बात हो तो देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ २५३, २५४, २५५ और २५६ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २५३, २५४, २५५ व २५६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

समय हो गया है। सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तत्पश्चात् सदन १२. २८. बजे कल प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-१ मई, १९५६.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित करने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

७२८. (७१। सी. आई. एम.) श्री भगवान सिंह तरंगी एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ६:—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) झालावाड़ जिले में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गत वर्ष कितना रुपया व्यय किया गया ?

(२) झालावाड़ में पिछड़ी जातियों का आनुपातिक पर्सेंटेज कितना है और क्या जो रुपया खर्च किया गया है वह आनुपात से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(क) झालावाड़ जिले में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गत वर्ष १२, ६१६ रु० खर्च किये गये थे।

(ख) जिलेवार खर्च की सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ग) झालावाड़ जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या १२ प्रतिशत है।

(घ) कोई खास कारण नहीं हैं ।

प्रश्न

७३१. (१०९। एम. एल. एल.) श्री चौधरी मोटाराम. एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०४:—क्या स्वापत शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सिवाना के गांव गुड़ानाल की पंचायत में कितने पंच हैं और उनमें से जेल की सजा भुगते हुए कितने और कौन २ व्यक्ति हैं ?

(२) क्या चुनाव के वक्त वहां की जनता ने इन जैल शुदा व्यक्तियों के बारे में दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

१. ८ पंच व एक सरपंच। इनमें कोई जेल गया हो, ऐसी सूचना नहीं है।

२. जी नहीं।

प्रश्न

७३२. (७२१ सी. आई. एम.) श्री भगवान सिंह तरंगी एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर ९:—क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले को पतरे और सीमेंट का कोटा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि पतरे व सीमेंट कंट्रोल रेट पर न मिलने के कारण काश्तकारों को मनमाने मूल्य पर काले बाजार से खरीदने पड़े है ?

उत्तर

नहीं, सीमेंट का कोटा झालावाड़ की जनता के लिये अलइदा एलोट होता है और झालावाड़ जिले हैडक्वार्टर पर इसके वितरण के लिये स्टोकिस्ट नियुक्त हैं।

पतरे (नालीदार चद्दर) का झालावाड़ जिले का कोटा १ वैगन लोड से कम होने के कारण तथा वहां पर कोई स्टोकिस्ट आयर्न एन्ड स्टील कन्ट्रोल, कलकत्ता द्वारा अब तक नियुक्त नहीं करने के कारण कोटा के स्टोकिस्ट के द्वारा जो कि झालावाड़ के लिये भी स्टोकिस्ट मुकर्रिर है, आयात होता हैं और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही उसके द्वारा वितरण किया जाता है। झालावाड़ के लिये अलग स्टोकिस्ट नियुक्त करने के विषय में आयर्न स्टील कन्ट्रोलर, कलकत्ता के साथ सिलापढ़ी हो रही है।

जैसा कि प्र. नं० २ के उत्तर में कहा गया हैं लोहे व इस्पात का आयात उत्पादन की कमी के कारण भरसक प्रयत्न करने के उपरान्त आयात कम मात्रा में होता हैं और इस कारण पतरे की पूर्ति मांग के अनुसार पूरी नही होने पाती है किन्तु काले बाजार से सीमेंट और पतरे खरीदने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न

७४३. (१२४। एम. एल.एम.) श्री मोहम्मद अब्दुल हादी एम. एल- ए. डिवीजन नम्बर ७९ :—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर के अस्पताल में जो डाक्टर है उनके खिलाफ रिश्वतखोरी व असभ्य बर्ताव की कई शिकायतें. आई हैं ?

(ब) क्या यह सही है कि डाक्टर और रिश्वत के किसी भी मरीज का इलाज नहीं करते ?

(स) क्या सरकार डाक्टर के खिलाफ खुली जांच करवायेगी ?

उत्तर

अ. जी हां।

ब. डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, जालोर व कलेक्टर बाड़मेर से शिकायतों की जांच कार्रवाई जा रही है।

स. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट २

कृपया प्रश्न संख्या ७१३ का उत्तर देखिये ।

GOVERNMENT PRIMARY SCHOOLS.

LIST OF SINGLE TEACHER PRIMARY SCHOOLS (SCHEMEWISE)

1. Chhoti hingar.	2. Rasulpura.	3. Disnau.	4. Gogawas.
5. Bharija.	6. Durera.	7. Gordhanpura.	8. Sangaliya
9. Raipura.	10. Sami.	11. Hirwas.	12. Umara.
13. Samer.	14. Lakhanibaori	15. Jilo.	16. Hatideh
17. Bhari.	18. Rampura (Patan)	19. Malikpur.	20. Mahawa.
21. Govind pura.	22. Imloha.	23. Kanwat.	24. Norana.
25. Baori.	26. Purana Bas.	27. Korar.	

UNDER 800 Scheme

1. Sanwaloda.	2. Bidoli.	3. Nabipura.	4. Roshanawa.
5. Devas.	6. Ghirana.	7. Rashidpura.	8. Bhiran.
9. Kachhawa.	10. Roopgarh	11. Bhagatpura.	12. Bharani.
13. Maliyankidhani.	14. Bagariyabas.	15. Govindpura.	16. Dalatpura.
17. Agaloi.	18. Swamiyankidhani.	19. Dudawa.	20. Rajas.

TAKEN OVER

1. Deenwa.	2. Chachiyawad.	3. Sakhoo.	4. Lawanda.
5. Thimoli.	6. Gungara.	7. Chhotipura.	8. Sarwari.
9. Palwas.	10. Baripura.	11. Molyasi.	12. Gothara.
13. Dalwas.	14. Bagari.	15. Bidasar.	16. Jankipura.
17. Tirawa.	18. Jalod.	19. Kheridantunjala.	

DEVELOPMENT SCHEME'

1. Sijanpura.	2. Mandhota.	3. Khurali.	4. Bosana.
5. Ruliyamaliyan.	6. Bhomabara.	7. Bhatot.	8. Bhima.
9. Buchyasi.	10. Bhirana.	11. Kuli.	12. Dudhawa.
13. Mangarasi.	14. Biharipura.	15. Bhagawanpura.	16. Deenarpura.
17. Sihodi Trilokpura.	18. Kashali.	19. Kotadi	

JAGIR SCHOOLS.

1. Bisaytian Sikar.	2. Sanwalodo.	3. Jamalpura.	4. Anokhoo.
5. Mukandpura.	6. Bazor.	7. Binjasi.	8. Shahpura.
9. Tatanwa.	10. Rolasabsar.	11. Almas.	12. Harsawa.
13. Mangalona.	14. Biraniya.	15. Bidoni Bari.	16. Narodaro.
17. Katanga Kharad.	18. Khirwa.	19. Khotiya.	20. Nethwa.
12. Karanga Kharad.	22. Rodu.	23. Bau.	24. Sekhisar.

25. Hirana.	26. Ramsisar.	27. Simarla.	28. Khoori.
29. Tajsar.			

UNDER 500.

1. Tarpura.	2. Phagalwa.	3. Shyamgarh.	4. Antari.
5. Gothara. Tagelan.	6. Bral.	7. Birodi Bari.	8. Paldi.
9. Godawas.	10. Jaitpura Dhani Harijan.	11. Nimod.	12. Narda.
12. Manpura.	14. Sargoth.	15. Araniya.	16. Kalyanpura.
17. Dhani Jorawar Singh.	18. Khora.	19. Ladpura.	20. Lakhikabas.
21. Palas.	22. Sulyas.	23. Haripura.	24. Thedi.
25. Panlawa.	26. Bhojasar.	27. Paladas.	

UNDER 720.

1. Bhuwala.	2. Sanwaloda Purohitan.	3. Nagwa.	4. Mordinga.
5. Chirasara.	6. Rampura.	7. Dugoli.	8. Churimiyan.
9. Patoda.	10. Sutot.	11. Khinwasar.	12. Sholo.
13. Garida.	14. Dantaru.	15. Athwas.	16. Udrsar.
17. Dokan.	18. Deepawas.	19. Tapipala.	20. Prithavipura.
21. Dhani. Gumansingh.	22. Sanwalpura.	23. Jubalpura.	24. Shalodara.
25. Jngrajpura.	26. Nalot.	27. Shimarla.	28. Gumanpura.
29. Sanwalpura.	30. Ganoda.	31. Tilokpura.	32. Shyampura.

UNDER 800 II SCHEME

1. Shyampura.
2. Gokulpura.
3. Rajpura.
4. Kusahlpura
5. Chainpura.
6. Phadampura.
7. Godiyabara.
8. Juliyasar.
9. Alakhpura.
10. Bidasar.
11. Khatikan Fatehpura.
12. Balod.
13. Banthalf.
14. Prithavipura.
15. Banthali.
16. Maksudpura.
17. Nangal.
18. Vidhakidhani.
19. Chandeli ka Bas.
20. Ajabpura.
21. Mohanpura.
22. Dikiya.
23. Rampura.
24. Bhopatpura.
25. Reengus.
26. Vijaypura.
27. Kalibhar.
28. Lorwara.
29. Dhabawali Dhani.
30. Nathaka Nangal.
31. Ranoli.
32. Jhalara.
33. Chhapar.
34. Dariba.
35. Hiraji ki Dhani.
36. Ladikabas.

LIST OF SCHOOLS REMAINED CLOSED DURING THE PRESENT SESSION.

S.No.	Name of the School.	Name of the Teacher.	Reason and period of absence.	Period durlng school remain-ed closed.
1.	Jamalpura.	Sh. Hardayal Singh.	Examinatlon purpose leave from 13-2-56 to 3-3-56.	13-2-56 to 3-3-56.
2.	Anokhu.	Sh. Sukhdeo Joshi.	Sick leave from 1-3-56 to 24-3-56.	1-3-56 to 24-3-56.
3.	Khotia.	Sh. Laxminarain.	Sick Leave from 22-8-55 to 21-9-55.	22-8-55 to 21-9-55.
4.	Rasoolpura.	Sh. Abdul Raheem.	Leave on account of mother's illness from 1-8-55 to 13-8-55.	1-8-55 to 13-8-55.
5.	Govindpura.	Sh. Bhagirethsingh.	Leave on domestic affair from 8-8-55 to 18-8-55.	8-8-55 to 18-8-55.
6.	Antri.	Sh. Bhim Sen.	8-9-55 to 7-10-55. leave on doemestic affalrs.	8-9-55 to 7-10-55.
7.	Kasll.	Sh. Dwarka Pd.	Leave on account of mother's death from 24-2-56 to 9-3-56.	24-2-56 to 9-3-56.
8.	Poladas.	Sh. Mahaveer Pd.	Leave on account of father's illness from 6-2-56 to 20-3-56.	6-2-56 to 20-3-56.
9.	Dalatpura.	8h. Mahalu lal.	Leave on account of domestic affairs from 18-8-55 to 27-8-55.	18-8-55 to 27-8-55.

1	2	3	4
10. Bhagwanpura.	Sh. Maheshdan Singh.	Leave on account of iliness for 16-7-55.	16-7-55.
11. Chanelikabas.	Sh. Radhy Shyam.	Leave on account of domestic affair from 26-12-55 to 29-12-55.	26-12-55 to 29-12-55.
12. Karar.	Sh. Radha Kishan.	Leave on account of building house from 20-2-56 to 24-3-56.	20-2-56 to 24-3-56.
13. Sola.	Sh. Swaroop Chand.	Leave on account of domestic affair from 1-12-55 to 31-12-55.	1-12-55 to 31-12-55.
14. Maksudpura.	Sh. Upendra Singh.	Leave on account of illness from 28-11-55 to 3-12-55	28-11-55 to 3-12-55.
15. Chirasra.	Sh. Ramgopal.	Leave on account of illness from 2-1-56 to 31-1-56	2-1-56 to 20-3-56.
16. Churimiyan.	Sh. Sanwar Mal.	Absent from 17-7-55 to 30-9-55.	17-7-55 to 30-9-55.
17. Phagalwa.	Sh. Raj Kumar.	Absent from 24-7-55 to 21-8-55	24-7-55 to 31-8-55

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७१४ का उत्तर देखिये)

List of Sewagirs and clerks in the Devasthan Department during the period from 1-1-55 to 29-2-56.

S. No.		Name of the employee and designation.	Date of appointment	Name of the temple.
1.	Shri	Kamal Chand Jain L. D. C.	4-1-55	-
2.	„	Gopal Lal L. D. C.	4-1-55	
3.	„	Jae Karen Ohededar		
4.	„	Raj Kumar Jain	17-5-56	
5.	„	Panchulal Tahalwa	20-1.56	Shri Ram Chanderji
6.	„	Madan Lal Bhandari	1-4-55	„
7.	„	Kapoorchand Chobda	7-4-55	„
8.	„	Shankar Panjabi Farash	16-6-55	„ Dharamshala
9.	„	Narain s/o Shri Mangilal Bhuwaria	24-6-55	„ Ramchandraji
10.	„	Soowa Lal Bhuwaria	20-6-55	„ Brij Ram Behariji
11.	„	Laduram Nai	25-6-55	„ Ram Chandraji
12.	„	Radhey Shyam Thalwa	25-6-55	„ Kilkiji
13.	„	Chandra Kant Sharma Choubdar	„	„ Anand Krishanbehariji
14.	„	Ram Narain Tahalwa	„	„ Baldeoji
15.	„	Hanuman Sahai Swami Bhuwaria	1-7-55	„ Anand Behariji
16.	„	Narain Singh Choubdar	27-7-55	„ Anand Krishanbehariji
17.	„	Klyan Saran Sharma Pujari	„	„ Madan Mohanji
18.	„	Umrao Singh Tahalwa	„	„ Gangaji
19.	„	Devkinandan Pujari	29-7-55	„ Mahatab Behariji
20.	„	Gajanand s/o Kajor Tehalwa	12-8-55	„ Baldeoji
21.	„	Uma Shankar Jalsewak	12-8-55	„ Brijraj Behariji
22.	„	Pyrelal Sharma Tehalwa	„	„ Gordhannathji

23.	„	Mangej Singh Bhuwaria	15-1-56	„	Brij Raj Behariji
24.	„	Radha Krishan Tahalwa	1-2-56	„	„
25.	„	Bhonri s/o Kalusingh Farrash	7-2-56	„	Dharamshala
26.	„	Bhanwarlal Nai	10-2 56	„	Kilkiji
27.	„	Beniras jalsewak	6-2-56	„	Ramchandraji
28.	„	Rambux Farrash	1-2-56	„	Dharamshala
29.	„	Chhukhan lal Thalwa	1-2-56	;,	Brij Nandji
30.	„	Laxman Sharma Keertaniya	6-3-56	„	Ramchandraji
31.	„	Karish Chandraji Tahlwa	6-1 56	„	Baldeoji
32.	„	Babulal Bhuwaria	16-4-56	„	Ram Chandraji
33.	„	Gordhan s/o Ramkunwer	13-5 56	„	Brijnandji

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ७२७ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE SANCTIONED CIRCLE RATES PER BIGHA OF DISTRICT BHILWARA.

S. No.	Soil Classes	Tehsil Kapasin Circle 1	Tehsil Bhilwara Circle 1	Tehsil Mandalgarh Circle I	Tehsil Mandalgarh Circle II	Tehsil Mandalgarh Circle III	Tehsil Kotri Circle 1	Tehsil Banera Circle 1	Tehsil Raipur Circle 1	Tehsil Mandal Circle 1	Tehsil Sahada Circle 1	Tehsil Sahada Circle II	Tehsil Jahajpur Circle 1	Tehsil Jahajpur Circle II	Tehsil Shahpura Part Phulia Seja Circle	Tehsil Shahpura Part Phulia Nehri Circle	Tehsil Asind 1	Tehsil Asind II	Tehsil Hurda 1	Tehsil Hurda II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	11	19	20	21
1.	Nankar	-/7/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bir	-/7/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/7/-	-/6/-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Bir 1	-	-/7/6	-/6/-	-/6/-	-/8/-	-/5/-	-/7/-	-/8/-	-/7/-	-	-	-/8/-	-/6/-	-/6/-	-/8/-	-/10/-	-/11/-	-/8/-	-/7/-
4.	Bir 2	-	-/5/6	-/4/-	-/5/-	-/6/-	-/3/-	-/5/-	-/6/-	-/5/-	-	-	-/6/-	-/4/-	-/5/-	-/6/-	-/6//	-/9/-	-/6/-	-/5/-
5.	Bir 3	-	-	-	-	-	-/2/6/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Part	-/5/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/5/-	-/5/-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Part 1	-	-/5/6	-/4/-	-/5/-	-/6/-	-/3/6	-/5/-	-/6/-	-/5/-	-	-	-/8/-	-/6/	-	-	-/8/-	-/7/-	-/6/-	-/5/-
8.	Part 2	-	-/3/-	-/3/-	-/2/6	-/4/-	-2/6	-/3/-	-/4/-	-/3/-	-	-	-/4/-	-/3/-	-	-/4/-	-/4/-	-/4/-	-/4/-	-/3/-
9.	Part. Air Mushkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/5/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Part I ,,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/8/-	-/7/-	-	-
11-	Part II ,,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/4/-	-/4/-	-	-

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ७३४ का उत्तर देखिये)

A EXPENDITURE — RURAL WATER SUPPLY — (Rs. in Lakhs.)

S. No.	District	Total Allotment for the Plan	PHASING						ACTUAL EXPENDITURE.				
		1951-56.	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	Total	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55.	1955-56.
1.	Jaipur	411889	Nil	Nil	13465	147552	250872	377186/15	Nil	Nil	4549	138236/15	234401
2.	Tonk	235129	,,	,,	Nil	105548	129581	235103/6	,,	,,	Nil	105548	129555/6
3.	S. Madhopur	198630	,,	,,	,,	50900	147730	175067/12	,,	,,	,,	38899	136168/12
4.	Bharatpur	253443	,,	,,	4465	57770	191203	230631/5	,,	,,	4465	35999/11	190166/10
5.	Alwar.	201003/12	,,	,,	Nil	20000	181003/12	242227/4	,,	,,	Nil	80221	162006/4
6.	Sikar	495200/8	,,	,,	7465	64000	423735/8	490470/8	,,	,,	7465	59270	423735/8
7.	Jhunjhunu	623925	,,	,,	Nil	216325	407600	551600/9	,,	,,	Nil	156471/9	395129
8.	Jodhpur	709700	,,	,,	29640	172060	508000	696228/12	,,	,,	27040	170843	498345/12
9.	Pali	200110	,,	,,	Nil	60300	139810	193899/2	,,	,,	Nil	60300	133599/2
10.	Jaisalmer	271746	,,	,,	,,	43680	228066	241580	,,	,,	,,	13983	227597
11.	Barmer	367928	,,	,,	3305	96540	268083	352858	,,	,,	3305	81470	268083
12.	Jalore	298245	,,	,,	2215	30030	266000	297918	,,	,,	2215	30030	265673
13.	Sirohi	146932/10	,,	,,	Nil	20800	126132/10	140232/10	,,	,,	Nil	14010	126132/10
14.	Nagore	922820/8	,,	,,	153150	83100	686570/8	917138/8	,,	,,	147468	83100	686570/8
15.	Bikaner	881210	,,	,,	76585	175625	629000	845921/6	,,	,,	69085	157989/12	627216/10
16.	Churu	871845	,,	,,	99450	254481	517914	845917	,,	,,	94133	233870	517914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21. Udaipur	463344/2	,,	,,	56780	89300	317264/2	426636/13	,,	,,	13526	45846/11	317254/2
22. Bhilwara.	233825	,,	,,	4430	67110	162285	217988/2	,,	,,	14435	67088	146470/2
23. Banswara.	235266	,,	,,	43678	103979	87609	207036/12	,,	,,	22449	102645	85942/12
24. Dungarpur	160701	,,	,,	50165	49050	61486	130456	,,	,,	21771	49050	59635
25. Chittorgarh	233446/4	,,	,,	34575	57000	141871/4	216055/4	,,	,,	17186	59995	141871/4
Reserve	124103	,,	,,	Nil	Nil	Nil	Nil	,,	,,	Nil	Nil	Nil
G. Total.	10000000	Nil	Nil	746263	2420000	6709634	9439689	Nil	Nil	597314	2265645	6576730

परिशिष्ट ६

[कृपया प्रश्न संख्या ७३७ का उत्तर देखिये]

S. No.	Name of School	Name of teachers	Date of Taking over charge.	REMARKS.
1.	Umeri.	Shri Bheravn Lal.	4/1/56.	As there was no teacher in P. S. Umeri at the time of taking over charge and so Shri Bheravn Lal a matriculate was appointed.
2.	Chinamba'	Ram Singh.		
3.	Luans.	Amar Singh.		
4.	Megras.	Ramgopal		
5.	Upreda.	Badrilal		
6.	Amali.	Balulal.		
7.	Peepli.	Sureshchandra.	"	
8.	Suthepa.	Bansilal	"	
9.	Badi Lambia.	Bhola Dutt	"	
10.	Tiloli.	Madanlal	"	
11.	Rampura	Kanhiyalal.	"	
12.	Phalasia.	Nagjidas.	"	
13.	Umajikakhera	Nandlal	"	
14.	Mohanpura	Mumtaj Ali	"	
15.	Jalendya	Ladulal.	"	
16.	Sarthala.	Shobhalal.	"	

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या ७४१ का उत्तर देखिये)

सन् १९५३ से सन् १९५५ तक जिन तहसीलदारों को ऐक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बनाया गया, उनके नामों की सूची।

१. श्री गौरी शंकर झा।
२. श्री देवीराम गुप्ता।
३. श्री देवीलाल बोलिया।
४. श्री भौरीलाल पाटनी।
५. श्री अब्दुल लतीफ।
६. श्री बृजनाथ पन्चोली।
७. श्री केसरी सिंह।
८. श्री रामप्रताप।
९. श्री अब्दुल हाफिज बेग।
१०. श्री एन० एन० बनर्जी।
११. श्री चतरसिंह।
१२. श्री रणजीतसिंह।
१३. श्री फनी भूषन।
१४. श्री बाल कृष्ण राव।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न सदन की मेज पर रखा गया)

१. (२६। यू० एस०)—श्री भोलानाथ (१९)—

क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

प्रथम पंचवर्षीय योजना में (१) अरबन और (२) रूरल वाटर सप्लाई में कितने रुपये जिलेवार निम्नलिखित शीर्षकों मे खर्च हुए हैं । पूरी विगत देने की कृपा करें :—

१	२	३	४	५
जिले का नाम	खर्च की रकम	आबादी	आबादी के अनुसार खर्च का अनुपात क्या होना चाहिये ।	आबादी के अनुपात से प्रतिशत कम खर्च हुआ या अधिक

(उत्तर अनुपलब्ध)